[k.M&43] vad&1 tuojh] 2018

laLnh; nhfidk

fo/kku iqLrdky;
fo/kku lHkk lfpoky;
mÙkj çns'k] y[kuÅ

lj{kd — **ekuuh; Jh ân; ukjk;.k nhf{kr**
v/;{k]
fo/kku lHkk] mÙkj izns'k

lEiknd e.My

प्रधान सम्पादक : श्री प्रदीप कुमार दुबे
प्रमुख सचिव,
विधान सभा

सहायक सम्पादक : श्री दिलीप कुमार दुबे
पुस्तकालयाध्यक्ष एवम् मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी

सदस्य : श्री राजेश कुमार, शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी
श्रीमती नूतन सक्सेना, शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी
श्रीमती श्रद्धा चौधरी शोध एवं सन्दर्भ सहायक

मूल्य : 130/-

प्रकाशक : विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, 257 गोलागंज, लखनऊ

fo"k;&lwph

Øe la0	fo"k;	i"B la0
1-	**çLrkouk**	
2-	**lEikndh;**	
3-	**ek- v/;{k dk lEcks/ku Hkk"k.k** उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न समितियों के उद्‌घाटन के अवसर पर मा. अध्यक्ष, विधान सभा श्री हृदय नारायण दीक्षित का संबोधन।	
4-	**ys[k**	1—5
	(i) सामाजिक समता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता — श्री सत्यदेव पचौरी कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	
	(ii) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण और उनके विचारों का पुरश्चरण — डा. अनिल मिश्र महाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	6—11
5-	**lnu flgkoykdu**	41—62
	(i) उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र माह अक्टूबर—दिसम्बर में कृत कार्य	
	(ii) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र माह अक्टूबर—दिसम्बर में कृत कार्य	
	(iii) उत्तर प्रदेश विधान सभा की समितियों द्वारा माह अक्टूबर—दिसम्बर, 2017 की अवधि में निष्पादित कार्य	

(iv) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की समितियों द्वारा माह अक्टूबर–दिसम्बर, 2017 की अवधि में निष्पादित कार्य

6- mÙkj çn'k fo/kku lHkk dh dk;&ç.kkyh 116–125

उत्तर प्रदेश ने संसदीय कार्यप्रणाली में प्रश्न, प्रश्न प्रहर, प्रश्नोत्तर का महत्व एवं ऑन लाइन प्रक्रिया

– श्री अशोक कुमार,

उपसचिव, विधान सभा उत्तर प्रदेश

7- lnu e gkL;&foukn 126–130

8- vrhr l ---------- 131–136

दिनांक 30 अगस्त, 1961 को प्रदेशीय सरकार द्वारा हिन्दी को उचित स्थान देने के सम्बन्ध में नियम 53 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त का भाषण।

9- çe[k llnh; lekpkj 137–150

10- ifjf'k"V 151–154

(i) सत्र विषयक

(ii) समिति विषयक

^^lnh; nhfidk e çdkf'kr y[kk ,o lnfHkr lekpkjk e 0;Dr er ,o fopkj fo/kku lHkk lfpoky; d fopkj ugh le> tku pkfg,A**

çLrkouk

विगत कई वर्षों से विधान सभा सचिवालय से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका को मासिक पत्रिका का रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2018 से पत्रिका को नये कलेवर के साथ प्रकाशित की जा रही है।

शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें प्राचीन ग्रन्थों से जानकारी मिलती है। तत्कालीन शासन तंत्र का स्वरूप जनता के लिये अधिक से अधिक कल्याणकारी एवं उपादेयता पर आधारित था। जनता के हित के लिये समानता के आधार पर सम्यक दृष्टि से विचार करके एक मत होकर ऐसे निर्णय लेने की परम्परा थी। लोकमंगल तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। उस समय मंत्रणा, विचारों एवं चिन्तन के सम्भाव को विशेष महत्व दिया जाता था। उस व्यवस्था में सभी प्रकार के नीति विषयक प्रश्नों पर सामान्य रूप से विचार विमर्श करके, विधि निर्माण किया जाता था। जनता के प्रतिनिधियों के मर्यादापूर्ण और विनम्र व्यवहार को बहुत महत्व दिया जाता था। चाणक्य के अनुसार ''एक सदस्य को दूसरे सदस्य की निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये। उसको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये, जो अन्य सदस्यों की गरिमा के प्रतिकूल हो अथवा जिसकी उसे प्रत्यक्ष जानकारी न हो अथवा जो अविश्वसनीय हो या मिथ्या हो''। भारत में संसदीय व्यवस्था बहुत पहले से विद्यमान थी। गांवों में प्रचलित पंचायतें हमारी प्राचीन संसदीय व्यवस्था की ही प्रतीक हैं।

आधुनिक संसदीय व्यवस्था ने एक नवीन स्वरूप ग्रहण कर लिया है। अनुभव एवं आवश्यकताओं के आधार पर संसदीय प्रक्रिया का विकास हो रहा है। वर्तमान संसदीय परिवेश में जब कब ऐसी अप्रत्याशित एवं अमर्यादित घटनाएं घटने लगी है। यह संसदीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र को आधात पहुँचाती है। आधुनिक संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत

जनता द्वारा चुनकर आये प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा स्वाभाविक होती कि वह संसदीय व्यवस्था तथा सरकारी तंत्र की अधिक निगरानी एवं समवीक्षा करे। यह तंत्र प्रभावी बन सके। जन प्रतिनिधिगण अपने आवश्यक सुझाव व मार्ग निर्देशन के माध्यम से अपना योगदान देकर विधायिका, कार्यपालिका की जनहित में कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आज शुभकामना है कि हम अपने महापुरुषों, चिन्तकों व राष्ट्र निर्माताओं के आदर्शों एवं नैतिकता के मानदण्डों को अपने व्यक्तित्व का अंग बनायें।

आशा है कि मासिक पत्रिका जन प्रतिनिधियों के साथ आम जनमानस के लिये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सूचनावर्धक होगी। इस परिप्रेक्ष्य में इस पत्रिका में संसदीय व्यवस्था एवं कार्य व्यवहार से जुड़े लेखों का समावेश कर उसे पठनीय, रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक पत्रिका के रूप में विकसित किया जाना उपादेय पूर्ण होगा।

मैं मासिक संसदीय दीपिका के सफल प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(हृदय नारायण दीक्षित)
अध्यक्ष,
विधान सभा, उ.प्र.।

lEikndh;

'संसदीय दीपिका' का अद्यतन अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की विशिष्ट पत्रिका 'संसदीय दीपिका' के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की विभिन्न गतिविधियों एवं अभिलेखों को संचित करने की प्रक्रिया भी सम्पादित की जाती है। संसदीय कार्यवाही परम्परा के आधार पर संचालित की जाती है तथा परम्पराओं को एकत्र करने के लिए विभिन्न अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। मुख्य रूप से जो कार्यवाहियां सदन के अन्दर संचालित होती है उनके आधार पर परम्पराएं विचरित होती है। सदन की कार्यवाहियों के अतिरिक्त भी ऐसे अभिलेख विधायिका के परिवेश में निर्मित होते हैं जिनसे कि परम्पराओं का आभास होता है। संसदीय परिवेश में अभिलेखों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

अतः ''संसदीय दीपिका'' पत्रिका को उत्कृष्ट बनाये जाने का प्रयास सदैव किया जाता रहेगा। समस्त माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि वह कृपया पत्रिका के उन्नयन हेतु सहयोग करने का कष्ट करें।

(प्रदीप कुमार दुबे,)
प्रधान सम्पादक

lkekftd lerk dh çfr gekjh çfrc)rk

'kkfr ugh rc rd]
tc rd l[k HkkX; u uj dk le gk]
ugh fdlh dk cgr vf/kd gk]
ugh fdlh dk de gkA

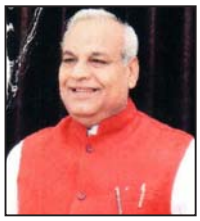

lR;nso ipkjh]
dfcuV e=h]
mÙkj çn'k] ljdkj

कवि श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर की उपर्युक्त पंक्तियाँ सामाजिक शांति एवं सुव्यवस्था हेतु सामाजिक समता के महत्व एवं अनिवार्यता को रेखांकित करती है। वास्तव में सभी की समृद्धि एवं उन्नति में ही स्वयं की भी समृद्धि एवं उन्नति सन्निहित है। इस सिलसिले में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसकी विवेक–शक्ति उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। उसकी विवेक–शक्ति उसे ^eukHko^ अर्थात मनुष्यता के लिए प्रेरित करती है। मनुष्यता का लक्ष्य सामाजिक समता के बिना सम्भव नहीं है क्योंकि जहाँ विषमता है वहीं शोषण और अशांति है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज के प्रति उसका कुछ उत्तरदायित्व है जिसे हम आज के समय में ''सामाजिक अनुपालन (Social Compliance)'' कहते है। सामाजिक अनुपालन की अवधारणा मनुष्यता एवं सामाजिकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सामाजिक अनुपालन के द्वारा हम समाज के पिछड़े, पद–दलित एवं शोषित वर्गों के जीवन को विधायिका के माध्यम से विधि बनाकर मानवीय बनाने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में गरीब–अमीर, शिक्षित–अशिक्षित, ऊँच–नीच जैसी विषमताओं को समाप्त कर एक समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हो सके ताकि विकास के आधुनिक दौर में पीछे छूट गए लोगों की गरीबी और अशिक्षा को दूर करके हम एक समर्थ और समृद्ध भारत बना सकें। इस सिलसिले में यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हम अपनी समृद्धि को तभी स्थायी एवं गतिशील रख सकते हैं जब हमारे साथ समाज के अन्य लोग भी समृद्ध हों। अतः सामाजिक समता सामाजिक शांति की पहली शर्त है। प्रश्न उठता है कि हम सामाजिक समता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? हमारे संविधान की अनूठी विशेषता यह है कि संविधान समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में हमारे

शासन तंत्र की क्षमता को नियोजित करता है। आजादी के उपरान्त जब हम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपना रहे थे, तत्समय भारतीय सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक विषमता थी। देश की विविधता एवं विषमता के दृष्टिगत देश की एकता, अखण्डता एवं सम्प्रभुता को संरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। खुशी की बात है कि हम तमाम बाधाओं के बावजूद निरंतर देश को मजबूत करने में सफल रहे हैं। आजादी के समय एक तरफ बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चेतना से सम्पन्न देश का गौरवशाली अतीत था, तो दूसरी तरफ परतंत्रता से उपजी सामाजिक एवं घोर आर्थिक विषमता से ग्रसित हमारा तत्कालीन देश जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति के माध्यम से समतामूलक समाज के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा था। तत्समय के ऐसे ही अन्तर्विरोधों की वजह से तत्कालीन सामाजिक जीवन की जड़ता को तोड़ना एक दुर्जेय चुनौती थी।

यही कारण था कि संविधान सभा में हमारे संविधान का मसौदा पेश करते हुए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अंतर्विरोध के बारे में चेताया था। 25 नवम्बर, 1949 को **mUgkus dgk Fkk&^^26 tuojh] 1950 dk ge vrfojks/kks ls Hkjs thou e ço'k djus tk jgs gSA gekjs ;gka jktuhfr e cjkcjh gksxh vkSj lkekftd o vkfFkd thou e fo"kerk jgxhA jktuhfr e ge ,d 0;fDr] ,d okV vkSj ,d eY; dk fl)kUr Lohdkj dj jgs gksxA viu lkekftd o vkfFkd thou e ge viu lkekftd o vkfFkd <kp d rdZ ls ,d 0;fDr ,d eY; d fl)kUr dk udkjus dh çfØ;k tkjh j[ksxA vkf[kj ge dc rd viu lkekftd o vkfFkd thou e lerk dk udkjr jgx\ vxj ge T;knk le; rd mls udkjr jgr g] rk ge viu jktuhfrd tur= dk [krj e Mkydj ,slk dj jgs gksxA ge bl vUrfojks/k dk tYnh ls tYnh [kRe djuk gksxk] ojuk tks ykx vlekurk dh ekj >sy jgs g] o jktuhfrd tur= d ml rku&cku dk rkj&rkj dj nxs] ftl bl lfo/kku lHkk u bru Je ls [kMk fd;k gSA^^ ;gh dkj.k g fd fo"kerk d vUrfojkèk dk lekIr djuk gekjh ljdkj dh çkFkfedrk g vkSj bl gr gekjh ljdkj dk ey e= g ^^lcdk lkFk] lcdk fodklA^^ lkekftd fo"kerk dk nj dju d fy, dbZ Lrjk ij lèkkj ,o ç;kl dh vko';drk gSA** इस हेतु समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान अर्थात 'अन्त्योदय' को ध्यान रखकर कार्ययोजना को अंतिम रूप देना होगा तथा देश

से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने की हर सम्भव कोशिश के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना होगा। साथ ही समतामूलक समाज के लिए निम्नांकित कार्ययोजनाओं को विधिक रूप दिया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता हैः —

1. **xke vk/kkfjr jkstxkj dks c<kok nsdj xkao ls iyk;u dks jksduk %&** रोजगार की तलाश में काफी संख्या में लोग गाँव से शहर की ओर आ रहे हैं। इससे शहर का जीवन एवं आधारभूत ढाँचा दोनों प्रभावित हो रहा हैं। गाँव से आ रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर युवक शहर के निम्न जीवन का हिस्सा बन रहे हैं और शहरी विषमता को बढ़ा रहे हैं। इसे रोकने हेतु गाँव को रोजगार का केन्द्र बनाना होगा। इस दृष्टि से गाँव के पारम्परिक लघु उद्योग को उच्च तकनीक, पर्याप्त पूँजी, प्रशिक्षण एवं विपणन केन्द्रों की सुविधाएँ देकर लाभप्रद उद्योग के रूप में विकसित करना होगा। इसके अतिरिक्त मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को विस्तारित करके हम तात्कालिक तौर पर गाँव से पलायन को काफी हद तक रोक सकते हैं।

2. **lcds fy, leku f'k{kk dh 0;oLFkk%&** असमान शिक्षा से असमान अवसर की स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त कुशल एवं अकुशल श्रमशक्ति तथा शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच का अन्तर काफी बढ़ जाता है जो आय की असमानता को बहुत बढ़ा देता है। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर सबको समान शिक्षा का अवसर देकर भविष्य में होने वाली सामाजिक असमानता को हम दूर कर सकते हैं।

3. **f'k{kk ds lkFk&lkFk dkS'ky fodkl dks c<kok fn;k tkuk%&** आर्थिक दृष्टि से शिक्षा के साथ—साथ तकनीकी रूप से कौशल विकास हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग विभाग द्वारा नई एम.एस.एम.ई. नीति, 2017 में तकनीकी संस्थानों में ''इक्यूबेशन केन्द्र'' के रूप में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्राविधान किया गया है। शिक्षा के साथ इस प्रकार के प्रशिक्षण से युवकों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज में औद्योगिक वातावरण बनेगा जिससे निश्चित रूप से आर्थिक विषमता कम होगी।

4- **उद्योग हेतु आधारभूत संरचना का बढ़ावा एवं युवाओं को उद्यमशीलता हेतु प्रेरित किया जाना:–** भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। क्योंकि यहाँ की आधी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है परन्तु सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान मात्र 14% रह गया है। देश की आर्थिक मजबूती के लिए देश को कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में बदलना होगा। एक औद्योगिक समाज ही आर्थिक रूप से समृद्ध और समर्थ समाज होता है। अतः औद्योगिक मजबूती के लिए उद्योग के अनुरूप आधारभूत संरचना जैसे–सड़क, बिजली, सुगम एवं द्रुतगामी यातायात एवं विपणन केन्द्रों को विकसित करने हेतु कार्ययोजनाओं को अन्तिम रूप देना होगा। औद्योगिक वातावरण का लाभ यह मिलेगा कि हमारे युवक नौकरी के वनिस्पत उद्यम की ओर बढ़ेंगे और यह सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने में मददगार होगा। जिस प्रकार शिक्षा का प्रसार हो रहा है हम सबको सरकार नौकरी नहीं दे पाएंगे। अतः हमें रोजगार के वैकल्पिक रास्ते पर आगे बढ़ना ही होगा। इस दृष्टि से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना एक कारगर विकल्प सिद्ध हो सकता है।

5- **सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा व्यवस्था:–** भारत में अधिकांश मध्यम आय वर्ग के परिवार समुचित चिकित्सा सुविधा के अभाव अथवा किसी गम्भीर बीमारी के उपचार पर व्यय के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते है। उन्हें अपनी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा व्ययसाध्य चिकित्सीय उपचार पर खर्च करना पड़ता है जिससे ऐसे वर्गों में आर्थिक बदहाली आती है। कम खर्च पर अच्छी एवं सर्वसुलभ चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराकर हम काफी सीमा तक आर्थिक विषमता के विस्तार को रोक सकते हैं। सरकारी अस्पतालों एवं प्राथमिक उपचार केन्द्रों की आधारभूत संरचना तथा चिकित्सकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कर हम सस्ते एवं सर्वसुलभ चिकित्सा लाभ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे पाठ्य विषयों को प्रारम्भिक स्तर से ही सम्मिलित करें, जिसमें उच्च मानवीय मूल्यों को अपनाने, विपरीत परिस्थितियों में कार्यशील रहने की क्षमता, आपसी सौहार्द, सबके प्रति सम्मान का भाव, सहनशीलता, संवेदना, सहिष्णुता एवं आत्म अनुशासन जैसी मानवीय गरिमा का समावेश हो जो हमारे बच्चों के व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष को मजबूत कर सके।

भारतीय समाज की आर्थिक विषमता तो एक बड़ी चुनौती है ही इससे कहीं बड़ी चुनौती सामाजिक विषमता की है। कमजोर एवं पारम्परिक तौर पिछड़े लोगों के प्रति उपेक्षा एवं असहयोग की प्रवृत्ति हमारी सामाजिक समरसता को प्रभावित करती है। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए हमें बिना किसी कारण के लोगों के प्रति सम्मान, सहयोग एवं आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। इस सन्दर्भ में यहाँ मैं मदर टेरेसा के विचार का उल्लेख करना चाहूँगा– **^^ge db ckj lkpr g fd Hk[kk vkj c?kj gkuk xjhch g yfdu ugh] bl nfu;k e lcl cMh xjhch vokfNr] vfç; vkj mif{kr gkuk gA^^** अतः हमारा व्यवहार सबके प्रति सम्मानजनक एवं मानवीय गरिमा से युक्त होना चाहिए ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित, अपमानित एवं हीनभावना से ग्रसित महसूस न करें। इस हेतु हमें शैक्षिक पाठ्य सामग्रियों में इन अच्छाइयों का समावेश तो करना ही चाहिए। साथ ही कला, नाटक, प्रदर्शनियों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से भी उक्तानुसार सामाजिक चेतना के परिष्कार का प्रयत्न निरन्तर किया जाना चाहिए ताकि हमारे समाज में आपसी आत्मीयता का अधिक से अधिक प्रसार हो सके। यह इसलिए जरूरी है कि समतामूलक समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन सब के अतिरिक्त हमारे भव्य एवं सर्वकल्याणकारी विचारों के अनुरूप ही हमारा आचरण भी होना चाहिए। ज्ञान और क्रिया की एकरूपता से ही हम एक समर्थ एवं मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।

हिन्दी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि मुक्तिबोध के शब्दों में –

leL;k ,d&
ej lH; uxjk vkj xkek e lHkh ekuo l[kh]
**lUnj o 'kk"k.k eDr dc gkx **

मुक्तिबोध की चिन्ता आज विधायिका में बैठे हम सब की चिन्ता है। भारतीय समाज के सभी मनुष्य ‘‘सुखी, सुन्दर और शोषणमुक्त’’ तभी हो पाएंगे जब भारतीय संविधान की ‘प्रस्तावना’ जो भारतीय संविधान की आत्मा है, में उल्लेखनीय ‘‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता’’ के आदर्श को भारतीय समाज प्राप्त कर लेगा। इस हेतु हमें विधिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक स्तरों पर निरंतर समता की भावना के प्रति सचेष्ट होकर क्रियाशील होना होगा ताकि सामाजिक समता केवल हमारे विमर्श का विषय ही न रहे बल्कि इस आदर्श की गतिशील क्रियागत परिणति सर्वत्र दृष्टिगोचर हो।

❑❑

i- nhun;ky mik/;k; dk Lej.k vkj mud fopkjk dk i|j'pj.k

Mk- vfuy feJ]
egkçc/kd jk"Vh; LokLF; fe'ku]
mÙkj çn'k] y[kuÅ

पं. दीनदयाल उपाध्याय दर्शनशास्त्र के महान ज्ञाता व भारतीय दर्शन के उत्कृष्ट विद्वान थे। पूर्व विधानसभाध्यक्ष श्री माताप्रसाद पाण्डेय जी के अनुसार हम भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहां ऐसी विभूतियाँ विद्यमान रही है जिन्होंने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज और राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। 28 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने कहा कि मैंने पं. दीनदयाल को देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। पं. दीनदयाल उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया।

आंग्य पत्र 'ऑर्गेनाइजर' के स्थाई स्तम्भ 'पॉलिटिकल डायरी' में प्रकाशित पण्डित जी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक एवं दार्शनिक लेखों का संकलन 'पॉलिटिकल डायरी' नाम से ही वर्ष 1968 में प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक की प्रस्तावना में डॉ संपूर्णानंद जी लिखते हैं–''यह स्मरण रखना चाहिए कि ये विचार किसी असामान्य व्यक्ति के विचार नहीं हैं। ये विचार हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण नेताओं में से एक नेता की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, जो अपने देश के सर्वश्रेष्ठ हित–सम्पादन के लिए अपने को अर्पित कर चुके थे, जो निर्मल चरित्र वाले थे और जो एक ऐसे नेता थे, जिसके वजनदार शब्द हज़ारो–हज़ार शिक्षित व्यक्तियों को भावाविभूत कर देते थे।''

पण्डित दीनदयाल जी के चिंतन की विशालता और स्पष्ट होती हैं आंग्ल भाषा में लिखी उनकी पुस्तक 'द टू प्लान्स' पर भारत सरकार के योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री श्रीमान्नारायण अग्रवाल जी द्वारा समस्त सम्बंधित अधिकारियों को आंग्ल भाषा में प्रेषित सर्कुलर को पढ़कर उस सर्कुलर के एक वाक्य का हिन्दी अनुवाद यहाँ द्रष्टव्य है– ''जिस प्रकार अपनी पुस्तक 'द टू प्लान्स' में पंडित जी

द्वारा कहा गया है, योजनाओं का इतना गंभीर और तथ्यात्मक विश्लेषण मैंने पहले कभी नहीं देखा है।''

ऐसे महापुरुष को याद करने, उनके विचारों को पूर्ण रूपेण समझने और उनको मूर्त रूप देने का समय आ गया है; ऐसा मानना है अनेक सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पुस्तकों के रचयिता, प्रखर वक्ता एवं अनुकरणीय अध्येता वर्तमान विधानसभाध्यक्ष माननीय श्री हृदयनारायण दीक्षित जी का। 'सेवा–चेतना' पत्रिका के जुलाई–दिसम्बर 2017 अंक में 'शंकराचार्य का अद्वैत और एकात्म मानव दर्शन' शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में माननीय अध्यक्ष विधान सभा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी लिखते हैं, ''जैसे शंकराचार्य समूचे भारत की सांस्कृतिक एकता के अभियान पर 'अद्वैत' का तत्त्व लेकर निकले थे वैसे ही उपाध्याय जी 'एकात्म मानव दर्शन' का तत्त्व विचार लेकर सांस्कृतिक राष्ट्रभाव के लोकजागरण में सक्रिय थे। उनका स्मरण और उनके स्मरण और उनके विचारों का पुरश्चरण समय का आह्वान है।''

काल के कपाल पर अपनी कालजयी कहानी लिख देने वाले इस विलक्षण बुद्धि और प्रतिभा के धनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उपासक एवं एकात्म मानव दर्शन के साथ अंत्योदय की वैचारिक पृष्ठिभूमि के उन्नायक, भारतमाता के इस सपूत का दुधमहीं उम्र से अंतिम प्रयाण तक काल की क्रूरता से नाता रहा। पैतृक गाँव नगला चन्द्रभान जिला मथुरा के निवासी श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय एवं श्रीमती राम प्यारी की प्रथम सन्तान के रूप में 25 सितम्बर, 1916 को धनकिया, जयपुर, राजस्थान में अपने नाना स्टेशन मास्टर श्री चुन्नीलाल शुक्ल की कार्यस्थली में जन्म लेने वाले पं. दीनदयाल उपाध्याय के पिता का साया उनके ऊपर से मात्र तीन वर्ष की आयु में ही उठ गया। माता सात वर्ष की आयु होते–होते साथ छोड़ दी।

इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी कुशाग्र बुद्धि तथा लगन के धनी पं. दीनदयाल उपाध्याय ने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट की बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा बी.ए./एम.ए. (प्रथम) तथा एल.टी. की परीक्षाएं भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।

पण्डित जी विद्यार्थी जीवन में 1937 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से क्या जुड़े वह उसके सिद्धान्तों से मन क्रम वचन से जुड़ते ही गये, और अन्ततः संघ को ही उसका मान्य दिशा–दर्शन एकात्म मानववाद अर्पित कर दिया। पण्डित जी 1951 से

1967 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महासचिव रहे तथा 1967 में ही सर्वसम्मति से उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। राजनेता के रूप में न सिर्फ उन्होंने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी अपितु लखनऊ में प्रेस की स्थापना कर राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार–प्रसार में दृढ़निश्चयी पत्रकार की भूमिका भी पूर्ण निष्ठा से निभाई।

सत्ता की चकाचौंध का आकर्षण पण्डित जी की सोच और सिद्धान्त को कभी नहीं डिगा सका। उत्तर प्रदेश के संयुक्त सरकार के शपथ ग्रहण की एक घटना अनेक उदाहरणों में से एक है। राजभवन में शपथ ग्रहण चल रहा था। पण्डित जी लखनऊ जनसंघ कार्यालय में अपने कक्ष में बर्तन साफ कर रहे थे। एक स्वयं सेवक ने जब यह देखा तो आश्चर्य से पूछा–आप शपथ ग्रहण में नहीं गये? पण्डित जी ने बर्तन साफ करते हुए ही सहज भाव से कहा कि मेरा काम संगठन का है, सरकार गठन का नहीं।

सन् 1946 तथा 1947 में प्रकाशित पण्डित जी की दो औपन्यासिक कृतियों चन्द्रगुप्त तथा जगद्गुरू शंकराचार्य की पृष्ठभूमि में उनके मन–प्राण में बसे दो नायकों का चरित्र था, जिसे वह 'सिद्धान्त और नीति' की प्रस्तावना में इस प्रकार व्यक्त करते है–''आज भारत के इतिहास में क्रान्ति करने वाले दो पुरुषों की याद आती है। एक वह कि जब जगद्गुरु शंकराचार्य सनातन बौद्धिक धर्म का संदेश लेकर देश में व्याप्त अत्याचार को समाप्त करने चले थे और दूसरा वह कि जब 'अर्थशास्त्र' की धारणा का उत्तरदायित्व लेकर संघ राज्यों में बिखरी राष्ट्रीय शक्तियों को संगठित कर साम्राज्य की स्थापना करने चाणक्य चले थे।'' यह सत्य है कि जब एक राष्ट्रभक्त की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय अर्थवादी चिंतन की असाधारण प्रतिभा का दूसरे राष्ट्रभक्त की अजेय साहसिक शक्ति से सायुज्य होता हैं तब इतिहास को नया मोड़ एवं आयाम देने वाला 'चाणक्य–चन्द्रगुप्त' युग बनता है और वह न सिर्फ भारत को विदेशी आक्रांताओं से रक्षित करता है अपितु देश के स्वानुशासित राज्यों को राष्ट्रहित में अनुशासित एवं एकीकृत करते हुए समूचे विश्व के समक्ष अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था के साथ स्वर्णयुगीय साम्राज्य स्थापित कर देता हैं। पण्डित जी इस युग निर्माता युग्म से कितने प्रभावित थे यह उनकी पुस्तक 'चन्द्र गुप्त' की इन पंक्तियों से स्वतः स्पष्ट हो जाता है– ''आज से चौबीस सौ वर्ष पूर्व मौर्य शासन इतना विकसित रूप कैसे उपस्थित कर सका, आज के विज्ञान के अविष्कारों के न होते हुए भी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने शासन की

आधुनिकतम् प्रणालियों का उपयोग किया। यदि हम इसका पूर्ण विवरण जानना चाहते हैं, तो हमको सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, सहयोगी एवं गुरू विष्णुगुप्त कौटिल्य के अपूर्व ग्रंथ अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए। इसमें न सब विषयों का वर्णन है जिनसे कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली हो सकता है। इसमें किसी तत्त्ववेत्ता की मनःसृष्टि के काल्पनिक सिद्धान्त नहीं है; किन्तु एक सूक्ष्मदर्शी ऋषि, यर्थाथवादी विचारक तथा क्रांतिकारी कर्मयोगी के विचार हैं। राज्य के उत्थान–पतन के कारणों की विवेचना करके स्वयं राष्ट्र निर्माण करने वाले कूटनीतिज्ञ तपस्वी के अनुभूत प्रयोग हैं। मनोविज्ञान, राजनीति, अर्थनीति के सिद्धान्त हैं, जो व्यवहार की कसौटी पर कसे जा चुके हैं।'' इसके अतिरिक्त उसी पुस्तक में चाणक्य का चन्द्रगुप्त से यह कथन–'' आज देश को आवश्यकता है तो तुम उसकी पूर्ति के लिए सम्राट बनोगे, कल आवश्यकता होगी तो उसी के लिए भिक्षुक भी बनना पड़ेगा'' तथा मगध के सम्राट नन्द के महामंत्री (अमात्य राक्षस) से चाणक्य का यह कथन–''राजा का व्यसनी होना तो देश के लिए घातक है, अमात्यवर! नन्द का उच्छेद अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए करना होगा'', पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की शासक के व्यवहार एवं कार्य की महत्वपूर्ण काल निरपेक्ष सोच को इंगित करता है।

तक्षशिला में बौद्ध विद्वानों के समक्ष पण्डित जी ने जगद्गुरू शंकराचार्य के श्रीमुख से जो अकाट्य तर्क प्रस्तुत कराया हैं, वह उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वैज्ञानिक सोच के साथ अटूट आस्था का परिचायक है–''प्राचीनता के गौरव के लिए लोग तरसते है, और आप अपने गौरव को नष्ट करने पर तुले है। स्वतंत्रता की चाह को समाप्त करने का सबसे सरल मार्ग है–राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का विनाश। एक भी उदाहरण बताओ जहां परम्परा शून्य हृदय में स्वतंत्रता की अभिलाषा जगी हो। आप इस पूण्य भूमि हिन्दुस्तान के निवासी आर्यों की संतान हैं, प्राचीन परम्परा के मानने वाले हैं, राम और कृष्ण की संतान हैं, अतः हिन्दु हैं, भगवान बुद्ध की आत्मा का आपने साक्षात्कार किया है अतः बौद्ध है, विष्णु के अवतार बुद्ध के पुजारी होने के कारण वैष्णव हैं और राष्ट्र के शिव की आराधना आपको शैव भी बनाएगी।

'एकात्म मानववाद' के सृजन की पृष्ठभूमि तो पण्डित जी के मन–मस्तिष्क में प्रस्थानत्रयी की चेतना के साथ इन दोनों औपन्यासिक कृतियों के सृजन की भावभूमि के साथ ही प्रारम्भ हो गई थी, परन्तु उसे और स्पष्टता मिलती है सिद्धान्त और नीति' की ही प्रस्तावना में लिखे पण्डित जी के ही शब्दों द्वारा ''विदेशी अवधारणाओं के

प्रतिविम्ब पर आधारित मानव सम्बन्धी अधूरे और अपुष्ट विचारों के मुकाबले विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का सम्पूर्ण विचार भारतीय दृष्टिकोण से नए सिरे से सम्बद्ध करने का काम हम प्रारम्भ कर रहे है।''

पण्डित जी ने भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के अनुशीलन के साथ उनका तार्किक विश्लेषण भी किया। उनका मानना था कि सब तत्त्व ज्ञानों सहित वेदान्त तत्त्व का स्त्रोत वेद मंत्र ही हैं। वैदिक दर्शनों में कणाद–भौतिकवाद का, कपिल–द्वैतवाद तथा गौतम नीरस तर्क का आश्रय लेकर संसार में द्वैधी भाव, अनास्था और अविश्वास का प्रचार कर रहे थे। ऐसे समय में देश की समस्त बुराईयों को दूर कराने तथा वेदों का सारगर्भित अर्थ प्रकट करने के लिए तीन नये दर्शनों की रचना हुई–पतंजलि का योग दर्शन, जैमिनी का मीमांसा दर्शन तथा बादरायण का वेदांत दर्शन। वेदान्त दर्शन इन सबमें प्रमुख है।

जहाँ उनकी सोच में अध्यात्मिकता की अथाह गहराई हैं वहीं यथार्थ का सपाट रूप भी हैं। उनकी पुस्तकों से ही सूक्ति रूपीय कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं–

''आदि भौतिक शक्ति को जब आदि दैविक भावना का पुट दिया जाता है, तभी आध्यात्मिक दृष्टि उत्पन्न होती हैं।''

''काशी की गंगा और हरिद्वार की गंगा एक है। दोनों को कौन अलग करेगा ? कितनी है उनमें भिन्नता, फिर वे समान हैं, उनका स्त्रोत समान है, ध्येय समान है, पुण्य प्रदायिनी तथा पापनाशिनी शक्ति समान है, यही है भेद में अभेद, भिन्नता में अभिन्नता तथा अनेकत्व में एकत्व।''

''न्याय और सत्य के पीछे शक्ति का रहना आवश्यक है। बिना सत्य के शक्ति अंधी होती है, और बिना शक्ति के सत्य पंगु।''

''आंदोलन के अनुरूप शक्ति संचित हुए बिना आंदोलन छेड़ना असफलता और विनाश मोल लेना है।

उनका कहना था हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, केवल भारत नहीं। माता शब्द हटाकर देखिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र रह जायेगा। पण्डित जी की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की सोच, आज और अधिक प्रसंगिक हैं। उदाहरण देखिए–''बिना सांस्कृतिक एकता के, बिना विचारों के एकछत्र साम्राज्य के राजनीतिक एकता टिकाऊ नहीं होती। राजनीतिक एकता के मूल में

सांस्कृतिक एकता चाहिए। सांस्कृतिक एकता हुई तो फिर राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न करने वाले वीर जन्म ले सकते है। सांस्कृतिक एकता के होते हुए राजनीतिक भिन्नताएं भी राष्ट्र कर गला नहीं घोट सकती।''

पण्डित जी जहां राष्ट्रवाद को प्रेरणा तथा सुशासन एवं विकास से अन्त्योदय को राष्ट्र का लक्ष्य मानते थे, वहीं किसानों की आत्मनिर्भरता को भारतीय लोकतंत्र की नीव मानते हुए कृषि पद्धति में यथोचित सुधार एवं नवीन खोज की आवश्यकता पर बल देते थे। उनका कहना था कि प्रगतिशील तथा ग्राह्य तकनीकी वहीं है जो बेकारी मिटाये, विषमता घटाये तथा प्रदूषण से बचाये। उनकी स्पष्ट सोच थी कि राष्ट्र के स्थायी हित में ग्रामोन्मुख विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग के माध्यम से सबको काम तथा सबको सम्मान के साथ ग्राम विकास, भारतीय अर्थनीति का आधार बने। उनका मानना था कि सामाजिक जीवन के अभ्युदय और व्यक्तिगत जीवन की सन्तुष्टि एवं सार्थकता तभी संभव होगी जब उत्पादन में वृद्धि तथा उपभोग में संयम होगा। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा एकांगी, भेद–निर्मात्री न होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को एकात्म कर शिक्षार्थी के चरित्र–निर्माण के साथ उसे राष्ट्रवादी एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाने वाली हो।

उनकी सोच, उनके विचारों का पुरश्चरण समय का आह्वान है। उनकी पुस्तकों–चन्द्रगुप्त, जगद्गुरू शंकराचार्य, राष्ट्रजीवन की दिशा, द टू प्लान्स, पोलिटिकल डायरी आदि एवं उनके नीति निर्धारक दार्शनिक चिन्तन 'एकात्म मानव दर्शन' पर वर्तमान नीति–निर्धारकों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों, और लोकसेवकों की दृष्टि जाय और उनके विचार राष्ट्रहित एवं लोकहित में समादृत हों, इसका समय आ गया है।

ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, चरित्रवान, निःस्पृन्ह, संयासी राजनेता, पत्रकार, दार्शनिक, नीति निर्धारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, एकात्म मानवतावादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुजारी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन है इस मंत्र के साथ– 'इदं राष्ट्राय इदं न मम'।

❑❑

mRrj izns'k fo/kku lHkk dh fofHkUu lfefr;ksa ds mn~?kkVu ds volj ij ek- v/;{k fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEcks/ku

mRrj çn'k fo/kku lHkk dh fo'k"kkf/kdkj lfefr d mn?kkVu d volj ij ekuuh; v/;{k] fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEck/ku fnukd 26 vDVcj] 2017

विशेषाधिकार समिति के सभी माननीय सदस्य और विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी, विशेष सचिव और हमारे कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण। संसदीय जनतंत्र के संवर्धन की दृष्टि से सदन की यह सबसे महत्वपूर्ण समिति है। सदन अपने कार्य संचालन के लिए अनेक समितियां बनाता है। तमाम समितियों का उद्देश्य वित्तीय नियंत्रण का होता है। यह समिति ब्रिटिश संसदीय परम्परा के समय से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है और इसको अपने कार्य संचालन में कोई बाधा न पड़े इस दृष्टि से संभवतः इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, इस समिति का गठन हुआ था। भारत का संविधान बन रहा था तब सदन के विशेषाधिकार पर चर्चा हुई थी और लम्बी चर्चा के बाद हमारे संविधान निर्माता विशेषाधिकार के लिए कोई सुनिश्चित परिभाषा करने पर सहमत नहीं हो पाए। इसलिए संविधान में लिखा गया कि संसद के विशेषाधिकार वही होंगे जो संविधान प्रवर्तन के दिन ब्रिटिश संसद के हैं। इस पर बाद में थोड़ी आलोचना भी हुई कि भारत के अपने संविधान में ब्रिटिश संसद का नाम लिखना उचित नहीं होगा। अनेक बार पत्रकार भी विशेषाधिकार की चपेट में आए। पत्रकार संगठनों की मांग रही है कि विशेषाधिकार को परिभाषित कर दिया जाए, परिभाषा होगी तो उन्हें सुविधा रहेगी। ऐसा उनका मानना है। संसदीय परम्परा को विकसित करने वाले और उसमें निष्ठा रखने वाले लोगों का मत था विशेषाधिकार को परिभाषित करना और उसके लिए अधिनियम बनाने से माननीय न्यायालयों को सुविधा हो जाएगी और वह अधिनियम के आधार पर मुकदमों की सुनवाई करना शुरू कर देंगे। ऐसे कई अन्तर्विरोध रहे जिसको लेकर विशेषाधिकार पर कोई सुनिश्चित अधिनियम बना ही नहीं लेकिन यह बहस तो रही कि हमारे संविधान में विशेषाधिकारों के लिए ब्रिटिश संसद का उल्लेख उचित नहीं। सन् 1971 में एक संविधान संशोधन आया और यह तय हुआ कि इससे ब्रिटिश संसद को हटाया जाए तो लोगों के मन में, विद्यार्थियों के मन में, पढ़ने वाले लोगों के मन में यह अनुमान आया कि अब संसद विशेषाधिकारों को अपने ढंग से परिभाषित करेगी। संशोधन में यह लिखा गया कि भारत के संविधान का संशोधन हुआ और भारत की संसद के विशेषाधिकार वही होंगे जो आज की

तारीख में भारत के हैं। इस तरह से वह ब्रिटिश शब्द हट गया लेकिन बात वही रही। कई बार हमारे विधायक प्रश्न उठाते हैं कि हमारे विशेषाधिकारों की अवमानना हुई है जैसे डी.एम. से बात करने गए डी.एम. खड़े नहीं हुए, किसी से बात हुई तो उसने हमारी बात नहीं मानी, हमसे झगड़ा हो गया उस पर विशेषाधिकार, ऐसा अनेक बार हुआ है। अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि किसी माननीय सदस्य ने यहां विधान सभा में कोई प्रश्न उठाया। किसी अधिकारी के पास उस प्रश्न की जांच पहुंची तो मौका पाकर उस अधिकारी ने सदस्य को अपमानित किया कि तुम्हारा प्रश्न आया है, तुम प्रश्न बहुत करते हो तो यह सदन की कार्यवाही में प्रश्न आए ऐसा अधिकारी नहीं चाहता था। यह दिखायी पड़ता है कि विशेषाधिकार का मामला है लेकिन सामान्यतया विशेषाधिकार के नाम से तमाम मामले आते है और हम उनका परीक्षण कराते हैं जो मामला लगता है कि विशेषाधिकार के करीब है या प्रथम दृष्टया परीक्षण के बाद विशेषाधिकार हनन का बनता है ऐसे मामलों को हम इस समिति में लाते हैं। ऐसे मामले सदन की विशेषाधिकार समिति में आते हैं। यह ऐसा है कि जैसे उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय का काम कैसे चले इसके लिए एक और पावरफुल कमेटी है, तो यह एक ऐसी समिति है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सदन की कार्यवाही को ठीक से चलाने के लिए दृष्टि से और माननीय सदस्यों की गरिमा–महिमा को बढ़ाने की दृष्टि से भी। संविधान की पुस्तिका आप लोगों के पास भी होगी। एक–आध बार मैंने कहा भी है कि संविधान के अनुच्छेद 194 (3) में कहा गया है कि राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन की और ऐसे विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधान मण्डल समय–समय पर विधि द्वारा निश्चित करेगा और आगे कहते हैं कि जब तक वह इस प्रकार निश्चित नहीं की जाती तब तक वह वही रेंगी जो संविधान संशोधन की अधिनियम 1978 की धारा 26 के प्रर्वत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों की उनकी समितियों की थी। अनुच्छेद 194 (1) में सबसे बड़ी बात कही गयी है कि सदन में परिपूर्ण वाक् स्वतंत्रय होगा, बोलने की स्वतंत्रता होगी। सदन में कही गयी किसी बात के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा सदस्य पर नहीं चलाया जा सकता। इस तरह का संरक्षण बड़ा संरक्षण है। हम आप कोई बात बाहर किसी के लिए अपमानजनक कह दें तो उसका अधिकार है कि वह अपने अपमान के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। पुलिस उसका संज्ञान ले सकती है लेकिन सदन के भीतर कही गयी कोई बात या समिति में कही गयी कोई बात किसी भी तरह से कानून की परिधि में नहीं आती

है। तो अगर आपने यहां कोई बात कही और उसके लिए बाहर आपको कोई यहां कही गयी किसी बात के बदले में तंग करता है तो यह भी सदन के विशेषाधिकार की अवमानना माना जा सकता है। ऐसे उदाहरण देकर मैं केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी समिति अन्य समितियों से भिन्न प्रकार की है और विधान सभा की संसदीय प्रणाली की, हमारे अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से विशेषाधिकार का प्रावधान इसमें किया गया है। इस दृष्टि से विशेषाधिकार की यह समिति और जितनी भी समितियां हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है। हम सब इसके सदस्य हुए हैं। हममें से अनेक मित्र पुराने हैं, अनेक नए हैं और इस समिति में आए हैं। इस समिति की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने की दृष्टि से यह पुस्तिका है। इस समिति के विचारार्थ आने वाले मामले सदन के भीतर से भी आते हैं और सदन के बाहर से भी आते हैं। इस तरह से कोई भी माननीय सदस्य इस तरह के मामलों के लिए जब सदन चल रहा हो तो सदन में नोटिस देते हैं और जब सदन न चल रहा हो और उसके विशेषाधिकार भंग होने की घटना उसके ध्यान में आती है जो विधान सभा के अवमानना से जुड़ी है या विधान सभा के कर्तव्यों के कारण उसके विरूद्ध हुई है। शेष दिनों में भी जब सत्र नहीं चलता है तब भी, बाहर से भी यह सूचना आती है और उसके परीक्षण के बाद समिति में लायी जाती हैं। परीक्षण के दौरान अगर यह पाया जाता है कि विशेषाधिकार हनन जैसी कोई बात नहीं है तब समिति में प्रकरण नहीं आता है। तब समिति को यह अधिकार है कि जब मामला आ जाता है तो सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर हम यहां साक्ष्य लेते है और साक्ष्य के बाद अपनी रिपोर्ट देते है। इस तरह से हमारा–आपका दायित्व और कर्तव्य कई मामलों में बड़ा ईमानदारी भरा हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे न्यायपालिका के कुछ सदस्य बैठे हैं और न्यायपालिका के अपमान पर बात होने लगे तो सारे सदस्य सोचेंगे कि जिसने अपमान किया है उसके विरूद्ध दण्ड दिया जाये और जो न्यायपालिका के संविधान निष्ठ सदस्य होंगे वह सोचेंगे कि हम तो न्याय की पीठ का भाग बन कर बैठे हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम न्याय के हित में सोचें, हमारे संवर्ग के साथ अन्याय हुआ ऐसा न सोचें। यहां भी हमारी–आपकी जिम्मेदारी होगी कि यदि माननीय विधायक से जुड़ा कोई प्रसंग आता है तो यह सोचना कि हमारे विधायक के साथ कोई घटना हुई और यह सोचना संवैधानिक है कि क्या वह विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है या नहीं आता हैं। स्वाभाविक ही हमको संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में आदर्श स्थापित करना चाहिए और जो सही हो, सत्य हो उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको बधाई कि आप इस समिति के

सदस्य हैं और अन्य समितियों की तुलना में हमारे पास पेण्डिंग काम नहीं है। इधर कई समितियों का उद्घाटन मैं कर चुका हूँ समितियां काम करना प्रारंभ कर चुकी हैं। कहीं–कहीं पर सन् 1990 से पिछड़ा काम भी है। कहीं–कहीं पर बहुत पुराना काम भी है। इस समिति के पास बहुत लम्बित काम नहीं है और अगर होगा भी तो हम–आप लोग थोड़ा देर तक बैठ लेंगे। अभी कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि काम ज्यादा है। यह समिति महत्वपूर्ण है इसलिए हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने इस समिति को विधान सभा के उपाध्यक्ष के अधीन रखा है। कई समितियां ऐसी हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया है उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अधीन कर दिया गया है बाकी समितियों में अलग से सभापति होते है। इस समिति में जब तक उपाध्यक्ष नहीं है तब तक मैं इसका काम करता रहूंगा। मैं आपका सहयोगी हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि समितियों के माध्यम से भी आप सबसे भेंट होती रहेगी। आप सभी विशेषाधिकार के प्रसंग को, विशेषाधिकार समिति से जुड़े विषयों को ठीक से जानेंगे तो उत्तर प्रदेश में विधायिका की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं इन शब्दों के साथ इस समिति का आज औपचारिक उद्घाटन करता हूँ। 17वीं विधान सभा की यह विशेषाधिकार समिति है और आपके सामने चाय का प्रसंग आ चुका है और यदि इस बीच आपके मन में कोई प्रश्न आए तो अनौपचारिक रूप से पूछ सकते है। दुबे जी बैठे है आप उनसे पूछ सकते हैं और हम से भी अगर कुछ पूछना हो तो हम बताने को तैयार हैं।

अब आज की बैठक की कार्यवाही स्थगित की जाती है, आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

❑❑

mRrj çn'k fo/kku e.My dh lko tfud miØe ,o fuxe l;Dr lfefr½2017&18½d mn?kkVu d volj ij ekuuh; vè;{k fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEckèku fnukd 26 vDVcj] 2017

सार्वजनिक उपक्रम समिति की इस बैठक में सभी माननीय सदस्यगण, आपके सभापति मा. यादव जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव दुबे जी और विधान सभा के अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण, विधान मण्डल की यह समिति है, इसमें दोनों सदनों के माननीय सदस्य मिलकर काम करते हैं। यह पहली बैठक है उद्घाटन की, इसलिए आप सब से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठे ही बैठे अपना नाम और क्षेत्र बतायेंगे तो आपस में परिचय हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय एवं इस समिति के सभी माननीय सदस्यगण। हम सबका सौभाग्य है कि विधान सभा की एक तरह से श्रेष्ठ समिति में काम करने का अवसर आया है। श्रेष्ठता इस अर्थ में कि उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के आय–व्यय के खातों की जांच यह समिति करती है। आडिट जनरल की तरफ से राज्य के प्रतिनिधि यहाँ बैठक में उपस्थित होते हैं। वह सम्बंधित खातों के बारे में कतिपय आरोप लगाते हैं। शासन की तरफ से उनका उत्तर आता है। उनके आरोप और शासन के उत्तर के बीच में यह समिति खड़ी होती है कि क्या शासन द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक है या लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है। भारत के संविधान निर्माताओं के मन में बहुत गहराई तक लोकतंत्र को मजबूत करने का सपना था उसी आधार पर संविधान में तमाम संस्थाओं का गठन हुआ। संसद और विधान मण्डल भारतीय जनतंत्र की आदर्श संस्थायें हैं। विचार–विमर्श के माध्यम से जनतंत्र को मजबूत करना और जिस काम के लिए राजकोष जुटाया जाता है सरकारें आम जनता से राजकोष जुटाती है और यही उनकी आमदनी होती है। उस धन को किस प्रकार से किस मद में खर्च किया जाये यह काम केंद्रीय स्तर पर संसद तय करती है और राज्य स्तर विधान मण्डल तय करते हैं। बजट पारित होता है बजट के प्राविधान स्पष्ट करते हैं कि किस मद में किस काम के लिए बजट खर्च किया जाना है। सरकारी तंत्र प्रायः गलती करता है। कभी–कभी बिना जानकारी के गलती हो जाती है और बहुधा जानबूझकर किसी निहित स्वार्थ में भी गलतियाँ होती है। दोनों तरह की गलतियाँ पकड़ना हमारा काम है। और ऐसा करके जनतंत्र की

सेवा में हम स्वयं को सफल मानते है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस समिति का सभापति रहा हूँ और समिति के सभापति के रूप में जब यहाँ पर गहन विचार–विमर्श हुआ करता था और तब में और अब के समय में एक पीढ़ी का बदलाव आ गया है। उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कम लोग सदस्य के रूप में आते थे लेकिन अब कुछ परिवर्तन हुआ है। बहुत विद्वान लोग आ रहे हैं। जिस सदन का मैं अध्यक्ष हूँ उस सदन में उच्च शिक्षा प्राप्त कई मा. सदस्य दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेरा विश्वास बढ़ा है कि इस सदन की कार्यवाही जैसे हम लोगों ने कभी निबटाई थी उसकी तुलना में अबकी बार और अच्छी तरह से होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आप लोग इस सदन में बैठेंगे और जिम्मेदारी को पूरा करने की दृष्टि से बैठेंगे तो धीरे–धीरे इस काम में आपको आनंद आने लगेगा। मैं बहुधा मनोविज्ञान की चर्चा करता हूँ। मनोविज्ञान का सूत्र है कि किसी व्यक्ति को अपनी रूचि का काम करने में अधिक थकान नहीं होती और अगर काम पसंद न हो तो चाहे उस काम हो वह अधिक देर तक उस काम को नहीं कर सकता है चाहे उस काम की जगह पर कितनी ही सुविधायें क्यों न हों। जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो चाहे वह हमारी रुचि के विपरीत हो या अनुकूल हमें करना ही पड़ता है जैसे आप विधान सभा के सदस्य हैं तो वहां आने का पहला मकसद यह होता है कि एक तो दायित्व का निर्वहन करना है और अगर आनंद आने लगे तो आप वहाँ बैठकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर श्री चेत नारायण सिंह जी, श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और श्री यज्ञदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। यह सभी विधान परिषद के मा. सदस्य हैं। यह सभी काफी जानकार हैं। मैं भी काफी लम्बे समय तक विधान परिषद में रहा हूँ। जो भी मित्र यहाँ हैं यह काफी जानकार हैं। तो हम सब मिलकर यहाँ का काम करेंगे। मा. सदस्यगण, समिति की कार्यप्रणाली विधान सभा की कार्यप्रणाली से थोड़ा भिन्न होते हैं। विधान सभा में हम सत्तापक्ष और विपक्ष के रूप में मा. सदस्य बैठते हैं। वहाँ पर सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है और विपक्ष वहाँ पर यह बताता है कि आपका यह–यह काम ठीक नहीं हैं। लेकिन समिति में कोई सत्तापक्ष या विपक्ष नहीं होता है। आपके सामने आडिट की एक रिपोर्ट आती है और भी कागज होते हैं। उनका अध्ययन करना होता है और उसमें यह देखना होता है कि उक्त धन नियम के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं। मानक के अनुसार काम हुआ है या हुआ है। मानक के अनुसार स्वीकृतियाँ हुयी हैं या नहीं हुयी हैं। कभी–कभी यह भी देखने में आता है कि जो पहले से काम हो चुका है उसकी दोबारा स्वीकृति हो गयी है। मैं तथ्यों के आधार पर तो नहीं अनुमान के आधार पर कह सकता हूँ कि इस समिति का काम

भी पिछड़ा होगा। पूर्व में जो सार्वजनिक उपकृम समिति रही हैं उन समितियों में कितना काम हुआ हैं और कितना पेंडिंग है। अभी बताया गया कि 1990–1991 से इसमें काम पिछड़ा हुआ है और इस समय 2017 चल रहा है। कितने साल हो गये हैं। लगभग 26 साल हो गये हैं। तो इन सब कामों को पूर्ण करने के लिए आपकों बैठना पड़ेगा। जो पुराने काम पेण्डिंग हैं उनको जल्द निपटाने के लिए आप कोई पद्धति विकसित कर लें ताकि इन कामों को जल्दी निपटाया जा सके। हो सकता है कि उक्त वर्षों में उक्त पेंडिंग कार्यों का रूप या आकार बदल गया हो या किया गया काम ढह गया हो तो इसमें मेरा सुझाव है कि समिति की बैठक प्रायः 1–2 घण्टे चलती है और बीच–बीच में मा. सदस्य अपने कार्यों जैसे किसी अधिकारी से मिलना है या कोई कागज देना है आदि कार्यों को कराने के लिए धीरे–धीरे जाने लगते हैं तो फिर कार्यवाही गड़बड़ हो जाती हैं तो इसमें हम लोग कोशिश करके यह निर्धारित कर लें। मुझे बताया गया है कि महीने में 2–2 दिन की बैठक बुलाते है और अगर फिर अगले दिन बैठक बुलाते हैं तो टी.ए. की बात की अड़चन आ रही है। तो हम इस पर विचार कर लें कि हमारी समिति का काम पिछड़ हुआ है इसलिए अगर और भी अधिक दिन बैठक बुलाते हैं तो मा. सदस्यों को किस प्रकार से टी.ए. मिलना चाहिए। यह व्यवहारिक भी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बैठक में जो हमारे सामने विषय आता है उस विषय को जल्दी पढ़कर जहाँ भी आवश्यक लगे वहाँ पर पेन से अंडरलाइन करके अपने सवाल बनाकर उन सवालों को फौरन पूछ लेना चाहिए और सत्ता पक्ष के विधायकों को मैं कहूँगा कि उनके मन में यह बात न जाय कि वह सत्ता पक्ष के हैं इसलिए वह यहाँ सवाल नहीं पूछ सकते हैं। यहां सत्ता पक्ष–विपक्ष इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो नए मा. सदस्य हैं उनके लिए बता दें कि इधर सामने जो विभाग साक्ष्य के लिए बुलाया जायेगा उस विभाग के अधिकारीगण बैठेंगे और अधिकारीगण ही आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। विधान सभा की समिति के विशेषाधिकार भी वही हैं, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के हैं, इसलिए अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह जो बातें रख रहे हैं वह ठीक ही कहें, अगर कोई बात अनुचित या असत्य पाई जाती है, तो उस पर कानूनी कारवाई करने का प्रस्ताव करने का भी समिति को, आपको अधिकार है, बस केवल बात पकड़नी है कि वह क्या झूठ बोले हैं। वह झूठ बोले, इस आधार पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वह झूठ बोले और अभिलेख में आ गया, इस आधार पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करने की शक्ति आपको है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का जनतंत्र, भारतीय संस्कृति जनतंत्र का बड़ा काम

है, संसद का और अपने विधान मण्डल का, इसका बहुत बड़ा काम समितियों के माध्यम से निस्तारित होता हैं। जो नए विधायक होंगे, उनके लिए मैं उदाहरण दूँगा, हम यह बात सदन में आपके प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रायः कह देते हैं कि आप बैठिये, आपका यह काम देख लिया जायेगा, तो नया सदस्य यह समझता है कि मंत्री जी टाल देंगे, कई बार शोर के बीच यह मा. मंत्री जी कहते हैं कि इसको दिखवा लेंगे, बैठिये, इस पर विचार कर लेंगे, तो यह देख लेंगे, दिखवा लेंगे, विचार कर लेंगे, जब धन होगा तब देख लेंगे, इस तर के छोटे–मोटे वाक्य विधान सभा की आश्वासन समिति का भाग बन जाते है, इसलिए एक दिन मैंने कहा था जब प्रशिक्षण दे रहा था कि अच्छा विधायक वह माना जाता है जो प्रश्नोंत्तर के दौरान मंत्री के मुँह से कोई इस तरह की बात कहलवा ले, कैसी बात? मंत्री के मुँह से यह बात निकले कि देख लेंगे, इसको दिखवा लेंगे, इस पर विचार कर लेंगे, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेंगे, इस पर सबको बुलाकर विचार कर लेंगे, इस पर अधिकारियों की बैठक कर के बतायेंगे आपको। अब यह मंत्री तो वहां पर कह गये, लेकिन मंत्री इस काम को नहीं करते, यह जनतंत्र का कमाल हैं, फिर पूरा का पूरा उस दिन का कार्यवाही का भाग आश्वासन समिति को चला जाता है, एक उदाहरण है आश्वासन का और फिर आश्वासन समिति के सदस्य इस पर विचार करते हैं तो एक बड़ा काम है सदन का जो समितियां करती हैं और सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही आपकी कार्यवाही के बिना अधूरी है। आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन विधान सभा में रखा जाता है और विधान सभा चाहे तो इस प्रतिवेदन का गम्भीर विचार–विमर्श करते हुए कार्रवाई करे और करते भी हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण समिति के सदस्य आप सब हुए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत–बहुत बधाई। अन्तिम बात, भारत का संविधान रखते समय और उसके भी पहले से ज्ञात इतिहास में हमको ध्यान आ सकता है चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन का, चन्द्रगुप्त मौर्य की नौकरशाही की प्रशंसा और उस समय के काम–काज की प्रशंसा तमाम चीनी यात्रियों ने की, लेकिन तब से लेकर अब तक नौकरशाही का स्वरूप जनोनमुखी नहीं है। यह बात मैं बहुत सोंच–समझकर आपसे कह रहा हूँ, इस पद पर हूँ, इस पद से कदाचित नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आपकी सबकी उपस्थिति में उत्साहित होकर के, नौकरशाही का स्वरूप जनोनमुखी नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि हमारी विधायी संस्थायें पार्लियामेण्ट, राज्यसभा, हाऊस आफ दि पीपुल लोक सभा, विधान सभा, विधान परिषद् और उससे निकलने वाली तमाम छोटी–छोटी अनुषंगी संस्थायें जैसे यह कमेटी, ऐसे सारे तंत्र के माध्यम से, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनोनमुखी होता ही है,

उस पर बहस नहीं हो सकती, जो उस पर बहस चलाते हैं कि अमुक विधायक कम ठीक है, अमुक संसद कम ठीक है, अमुक विधान परिषद् सदस्य कम ठीक है, यह बहस ही गलत है, उसके काम करने के ढंग में गलती हो सकती है, कोई देर से सो कर उठ सकता है, कोई देर रात तक काम करता है, कोई सप्ताह में दो ही दिन का समय देता है, यह अगल–अलग सबके स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन वह जो भी काम करता है, उसका सम्बन्ध आदरणीय जनता के हित से ही होता है और यह काम कराने के लिए हमारी संसदीय प्रणाली में नौकरशाही एक अधिकारी तंत्र है और उस अधिकारी तंत्र को जनोनमुखी बनाना यह एक कठिन काम है और हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि अधिकारी तंत्र जनोनमुखी बने, संवेदनशील बने। सरकार का अधिकार नीति बनाना और नीतियों को क्रियान्वित करना होता है, तो सरकार नीति बनाती है, बना भी रही है, नीतियों का क्रियान्वयन सरकारी तंत्र के जिम्मे होता है, जब नीतियां सरकारी तंत्र के पास पहुँचती हैं, तो सरकारी तंत्र उसमें अपनी अगर उसके पास योग्यता है तो अपनी योग्यता मिलाता है, अगर आलसी है तो आलस्य मिलाता है, अगर निःस्वार्थी है तो अपना निःस्वार्थ मिलाता है, अगर बेईमान है तो उसमें अपनी बेईमानी का गुणधर्म मिलाता है, तो जो सरकारी नीतियां सम्माननीय कैबिनेट के माध्यम से बनकर जाती हैं नीचे की तरफ, उनमें तमाम मिलावट हो जाती है। गंगा गौमुख से चलती हैं और कानपुर जैसे ही क्रास करती है तो गड़बड़ हो जाता है, तो वह जो सरकारी नीती चलती है प्योर फार्म में, उसमें हमने गिनाया है, सरकारी तंत्र उसमें अपना–अपना गुणधर्म मिलाया करता है, अब यह जिम्मेदारी हमारी–आपकी आती है कि सरकारी तंत्र को उन्हीं नीतियों से जो पालिसी एडाप्ट की गई हैं, बहुमत प्राप्त जनादेश प्राप्त सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां, उनका क्रियान्वयन कैसे हो। तो हमारे संविधान निर्माताओ ने एक कल्पना की थी, सपना देखा था कि हमारी विधायी संस्थायें नौकरशाही पर नियंत्रण रखेंगी और यह एक सब्जेक्ट भी है, इक्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर का कन्ट्रोल हो, यह दुनिया की संसदीय परम्पराओं में मुख्य विषय है अध्ययन का कि आप सबका कन्ट्रोल उन पर हो, लेकिन थोड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है, हम अपने को बरी कर सकते हैं छः महीने से, हममें से अधिकांश सदस्य किसी अधिकारी के पास जाते है, उस अधिकारी द्वारा ठीक बात–चीत नहीं होती है, उनको हम ठीक बात बतातें है, वह ठीक बात नहीं मानी जाती है, जो वार्तालाप का स्वर होता है वह कभी–कभी गड़बड़ा जाता है, प्रायः वह खलनायक जैसा हो जाता है, तो उसका उपाय क्या है, एक उपाय यह हो सकता है कि हम किसी बड़े वरिष्ठ के पास जायें और कहें उसको हटवा दीजिए, तो यह

हटवा देना कोई उपाय नहीं है, उपाय यह है कि यह सभी लोग ठीक से काम करें। मैं चूँकि इस समिति का सभापति रहा हूँ इसलिए इस समिति की कार्यवाही का ठीक से सहभागी रहा हूँ, यह समिति ठीक से काम करे और एक–एक बिन्दु पर ठीक से काम करे और मुझे नहीं ज्ञात आता है, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए लेकिन मेरा मन कहने का है, गलत होगा तो गलत होगा।....

इस समिति के दौरे में एक बार मैं हमीरपुर गया था हमारे साथ मा. सदस्य भी थे। वहाँ के परगनाधिकारी मिलने नहीं आये जबकि उनको शिष्टाचार के रूप में मिलने आना चाहिए था। केवल इतनी सी बात थी। मा. श्री अशोक चंदेल जी अब भी विधायक हैं। वह उस समय उस समिति के सदस्य थे। संभवतः वह इलाका या क्षेत्र उनका ही पड़ता है। तो उन्होंने इस बात को प्वाइंट आउट किया। उनको मिश्रा जी द्वारा फोन भी किया गया तो उन्होंने कहा कि अरे यार ऐसे ही किसी तरह उनको समझा लो हम कहाँ आयें। लेकिन वह शिष्टाचार में मिलने नहीं आये। यह विषय कोई इतना बड़ा गंभीर नहीं था। लेकिन जब समिति ने इसको गंभीरता से लिया और फिर बैठक में इसका उल्लेख आ गया। चित्रकूट के डाक बंगले में समिति ने तय किया कि इनको आना चाहिए और वह नहीं आये तो यह गलत है। तो इनको समिति में बुलाकर इनके न आने का कारण पूछा जाएगा। तो इसी कक्ष में उनको बुलाया गया तो वह बुलाने से भी नहीं आये। तो फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया कि उनको पुलिस के माध्यम से यहाँ लाया जाये। अब यह बड़ी घटना हो गयी। तो फिर उनको समिति के समक्ष लाकर खड़ा किया गया। मेरे कहने का आशय यह है कि आपकी समिति को कोर्ट की तरह कार्यवाही करते हुए किसी भी अधिकारी को बुलाने का भी अधिकार है। अच्छा तो यह होगा कि इस अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता ही न पड़े। भारत में सभा और समिति का ऋग्वेदिक काल से ही बड़ा पूजनीय स्थान रहा हैं। ऋग्वेद में नवे मण्डल में एक स्त्री चन्द्रमा से प्रार्थना करती है कि हमें कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो सभा में जाने लायक हो। तो सभा में सुन्दर विषय रखने में और फिर समितियों में निर्णायक काम करने में यह सभा और समितियाँ यह दोनों बृहम्मा जी की दोनों पुत्रियाँ मानी जाती है कि यह दोनों पुत्रियाँ ठीक काम करेंगी तो संसार ठीक चलता है। सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र हुयी तो फिर महाभारत हो गया। सभा में जब उत्तर प्रत्युत्तर हो तो कभी भी आपको बहुत गुस्से में नहीं आना चाहिए और पूरी प्रमाणिकता के साथ जहाँ कहीं गलती मिले और जितनी गलतियाँ पकड़ी जायेंगी उतना ही उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण होगा और

उतना ही विधायिका का काम अच्छा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस समिति का औपचारिक रूप से उद्घाटन करता हूँ और सभी वरिष्ठ सदस्यों तथा जो पहली बार चुनकर आये हैं उनके प्रति स्नेह व्यक्त करता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

ठीक है, आज की बैठक समाप्त की जाती है,आप सभी को धन्यवाद।

❑❑

mRrj çn'k fo/kku lHkk dh efgyk ,oa cky fodkl lEcUèkh l;Dr lfefr d mn?kkVu d volj ij ekuuh; v/;{k] fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEck/ku fnukd 31 vDVcj] 2017

उत्तर प्रदेश विधान सभा की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की मा. सभापति जी, इस समिति में सम्मिलित विधान सभा एवं विधान परिषद् के मा. सदस्यगण, प्रमुख सचिव, विधान सभा, अन्य अधिकारीगण। हम में से जो पुराने मा. सदस्य है कि विधान सभा अपने तमाम काम समितियों के माध्यम से करती है। विधान सभा तथा विधान परिषद् में बहुत से विषयों पर पूरे समय चर्चा करने का अवसर नहीं होता है क्योंकि वहां पर तमाम सारे विषय होते है और बहुत से मा. सदस्य वहां की कार्यावाही में प्रतिभाग करना चाहते हैं। विधान मण्डल में सत्तापक्ष और विपक्ष आमने–सामने बैठता है और वाद–विवाद के दौरान कभी–कभी यह स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि विपक्ष के सदस्यों का सदन के वेल में आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। समिति प्रणाली में सत्तापक्ष और विपक्ष नहीं होता है क्योंकि सभी सदस्य एक तरफ बैठते हैं और यदि समिति की बैठक में साक्ष्य हेतु शासन के अधिकारी बुलाये जाते हैं तो वह उनके सामने बैठते हैं। विधान सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो मंत्रीगण जवाब देते हैं, समितियों में मा. सदस्यों के जवाब अधिकारीगण देते हैं। और वह भी सवाल–जवाब हम उनसे एक मर्यादा में रहकर ही करते हैं। क्योंकि जैसे कि विधान मण्डल में जो कुछ भी बोला जाता है उसकी पूरी कार्यवाही बनती है उसी तरह से समितियों की कार्यवाही भी लिखी जाती है और उसमे उनके उत्तर भी कार्यवाही का भाग बनते है। आप समिति की बैठकों में उनसे तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। समिति की बैठकों के दौरान बहुत सी बातें अधिकारियों से सवाल–जवाब और गहन विचार–विमर्श के उपरांत हमारे संज्ञान में आ सकती हैं जिस पर समिति का यह विचार बनता है कि इन पर सरकार को सुझाव दिये जायें कि यह–यह कार्यवाही करने पर विचार कर लिया जाये ताकि जो नीतियां हैं नियम–कानून हैं उनका और अधिक कड़ाई से अनुपालन हो सके तथा कार्यों में गतिशीलता बढ़ सकें। इसके लिए सभी सदस्यों की राय के आधार पर समिति द्वारा एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का मसौदा तैयार किया जाता है और फिर उस रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा में वह रिपोर्ट अंगीकृत होने के उपरान्त उसकी प्रतियां विधान सभा के सभी मा. सदस्यों को जाती हैं।

समिति की जो संस्तुतियां थीं उन पर शासन द्वारा क्या कार्यान्वयन हुआ उसकी भी रिपोर्ट बनती हैं। समिति का प्रतिवेदन तैयार करते समय शासन के अधिकारी समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं केवल मा. सदस्य उसमें होते हैं और वह उस रिपोर्ट को उसमे अंकित अनुशंसाओं को अंगीकृत करते हैं। तथा यह सिफारिश करते हैं कि इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत कराया जाये। जैसा कि अभी बताया गया कि समिति के पास पिछली समिति के एक प्रतिवेदन का मसौदा पारण हेतु विचाराधीन है आप लोग जब उस प्रतिवेदन को देख लेंगे तो आपको समिति की कार्यप्रणाली का अंदाजा हो जायेगा कि किस तरह से समिति अपना काम करती है और क्या–क्या अनुशंसायें देती हैं।

मा. सदस्यगण, विधान सभा या विधान परिषद् में कभी–कभी यह भी देखने को मिल जाता है कि किसी विषय पर वाद–विवाद के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच लड़ाई–झगड़े की नौबत आ गयी और उसमें काफी समय व्यर्थ चला जाता है। परन्तु, समितियों की बैठकों में जो यह समिति कक्ष है यह स्थान झगड़े के नहीं हैं। यह हमारा अनुभव है कि यहां पर कोई झगड़ा नहीं होता है। आप लोगों के बीच कामकाज का अच्छा समन्वय बना रहेगा तो फिर बैठकें अच्छी होंगी शासन का पक्ष आपकी जानकारी में आयेगा और फिर उसके आधार पर आप अपनी जो रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत करेंगे उसमें अच्छी अनुशंसायें सामने आयेंगी और उनका कार्यान्वयन होगा। जिससे यह जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित विषय होंगे उसका लाभ उस वर्ग को मिलेगा। आपका जो विधान सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है उस पर सदन के माननीय सदस्गण सवाल भी खड़े कर सकते हैं और उसमें अच्छी बाते भी कह सकते हैं जिसका जवाब मा. मंत्री देते हैं। यहां पर उसके कार्यान्वयन पर अधिकारी जवाब देते हैं। इस तरह से समिति की बैठकें होना और समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होना महत्वपूर्ण होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो समिति है महिला एवं बाल विकास से संबंधित है यह समाज के लगभग आधे वर्ग से संबंधित है और उनका समग्र विकास कल का भारत हमारा विकसित भारत होगा और वह सब आप सबके प्रयत्नों का परिणाम होगा। अगर हम आप सब इस प्रयत्न में सचेत होकर कार्य होंगे तो परिणाम सुखद सामने आयेंगे यदि अचेत होकर या बेहोश होकर कार्य करेंगे तो फिर समाज में अच्छी स्थिति कैसे बन पायेगी। आज हम लोग देखते हैं कि समाज में जातियों का भेदभाव है महिलाओं के उत्पीड़न की घटनायें सामने आती है दहेज के प्रकरणों की शिकायतें देखने को मिलती हैं। बच्चों के सर्वागीण विकास की बातें बहुत जरूरी हैं। यह बात ठीक है कि हमारे पूर्वजों ने

अपने समय में देश के विकास के लिये और इन वर्गों के लिये जो ताना बाना बुना उसके सुखद परिणाम भी सामने है परन्तु आज के समय में ऐसा लगता है कि वह प्रयत्न अपूर्ण थे। हमें अब इस वर्ग के विकास के लिये एक नयी दृष्टि से देखना होगा हम सबके सामने एक नया अवसर अया है हम इस समिति के माध्यम से इनके विकास के लिये अच्छी तरीके से काम करे। उनके उत्थान के लिये हम क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को वह हम अपने प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को दें। आपको इस समिति में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता से करना है। आपको समिति की बैठकों में अधिकारियों से साक्ष्य लेने का लाभ भी है। जब आप प्रश्नगत विषयों पर अच्छी तैयारी के साथ पत्रावली का अध्ययन करके साक्ष्य लेते हैं तो अधिकारी भी समझते हैं कि इनको पूरी जानकारी है और फिर वह पूरे तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उससे आपकी एक परसनालिटी भी बनती है आप अधिकारियों से अपने क्षेत्रीय स्तर के काम भी करा सकते हैं।

सबसे बड़ी बात समिति की बैठकों में मा. सदस्यों की उपस्थिति की आती है। आप लोगों के सामने भी अन्य काम होते हैं शादी ब्याह में सम्मिलित होना होता हैं। परन्तु समिति की बैठकों में आपकी उपस्थिति और समिति के कार्यों में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। आप इसमें आकर शासन की नीतियों और कार्यक्रमों को ठीक से समझ सकते हैं। समिति के साहित्य और उसकी कार्यप्रणाली को समझने में कहीं कोई कठिनाई आती है तो समिति के अधिकारी आपकी सहायता के लिये यहां पर उपलब्ध रहते हैं। मैं भी उपलब्ध रहता हूँ आप मुझसे भी मिल सकते हैं। आपका जितना सहयोग समिति के कार्यों में मिलेगा उतना अच्छा कार्य होगा। हमें भी यह लगेगा कि यह समिति आगे आने वाले भारत के लिये इस वर्ग के विकास के लिये काम कर रही है।

आप लोगों को पता होगा कि गांव देहात में यह प्रथा भी देखने को मिलती है कि हम पेड़ लगायेंगे तो उसके फल हमारे नाती पोते खायेंगे। बहुत बार यह भी सुनने को मिलता है कि हम ही पेड़ लगायें और हम ही उसके फल खायें। परन्तु यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके कार्यों का लाभ वर्तमान को तथा आने वाले कल को भी मिले। हमारी आप सबको बहुत शुभकामनायें है आप अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करेंगे और समिति उपलब्धियां अर्जित करेगी ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

❑❑

mRrj çn'k fo/kku lHkk dh çkDdyu lfefr ds mn?kkVu ds volj ij ekuuh; v/;{k] fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEck/ku fnukd 31 vDVcj] 2017

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय जनतन्त्र के संचालन के लिए अनेक संस्थाएँ गठित की हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्था विधायिका है। संसद और विधान मण्डल, जब चाहें तब कार्यपालिका को अपने समक्ष जवाबदेह बना सकते हैं, बनाया करते हैं। संसद और विधान मण्डल की मुख्य रूप से जिम्मेदारी भी यही है। कार्यपालिका अथवा सरकार स्पष्ट बहुमत के आधार पर शासन करती है लेकिन बजट के पारण के लिए लोक सभा और विधान सभा के प्रति उसकी जवाबदेह होती है। विधान सभा अथवा लोक सभा के माध्यम से ही सरकार को यह शक्ति मिलती है कि वह आवंटित धन का प्रयोग करे। बहुधा ऐसा होता है कि इस प्रकार पारित बजट का सदुपयोग ठीक से नहीं हो पाता। यह सदुपयोग देखना भी विधायिका की ही जिम्मेदारी है क्योंकि यहाँ उपस्थित हम सब लोगों ने ही, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ही सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह अपने द्वारा घोषित कार्यों, अपने द्वारा घोषित मदों के अनुसार धनराशि को खर्च करें। चूँकि यह धनराशि इसी सदन द्वारा पारित होती है इसलिए यह सदन अनेक संस्थाओं के माध्यम से, अपनी समितियों के माध्यम से उस धनराशि के बारे में सरकार के प्रमुख अंगों, शासन के प्रमुख कर्ताधर्ता लोगों की जवाबदेह तय करता है। यह जवाबदेही जितना ज्यादा तय की जाती है, प्रश्न उठाए जाते हैं, प्रति प्रश्न उठाए जाते हैं, उतना ही ज्यादा राजकोष का सदुपयोग सुनिश्चित होता हैं। सारी दुनिया में जहाँ–जहाँ संसदीय संस्थाएँ हैं वहाँ–वहाँ यह माना जाता रहा है कि विधायिका को, लेजिस्लेटिव संस्थाओं को प्रशासन पर इसी माध्यम से नियंत्रण रखना चाहिए। एक बात इस विषय के बाहर होगी जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। हम सब यहाँ विधान सभा के सदस्य हैं और अपने रोज–मर्रा के कामों के लिए सचिवालय आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, जो कई बार जीतकर आए हैं। जैसे मा. नरेन्द्र वर्मा जी हैं और भी अनेक लोग है। हम लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में यह पाते हैं कि प्रशासन तंत्र हमारी सही बात को भी प्रायः महत्व नहीं देता इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये विषय के बाहर की बात है। मेरा अपना अनुभव वर्ष 1985 से लेकर अब तक, इस सदन का और दूसरे सदन का रहा है। जब किसी भी सदन में नहीं रहा तब भी एक

प्रतिष्ठित हैसियत में रहा। हमने ऐसा देखा है कि सरकारी तंत्र का रुख, सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण विधायिका के मा. सदस्यों के प्रति बहुत स्वागतपूर्ण नहीं रहता है। ऐसे में संविधान निर्माताओं और देश के स्वाधीनता दिलाने वाले हमारे पूर्वजों जैसे गाँधी जी, सरदार पटेल जी, लोहिया जी आदि के मन में यह कल्पना थी कि विधायिका का सरकार पर कण्ट्रोल होगा और इसी निमित्त कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। यह समिति भी उसी प्रकृति की है। प्राक्कलन समिति में हम जो विषय लेंगे, जो काम करेंगे उसी से हमारा नियंत्रण शासन– प्रशासन पर होगा। हम जितना ज्यादा मैक्रो और माइक्रो विश्लेषण करेंगे, समग्रता और पृथकता से विश्लेषण करेंगे, आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण करेंगे और आदर के साथ करेंगे तो उतना ही ज्यादा विधायिका का, विधान सभा का, विधान सभा के सदस्यों का सरकारी तंत्र पर नियंत्रण बढ़ेगा। सरकारी तंत्र पर विधायिका का नियंत्रण बढ़े यह हमारी, आपकी और सभी लोगों की जिम्मेदारी है। विधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते भी और उम्र के कारण भी हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। वैसे भी जो लोग उम्र के कारण बढ़े हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मेरा कहना है कि हम ऐसी परम्परा स्थापित करें ताकि आगे आने वाली प्राक्कलन समिति अथवा अन्य समितियां उससे प्रेरणा ले सकें क्योंकि यह एक कॉण्टीन्यूटी है कि आगे विधान सभा फिर आएगी, फिर समितियाँ बनेंगी, कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे लेकिन हम एक ऐसी परम्परा, एक ऐसी हनक और ठसक यहाँ बना जाएँ कि इस समिति के सामने साक्ष्य के लिए उपस्थित होने वाले अधिकारी एक बार सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे किसी अधिकारी को जब हाईकोर्ट का समन आता है कि हाईकोर्ट में दिनांक इतने को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों तो वह सौ बार सोचता है कि पता नहीं जज क्या कह दे, पता नहीं वहाँ क्या परिस्थिति पैदा हो, ऐसा वह अधिकारी सोचता है। मेरी प्रार्थना है कि हम लोग इस प्रकार का सुन्दर आचरण, सुन्दर व्यवहार और ऐसे पैने प्रश्न रखें कि उन्हें जवाबदेह बना लें। हमारे प्रश्नों में तो खूब शार्पनेस हो लेकिन आचरण और व्यवहार में सभ्यता के, संसदीय मूल्यों के उच्चतर मापदण्ड हों। हम ऐसे प्रति प्रश्न करें ताकि यहाँ का पिछड़ा हुआ काम पूरा हो, साथ ही विधायिका का प्रभाव बढ़े, उसकी सुप्रीमेसी बढ़े क्योंकि अन्ततोगत्वा जिम्मेदारी तो हमारी ही है। मुझे लगता है कि इस विषय से जुड़े मूल प्रसंग की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है। यह भी सच है कि कई बार आपको क्षेत्र की व्यस्तता, दलतंत्र की व्यस्तता, इन दोनों व्यस्तताओं के कारण बैठकों में आने में कठिनाई होगी लेकिन हम आदर्श बात तो यही कहेंगे कि आपको किसी भी परिस्थिति में बैठकों में आना चाहिए। अपने

बारे में हम कह सकते हैं कि अपने पूरे संसदीय जीवन में किसी बैठक में हम अनुपस्थित नहीं हुए। हम दूसरी जगह समन्वय बनाते थे या तय करते थे कि हम दूसरी जगह गैर हाजिर होंगे लेकिन विधान सभा जहाँ के लिए हम चुने गए हैं, वहाँ की बैठक में अनुपस्थित नहीं होंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें यहीं के लिए भेजा हैं। विधान सभा की बैठकों के लिए मैं गर्व से कहता हूँ कि पिछले दोनों सत्रों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया कि जब उपस्थित सदस्यों की संख्या 250 हुई हो, वैसे 250 भी बहुत होती है। जब लोग भोजन करने भी गए तो भी संख्या घटी नहीं। किसी समय जब उत्तराखण्ड विधान सभा नहीं थी तो कई बार ऐसा होता था कि सदन में हम लोग 50 की संख्या में भी नहीं रह जाते थें। ऐसा खासतौर से तब होता था जब सदन में विधायन का काम होता था। मतलब जब कोई विधेयक आदि पेश होता था और कानून का मसौदा लोगों की समझ में कम आता था तब संख्या प्रभावित होती थी। ऐसी स्थिति में कई चाय–कॉफी पीने चला गया, कोई सरकारी काम पर चला गया लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ वहाँ की उपस्थिति ठीक रही, आज मैं थोड़ा डरा हुआ था इसलिए नये नियम खोज रहा था। मैंने कहा की आज बैठक तो है नहीं, उद्घाटन है, कोरम पूरा नहीं होगा तो भी बैठक हो सकती है लेकिन थोड़ी देर में खबर आई कि आप सब उपस्थित हैं, हम आप सब का बहुत–बहुत स्वागत करते हैं और सभापति महोदय तथा आप सबको बहुत–बहुत बधाई। मुझे पता चला कि सभापति जी ने स्वयं सदस्यों को फोन किया, ये काम हम लोग अपनी पार्टी में तो बहुत करते थे, लेकिन समिति में ऐसा हमने कभी नहीं किया, यह एक नया काम सभापति जी ने किया, आपको बहुत बधाई कि आपको ऐसा जानकार सभापति जी मिले हैं। मेरा पूरी तरह से इस समिति के प्रति समर्थन है और जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम समर्थन करेंगे। औपचारिक रूप से मुझे आज उद्घाटन पर ही आना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद की बैठकों का कार्य संचालन आप लोग ठीक से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समिति की बैठक का औपचारिक उद्घाटन करता हूँ।

❑❑

mÙkj çn'k fo/kku e.My dh vuqlfpr tkfr;k] vuqlfpr tutkfr;k rFkk foeqDr tkfr;k lEcU/kh l;qDr lfefr ¼2017&2018½ dk mn?kkVu dk volj ij ekuuh; v/;{k fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEcks/ku

fnukd 31 vDVwcj] 2017

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी इस संयुक्त समिति की पहली बैठक के उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित होने का निमंत्रण मिला था। मैं समिति के सभापति माननीय राम नरेश जी और इस समिति के सभी माननीय सदस्यों का समिति की इस पहली बैठक में स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि यह समिति सामान्य समितियों की तुलना में बहुत भिन्न प्रकार की है, भिन्न प्रकृति की हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय जनतंत्र को अपनाया है और जनतंत्र हमेशा संस्थाओं के माध्यम से सफल होता हैं। कोई एक व्यक्ति अथवा एक संस्था अपने अकेले दम पर, वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो, जनतंत्र के सुपरिणाम नहीं ला सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत विस्तार से तमाम संस्थाओं पर चर्चा की थी। अनेक संस्थाएं गढ़ी भी गयी थीं और अनेक संवैधानिक संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे अनुसूचित जातियों के लिये अलग से आयु, यह संविधान निर्माताओं न तय किया था। अनुसूचित जनजातियों के लिये अलग से आयु, यह संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्था के रूप में चिन्हित किया था। मैं उदाहरण के लिये बोल रहा हूँ कि पूरे देश में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये संविधान निर्माताओं ने ही अनुच्छेद 324 मे प्राविधान किया था कि इस तरह से निर्वाचन आयोग होगा और उसके यह–यह अधिकार होंगे। अनेक संस्थाएं गढ़ीं गयी, उनमें से संसद और विधान मण्डल यह दो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सब यहाँ पर विधान मण्डल के सदस्य हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि जनादेश द्वारा स्थापित बहुमत दल की सरकार को उसके प्रत्येक काम के लिये, उसके संवैधानिक कर्तव्य के पालन के लिये समय–समय पर याद कराते रहें और जहाँ कहीं पर कमी दिखायी पड़े, सरकारी तंत्र को बाध्य करें कि संविधान निर्माताओं की इच्छा, संस्थाओं की इच्छा, संस्थाओं द्वारा किस तरह से कर्तव्य का पालन किया जाये,यह सब सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके लिये समिति प्रणाली का विकास हुआ। विधान सभा, विधान परिषद् हर समय सत्र में नहीं

होती हैं। संसद भी हर समय सत्र में नहीं होती तो इसलिये समिति प्रणाली, लोक सभा की समिति प्रणाली तथा राज्य सभा की समिति प्रणाली सरकार पर बहुत आदर्श रूप में नियंत्रण करती हैं। अनेक बहसें, अनेक तर्क, अनेक विषयों पर गम्भीर विचार–विमर्श पूरे सदन में सम्भव नहीं हो पाता।

विधान सभा में 403 सदस्य एक साथ बैठते है। लेकिन कम समय में किसी समस्या पर सम्यक और समग्र विचार संभव नहीं हो पाता। अनुसूचित जातियों का भारतीय समाज में अविभाज्य अंग होना, यह तो सुनिश्चित तथ्य है लेकिन अविभाज्य अंग के रूप में उनका सम्मान किया जाना, उनका आदर किया जाना, उन्हें यह अनुभव करना, कि हम सब एक ही धरती के, एक ही आकाश के, एक ही प्रकृति के, एक ही संस्कृति के अविभाज्य अंग हैं यह अनुभव उन्हें कराना यह राष्ट्र जीवन की बहुत बड़ी चुनौती है और यह चुनौती आज की नहीं, बहुत पहले की है। हमारे संसदीय जनतंत्र को लम्बा समय हो गया है, अनेक संस्थायें ऐसे उपेक्षित वंचित परिवारों के लिये संविधान के अलावा भी काम कर रही है। हमारी जिम्मेदारी इसलिये और बड़ी है कि हम विधान मण्डल के सदस्य हैं और विधान मण्डल के सदस्य के रूप में हमको वह काम पूरा करने को मिला है जो अपने आप सरकार को पूरा करना चाहिये था। हम कोई नया काम कराना या कोई नई परिपाटी डालने के लिये नहीं बैठे है। एक ऐसा काम जो उस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने लिये अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति का आयोग बनाया गया और यहाँ पर भी अनुसूचित जाति के आयोग की व्यवस्था है। इससे इतर इस आदरणीय समिति के पास जो शक्तियां हैं, वह बहुत बड़ी हैं और बड़ी इस अर्थ में हैं कि आप न्यायपालिका की तरह उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी अधिकारी को प्रमुख सचिव या सचिव को, उससे छोटे अधिकारी बुलाये भी नहीं जाते इसलिये कि आप विधान सभा का विस्तार हैं। तो उनको आप सामने बुला सकते हैं, उनका साक्ष्य ले सकते हैं उनके द्वारा कही गयी बात यहाँ पर रिकार्ड की जाती है जैसे मेरा भाषण यहाँ पर लिखा जा रहा है उसी प्रकार आप भी बोलेंगे,वह लिखी जायेगी। उसके बाद आप स्वयं निर्णय लेते हैं कि जो बात कही गयी है वह कितनी महत्वपूर्ण है। झूठ तो नहीं है, अगर आपको लगता है कि वह बात झूठ है तो आप स्वयं पूरी समिति या उपसमिति लेकर वहाँ दौरा करने जा सकते हैं, गांव या उस क्षेत्र में, जहाँ की बात हो। इसके लिये इस समिति के भीतर भी एक या दो उपसमिति गठित कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको अधिकार हैं, किसी भी अधिकारी को बुलाने का, उसका साक्ष्य लेने का। जहाँ

तक आरक्षण का प्रश्न है उसकी समीक्षा तो आप लोग करेंगे, लेकिन अन्य तमाम योजनायें जो इन्हीं वर्ग के लोगों के लिये चिन्हित हैं और उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने अनुसूचित जातियों या जनजातियों के नाम पर जिन योजनाओं के लिये बजट का आवंटन किया है आपको हमको यह अधिकार है कि हम देखें कि क्या वह बजट अनुसूचित जातियो, जनजातियों के हित में ठीक से नियमानुसार व्यय किया गया है की नहीं। तो ऐसे तमाम अधिकार बड़े सुस्पष्ट हैं और जब कोई चीज ठीक काम करने लगती है तो अनेक ऐसे अधिकार अर्जित किये जा सकते है। जो पहले से नहीं दिखाई पड़ते कि वह हमारे है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। यहाँ सब लोग अपने–अपने क्षेत्रों के बहुत विशेषज्ञ और जानकार माननीय सदस्य बैठै है लेकिन हम सब लोग इस मामले में सौभाग्यशाली हैं, इस समिति के संदर्भ में। कि मेरा पहले का व्यक्तिगत जीवन प्रायः इसी प्रकार के कामों में बीता है तो इसलिये यह समिति मेरे लिये बहुत महत्वपूर्ण समिति बनती है कि हम उनकी सेवा करने का अवसर पा रहे हैं जिनकी सेवा और आरक्षण के प्रश्न पर भारत की संविधान सभा में एक भी सदस्य विरोध में नहीं होगा। भारत की संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ी जानी चाहिए, कभी आप लोगों को मौका लगे तो अवश्य पढ़ियेगा। जब सरकार पटेल ने आरक्षण का प्रस्ताव रखा था तो उस समय अधिकांश सदस्य ही नहीं, सर्वसम्मत आरक्षण का प्रस्ताव इस वर्ग के लिये पारित हुआ था। अन्य वर्गों के लिये जो आरक्षण की बात हुयी उसमें तो बहस हुयी थी। तो पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के मूल शिल्पी डा. अम्बेडकर ऐसे सारे लोगों ने जो सपना देखा था, जो तय किया था, जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के एक भाग को या पूरे भाग को पूरा करने की जिम्मेदारी इस समिति का अधिकार था तो उन अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

आपके सभापति राम नरेश जी बहुत पहले से अध्ययनशील सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विधान सभा का सदस्य होना तो यह अबकी बार हुआ है, पहले आप विधान परिषद् में भी रहे हैं। आप अध्ययन करते हैं और विषयों की गहराई में जाते हैं तो यह एक अच्छी बात है कि ऐसे आपको सभापति मिले हैं और उससे बड़ी बात यह है कि फागू जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। संत प्रसाद जी, यह भी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारी फतेहपुर की विधायक जी हैं, आपको वरिष्ठ भी कहा जा सकता है, छोटा भी कहा जा सकता है। इसी तरह दलबहादुर जी हैं, मंत्री रहे है, हमारे पड़ोसी हैं तो इसी तरह तमाम वरिष्ठ विधान परिषद् के सदस्य इसमें हैं तो एक ऐसी कमेटी यह है जो

अपने आपमें पहले से हर तरह से समृद्ध है और बहुत प्रास्परस है। सारा ज्ञान और अनुभव इस समिति के पास है तो यह ज्ञान और अनुभव उन वंचितों के काम आये जिनके लिये भारत के संविधान ने शपथ ली थी और भारत के संविधान की उपदेशिका में भी सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को पूरा करने में हमारी भागीदारी है, यह हमारे सौभाग्य का विषय है। इस छोटे से निवेदन और इन शब्दों के साथ मैं आपकी इस समिति का उद्घाटन करता हूँ और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह समिति प्रणाली हमारे देश में हजारों साल से है। प्राचीन काल में बुद्ध के समय और उसके पहले चन्द्रगुप्त मौर्य के समय और वैदिक काल में भी समितियां बैठती रही है और अलग–अलग विचार करती रही है। इसकी सबसे खास और उल्लेखनीय बात यह है कि समिति प्रणाली में पक्ष और विपक्ष नहीं होता। प्रायः विधान सभा की कार्यवाही संचालन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। तो कई बार अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिये कोई भी पक्ष कोई गलत दिशा में भी जा सकता है लेकिन यहाँ अपनी बात सिद्ध ही नहीं करनी है, यहाँ आपके सामने प्रशासनिक तंत्र होगा और आप होंगे और सब लोग एक पक्ष होंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ और शुभकामनायें देता हूँ कि आप सब अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में सफल हों। बहुत–बहुत शुभकामनायें।

❑❑

mRrj çn'k fo/kku lHkk dh lalnh; 'kks/k ,oa lanHkZ lfefr dk mn?kkVu dk volj ij ekuuh; v/;{k fo/kku lHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk lEcks/ku

fnukd 27 fnlEcj] 2017

अपने सदन की संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति की पहली बैठक आज हम कर रहे हैं। हमारे कार्यालय ने इसका कुछ इतिहास भी बताया है। एक समय संसदीय कार्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हुआ करते थे और उनके सुक्षाव पर इस प्रकार की समिति अध्ययन की दृष्टि से बनाई गई। हम सब जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में उपस्थित चुनौतियों के आधार पर लगातार नए नियम जुड़ा करते हैं नई परिस्थितियाँ आती हैं और नई चुनौतियाँ भी तो उनका समाधान करने की दृष्टि से समूचे सदन में विचार किया जाना संभव नहीं होता है। मनोज जी बहुत पुराने विधायक हैं और भी अनेक सदस्य ऐसे होंगे जो कई बार इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं तो हम सब विधान सभा में अपना कार्य संचालन करते हुए कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए कई बार अनुभव करते हैं कि इसमें यह नया नियम होता तो ज्यादा अच्छा होता। अथवा विधान सभा की कार्यवाही इस तरह बहस और तथ्य के साथ चल रही होती तो ज्यादा अच्छा होता। सदन में कार्यवाही में हिस्सा लेते समय तमाम विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अगर वहाँ वही विचार आप रखने का प्रयास करें तो नियमावली में बहुत नियम नहीं हैं। नियमित रूप से हमारे सामने जो प्रश्न सदन में आते हैं उसमें पहला प्रश्नकाल होता है उसके बाद हम लोग ध्यानाकर्षण की नियम 301 की सूचना लेते है उसके बाद नियम 300 पर हम सुनते हैं हमारे सदस्यों के मन में नियम 300 को लेकर बड़ी जिज्ञासा बनी रहती हैं। कई बार सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या नियम 300 में लिख देते हैं और जब हम नहीं सुनते हैं तो वह हमसे नाराज तो कम होते हैं निराश ज्यादा होते हैं। नियम 300 बड़ा ही जटिल नियम है सदन की कार्यवाही के संचालन में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई हो और वह बात अध्यक्ष के संज्ञान में हो अथवा सदन की कार्यवाही को चलाने वाले संविधान के उस हिस्से में जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बंध है उस अनुच्छेद का कोई ब्रीज हुआ हो तो उस अनुच्छेद का उपयोग ठीक से न हुआ हो तो नियम 300 आता है अभी तक इतना ही है नियम 300 में कई बार यह मन में आता है कि यह थोड़ा और व्यापक होता मेरे मन में भी आया क्योंकि नियम 300 का मैंने विधान सभा में जब मैं

विधायक होता था और विधान परिषद् में वहाँ नियम 39 है यही नियम 300 तो बहुत लम्बे समय से वहाँ उसका उपयोग ही नहीं हो रहा था इसलिये क्योंकि यह बड़ा जटिल नियम है इसी प्रकार नियम 51 आपके सामने आता है तो नियम 51 में और क्या हो सकता हैं जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ नियम 51 की सूचनाएं बहुत सारी हम स्वीकार करते हैं उदारतापूर्वक कई बार नियमावली में जितनी लिखी हुई है उससे ज्यादा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हम नियम 51 में ध्यानाकर्षण में स्वीकार करते है। नियम 51 में आप सब जानते हैं कि तीन तरह के निर्णय हम लेते है पहला निर्णय कि आपके द्वारा दी गई नोटिस को हम वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें सबसे पावरफुल यही है आपके पक्ष में सरकार अपनी सुविधानुसार आपके द्वारा लिखित सूचना पर वक्तव्य देती है जब सरकार का वक्तव्य सभी माननीय सदस्यों को बंट जाता है तो उस पर सभी सदस्यों को अधिकार है उस कागज के आधार पर सरकार से सवाल करे कल्पना करिए कि नियम 51 कितना ताकतवार होगा मान लीजिए आपने अपने क्षेत्र का दिया कि इस नाले के कारण इतना नुकसाल हो रहा है हमने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया कि यह नाला जैसा बताया गया वैसा नहीं है कि सम्पूर्ण नाले के कारण फसल डूबी जाती हो सरकार कहती है कि कहीं कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको हम दिखवा लेंगे या दिखवा लिया हैं। चूँकि नियम 51 आता है शाम को जब सदन उठ रहा होता है तो आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हैं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री को बोलने भी नहीं देते अगर मंत्री जी पूरा कागज पढ़े तो आप उसी में से कुछ बिन्दु निकालें लेकिन आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष शांत रहता है लेकिन विपक्ष के सदस्य ही कहने लगते हैं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जबकि यह विपक्ष का ही पन्ना होता है तो उस पर सवाल हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो स्थिति होती है जिसमें हम नियम 51 में कहते हैं कि केवल वक्तव्य के लिए मंत्री अपना वक्तव्य दे देगा जाँच कराकर लेकिन आप उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं तीसरा है कि हम ध्यानाकर्षण कर देते है। इसी तरह से नियम 301 है इसमें जो सूचना आपकी स्वीकार करते हैं उसका उत्तर तीन महीने के अन्दर माननीय मंत्री जी को आपको डाक द्वारा घर पर भेजनी चाहिए। अगला सदन जब आएगा तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री को माननीय सदस्यों के विवरण सदन के पटल पर रखने होते हैं हम सदस्य जल्दबाजी में यह विवरण नहीं देखते हैं कि क्या हुआ इसमें नई बात और क्या हो सकती है हम सदस्यों के मन में कई बार आता होगा कि ऐसा न होता ऐसा होता तो प्रश्नोत्तर पहले न हो बाद में कर दिया जाए तो तमाम कल्पनाएं

करिए यह नियम 51 बहुत बाद में आता है इसमे बहस नहीं हो पाती है, विधेयकों पर चर्चा होती है इसमें और क्या उपय किए जा सकते हें संसदीय व्यवस्था में हमारी कार्यवाही के संचालन में क्या नया हो सकता है उसका अध्ययन कर ले इस दृष्टि से यह समिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकारी नहीं आते हैं बाकी समितियों में अधिकारी सामने होते हैं इसमें हम सब लोग एक परिवार के रूप में यहाँ बैठते हैं और किसी एक विषय पर जैसे नियम 300 में क्या हो सकता है नियम 56 में क्या हो सकता है कार्यस्थगन में परिपाटी यह है कि दो को हम सुनते हैं कई बार तीन या चार को सुन लेते हैं कई बार शोर हो जाता है तो बिल्कुल नहीं सुन पाते। तो शोर के दौरान क्या हो कैसे शोर घटाया जाय इस पर भी हम लोग राय दे सकते हैं यह भी एक विषय हो सकता है। आज तो उद्घाटन है आज ही अथवा जब अगली बैठक हो तो अपने–अपने मन में कोई दो तीन विषय लेकर आएं फिर आपस में सहमति बनाकर किसी एक विषय पर घर में चिन्तन करें और बैठक में राय दें और किसी निष्कर्ष पर पहुँचें जैसे मेरे मन में यह विचार बहुत आता है कि जो सदस्य सदन के भीतर पोस्टर लेकर आते है कपड़ा लेकर आते हैं दिखाते हैं तो यह साफ जाहिर है कि यह घर से तय करके आए हैं कि बवाल करना हैं। बवाल दो तरह के होते हैं एक कि आपमें से कोई तैयारी करके आया हो कपड़ा लेकर आए और हमारे ऊपर फेंक दे दूसरा यहीं पर आप गुस्सा हो जाएं किसी वजह से तो आपके पास जो कागज है जो दफ्ती है वह हमारे ऊपर फेंक दें दोनों में फर्क है। एक बार गुस्सा हो जाना मतलब स्वाभाविक बात है कोई बात ऐसी आई जिसमें गर्मी आ गई लेकिन हम घर से तैयार होकर आएं यह आपत्तिजनक बात है इस पर क्या किया जाना चाहिए पहले से व्यवस्था है अध्यक्ष को अधिकार है कि वह सस्पेंड कर दे अध्यक्ष को अधिकार है कि वह शेष सत्र के लिए उन विधायकों को न आने दें। अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उसकी निन्दा कर दे क्या उपाय है कि अध्यक्ष उनको दंडित न करे उन पर कोई कार्यवाही न करे ऐसा कोई अधिकार मैं लगातार सोच रहा हूँ। ऐसे तमाम उपायों पर संसदीय समिति को विचार करने के अवसर होते है। जैसी चुनौतियाँ है भारतीय जनतंत्र के सामने तो किसी एक विषय पर हम आप सबके विचार कम्पाइल करेंगे और उन विचारों के आधार पर समिति अन्तिम निर्णय करेंगी। आप सब उसी सब्जेक्ट पर यहाँ अपने सुझाव देंगे और उन सुझावों के आधार पर एक पुस्तिका बनेगी, एक प्रतिवेदन बनेगा,एक रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट को सदन में रखा जायेगा और सदन यदि चाहे तो उस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकता है। यदि उस रिपोर्ट पर चर्चा हो, बहस हो तो संसदीय कार्य को और अधिक बढ़िया बनाने

में यह समिति सहयोग कर सकती है। मैं जब विधान सभा परिषद् में था तो वहाँ पर हमनें 'सदन के भीतर शोर' विषय पर काफी लम्बा परिश्रम किया था कि कैसे शोर को नियंत्रित किया जाए। एक सुझाव बहुत पहले से चला आ रहा था। विपक्ष के विधायक प्रायः प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करने की मांग करते हैं और प्रश्नोत्तर काल हमारी संसदीय परिपाटी में सर्वोपरि महत्व का होता है। वह इसलिये कि हमारे संविधान में सरकार को सदन के सामने जवाबदेह बनाया गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दे। इससे पारदर्शिता आती है और सरकार जवाबदेह बनती है। इसीलिये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला घंटा पहले रखा गया है। लोकसभा, राज्यसभा तथा कमेटी में भी कई बार विचार आया कि क्या इसको सबसे अंत में कर दिया जाये। इस तरह के विचार कई बार आये कि शून्यकाल जिसमें बहुत शोर होता हैं, तो नियम–56 में एक विचार आया कि इसको आखिर में 6.00 बजे कर दिया जाए कि दिनभर में लोग बात करते–करते थक जाएं तो उस समय वह लोग अच्छी बात ही करें, चिल्लाएं कम। ऐसे अनेक विचार कई बार आए। इसलिए आप लोग कोई विषय तय करके जो बात यहाँ रखना चाहें, वह रखें। हमारा सौभाग्य है कि हम इस समिति के पदेन सभापति होते हैं और यह जो समिति है इसमें अनेक वरिष्ठ सदस्य भी हैं और अनेक शिक्षित और तरूण सदस्य भी है। उनके साथ काम करने का हमको अवसर मिलेगा। हम आप सबका इस नवगठित समिति में हार्दिक स्वागत करते है और समिति का आज से विधिवत उद्घाटन करते हैं। समिति आगे अपना काम करेगी।

मैं अगर उस विस्तार में जाऊंगा कि प्राचीनकाल में, वैदिक काल में भी सभा और समितियाँ होती थी। सभा और समितियों का बहुत शुद्ध रूप में उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। पहले लोग नहीं मानते थे कि इसका अर्थ यही है, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूड्विक जैसे विद्वानों ने भी पाया कि ऋग्वेद के समय में सभा और समितियाँ थी। हमारे देश के जनजीवन में बहुत प्राचीनकाल से, वैदिक काल से सभा और समितियों के माध्यम से जनता की सेवा के संकल्प लिये जाते रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सभा के भी सदस्य हैं और एक ऐसी समिति के भी सदस्य है जो सभा को मार्गदर्शन दे सकती है, सिखा सकती है। तो हम आपका स्वागत करते हैं और इस कार्यवाही और पहली बैठक का विधिवत् उद्घाटन करते हैं। आप माननीय सदस्यगण में से यदि कोई अपनी बात कहना चाहे तो कह लें। चूँकि एक दूसरी समिति की बैठक एक बजे से है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए अब अगर

किसी माननीय सदस्य को अपनी बात रखनी हो तो वह अगली बैठक में अपनी बात रख लें। बहुत उत्साह देखने को मिला सदस्यों के बीच और यह हमारा सौभाग्य है कि इस कमेटी के सभी सदस्य कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा लेने को बहुत उत्साहित और बहुत बेताब हैं उत्तर वैदिक काल में एक बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है कठोपनिषद् और व्यक्तिगत रूप से हम मानते हैं कि गीता के ज्यादातर अंश कठोपनिषद् से प्रेरित हैं ऐसा हम व्यक्तिगत रूप से मानते हैं गीता पर हमारी एक अंग्रेजी में किताब है जिसका अभी उद्घाटन माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने ढाका में किया था। कठोपनिषद् में एक सुन्दर सी बात कही गई है इसमें एक पात्र है यम और एक है नचिकेता नचिकेता तमाम प्रश्न करते है यम उसका उत्तर देते हैं इसमें तमाम प्रश्न हैं जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है आदि आदि प्रश्नकर्ता नचिकेता यम से कहते है कि क्या आप हमारे प्रश्नों से परेशान तो नहीं हैं तो यम का उत्तर है कि मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि मुझे इसी प्रकार के प्रश्नकर्ता हमेशा मिला करें। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आपने तमाम विषय यहाँ उठाए और उन विषयों जनता से क्षेत्र से और संसदीय जीवन से जोड़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और कुछ मित्र अपनी बात कहने से रह गए होंगे हमारे दाएं बैठे विधायक श्री सोलंकी जी ने क्षेत्रीय समस्याओं के हल के लिए अन्य समितियों की उपयोगिता की बात की बाकी समितियों में हम जाते थे तो क्षेत्र की समस्याओं पर थोड़ी सी चर्चा हो जाया करती थी जो इसमें नहीं होगी कदाचित ऐसा भाव था इसी प्रकार हमारे मित्र ने बहुत भावुकता पूर्ण ढंग से नैतिकता की बातें कीं और उस पर जोर दिया यह क्षेत्रीय समस्याएं उठाते समय विधान सभा में हमको कठिनाई आती है।

मैं भी जब सदस्य, विधान सभा था या दूसरे सदन में था तो क्षेत्र की समस्याएं उठाते समय नियमों के बन्धन, समय के बन्धन और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, आप लोग जो पढ़कर आते होंगे उनके साथ तो बहुत होता है कि हम रातभर तैयारी करते रहे कि यह कहेंगे, यह कहेंगे लेकिन वहाँ पर गये तो मौका ही नहीं मिला। कई बार तैयारी करके आये कि आज हमारा तो चौथा ही प्रश्न लगा है तो यह तो आ ही जायेगा, लेकिन पहले ही तीन प्रश्नों में इतना झंझट हो गया कि चौथा प्रश्न रह गया। हमने हमारे सम्मानित सदस्य श्री असलम राईनी जी को बड़ा भावुक देखा, वह बड़े कष्ट में थे कि हमारा तो नम्बर ही नहीं आया तो इसलिये अगले दिन हमनें उनकी सूचना नियम–56 में ले ली। ऐसा होता है। इसको कैसे ठीक किया जाए इसके लिये यह समिति है। आप माननीय सदस्य जहाँ से चुनकर आते हैं आपका

एक क्षेत्र वह है और आपका एक क्षेत्र यह विधान सभा मण्डप भी है। हम अपने क्षेत्र की चर्चा तो करते ही रहते हैं लेकिन जिस क्षेत्र में बैठकर हमको काम करना है और जनता की समस्याओं का समाधान करना है, सरकार को जवाबदेह बनाना है बनना है उस दृष्टि से यह समिति बड़ी उपयोगी है। मुझे यह जानकर थोड़ी सी तकलीफ भी हुयी कि इस समिति का गठन 1972 में हुआ था और 1984 तक इसके केवल 10 प्रतिवेदन ही प्रस्तुत हुये हैं। 1984 के बाद इस समिति के द्वारा बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है। यह बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं अभी आपको एक पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ, हालाँकि यह अनआफिशियल है। इसमें आप अपने और भी विचार ला सकते हैं अथवा इसी में से किसी बिन्दु पर अपने विचार ला सकते है। जैसे शिकायत होती है कि नियम–301 और नियम–51 की सूचना पर कार्यवाही नहीं होती है तो इसमें क्या किया जाए कि कार्यवाही होने लगे। मेरे मन में बहुत पहले एक बात आई थी कि जैसे यहाँ पर प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, याचिका समिति या और भी अन्य समितियाँ काम करती हैं जिसमें हम अधिकारियों को बुलाते हैं। ऐसे ही नियम–301 और नियम–51 की सूचना पर क्या कार्यवाही हुई, इसको देखने के लिये एक समिति बनाई जाए, ऐसा मेरे मस्तिष्क में विचार था। ऐसी व्यवस्था बिहार में है। अभी यह मेरा विचार है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके ऐसी समिति बना सकता हूँ, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। जैसे मेरा अधिकार है कि हम किसी सदस्य को बाहर जाने के लिये कह सकते हैं, लेकिन साल भर हो गया मैंने ऐसा कोई कार्य अभी तक नहीं किया है। मेरे अधिकार बहुत हैं पर मैं कभी अधिकार का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मेरे अपने कर्तव्य पालन के बीच से कोई सुगंध आ जाए या कोई बढ़िया बात निकल कर आ जाए, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। तो यह विषय भी हम लोग कमेटी में लेते है। विधायकों को शिकायत रहती है कि हमारे प्रोटोकाल का पालन नहीं होता है और ऐसा है भी। प्रोटोकाल की जाँच करने के लिये कोई संसदीय व्यवस्था नहीं है। आफिसर्स बार–बार कहते हैं कि पालन हो रहा है, लेकिन शिकायतें आती हैं कि पालन नहीं होता। विधायक को देखकर डी.एम. और एस.पी. खड़े नहीं होते हैं। इसका पालन किया जाए, हमारी इस व्यवस्था में हम यह देख सकते हैं कि इसके लिये क्या किया जा सकता है। ऐसे ही जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उसमें कुछ लोग सीटी बजाते हैं कुछ लोग ढोलक लेकर आते हैं और अबकी बार हो सकता है कि कुछ लोग बैण्ड वगैरह भी लेकर आयें ऐसी हमारी चिन्ता है। इसके अतिरिक्त संसदीय व्यवधान, इंटरप्शन्स, संसदीय कार्यवाही में गुणात्मक सुधार, संसदीय कार्य के संचालन में व्यवधान को दूर करने और सदन में समय–समय

पर यदि कोई बड़ी बात उठे और समय की कमी के कारण ड्राप हे जाए तो उस पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। अगली बैठक में जब आप लोग आएं तो आपको उपलब्ध कराई गयी गाईडलाईन्स के आधार पर आप कुछ भी नया सोच करके अपनी बात यहाँ पर रखें।

आप लोग जब अगली बैठक में आएंगे तो आप सभी के पास अपने–अपनी अलग विषय होंगे, लेकिन अंत में उनमें से किसी एक विषय पर एकमत होकर यह समिति उस पर लगातार एक महीना–दो महीना अपना शोध एवं अध्ययन करेगी। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ शाखा है तो किसी भी संदर्भ के लिये आप पुस्तकालय जा सकते हैं और उस सब्जेक्ट पर हमारे शोध एवं संदर्भ अधिकारी आपकी सहायता करेंगे। वह तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। आप लोगों को एक बात में आनन्द आ सकता है कि सामान्य एम.ए. करने के बाद फिर मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। जिस दिन से मैं विधायक हो गया, उसी दिन से मेरी पढ़ाई अपने घर पर शुरू हुई। विधायक होने के बाद हमनें हजारों किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि विधायक होने के बाद सुविधाएं मिल जाती हैं और व्यक्ति उन सुविधाओं का अपने–अपने ढंग से प्रयोग करता है। जैसे आपको मुफ्त की बिजली मिलती है तो आप उसका उपयोग करें, आपको कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है, सहायक मिलते है, लाईब्रेरी मिलती है तो उसका प्रयोग होगा। आपने जिस सहयोग का हमें आश्वासन दिया है उससे निश्चित रूप से एक अध्ययन का क्षेत्र खुलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

❑❑

lnu flgkoykdu

mRrj çn'k fo/kku lHkk d o"k 2017 d f}rh; l= e Ñr dk;

fo/kku lHkk d mioa'ku

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र को दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 से आहूत किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को जारी की गयी।

विधान सभा का उक्त सत्र गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 से प्रारम्भ हुआ और उसके उपवेशन दिनांक 14, 15, 18, 19, 20, 21 व 22 दिसम्बर, 2017 को हुए और दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी।

विधान सभा के उक्त सत्र में कुल 07(सात) उपवेशन हुए।

lnu dk iVy ij j[kk x;k v/;kns'k

क्र0 सं0	अध्यादेश का नाम	पटल पर रखे जाने की तिथि
1.	2	3
1.	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017	14 दिसम्बर, 2017
2.	उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 2017	–तदैव–
3.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन), अध्यादेश, 2017	–तदैव–
4.	उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अध्यादेश	–तदैव–
5.	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2017	–तदैव–

&fo/kk;h dk;l ¼ljdkjh½

Øe l[;k	fo/k;d dk uke	ijLFkkfir@lnu dh iVy ij j[k tkus dh frfFk	vxrj dk;lokgh@ fopkfjr ,o ikfjr
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 21 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
2.	उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधित) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 19 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
3.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक,2017	पुरःस्थापित 19 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
4.	उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद, विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 21 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
5.	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 21 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
6.	उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 15 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
7.	उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 15 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
8.	उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं ओर सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 18 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 20 दिसम्बर, 2017
9.	व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 18 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 20 जुलाई, 2017
10.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 18 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 19 दिसम्बर, 2017
11.	कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 18 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 19 दिसम्बर, 2017
12.	उत्तर प्रदेश विनियोग (2017–2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 19 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 19 दिसम्बर, 2017
13.	उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 20 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
14.	उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 20 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 21 दिसम्बर, 2017

Øe	fo/k;d dk uke	ijLFkkfir@lnu dh iVy ij j[k tkus dh frfFk	vxrj dk;lokgh@ fopkfjr ,oa ikfjr
1	2	3	4
15.	उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 21 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
16.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017	पुरःस्थापित 22 दिसम्बर, 2017	विचारित एवं पारित 22 दिसम्बर, 2017
17.	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017	दिनांक 19 जुलाई, 2017 को विधान सभा से पारित। विधेयक के सम्बन्ध में 3 माह तक विधान परिषद् से कोई सूचना न प्राप्त होने पर नियम 150(1) के अन्तर्गत दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को सदन को सूचना दी गयी। दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के पारित होकर इस सचिवालय में दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को प्राप्त हुआ।	

c/kkbZ çLrko

वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 110 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ :–

Øe l[;k	çLrko	çLrfrdj.k ,o LohÑfr dh fnukd
1.	''मैं इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव करता हूँ कि लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिस स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करते हुए दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कों विजयश्री दिलाई है हम इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देते हैं साथ ही साथ दोनों राज्यों की जनता को भी हम लोग बधाई देते हैं उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को पुनर्जीवित करते हुए दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है।''	18 दिसम्बर 2017

foÙkh; dk;

foÙkh; o"k 2017&2018 dk vuqiwjd

माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–2018 का अनुपूरक दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को विधान सभा के उपवेशन में सदन में प्रस्तुत किया गया और तत्सम्बंधी उत्तर प्रदेश विनियोग (2017–2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017 दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पुरःस्थापित एवं पारित हुआ।

fo/kku ifj"kn l okil çkIr u gku oky fo/k;d

mRrj çn'k fo/kku lHkk d fnukd 14 fnlEcj] 2017 d mio'ku e çe[k lfpo] fo/kku lHkk }kjk lfpr fd;k x;k fd&

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 197 के खण्ड(1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के विकास–150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज(संशोधन) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 जुलाई,2017 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 19 जुलाई, 2017 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 20 जुलाई , 2017 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

fo/kku e.My d nkuk lnuk }kjk ikfjr fo/k;dk ij Jh jkT;iky@ Jh jk"Vifr dh vuefr dh ?kk"k.kk,&

Øe l-	fo/k;d dk uke	vf/k- l[;k	jkT;iky@ jk"Vifr dh vuefr	lnu e ?kk"k.kk dh frfFk
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2017	2/ 2017	राज्यपाल 31 जुलाई, 2017	14 दिसम्बर 2017
2.	उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2017	3/ 2017	राज्यपाल 14 अगस्त 2017	–तदैव–
3.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017	4/ 2017	राज्यपाल 14 अगस्त, 2017	–तदैव–

vljdkjh ldYi

इस सत्र में असरकारी सदस्यों से नियम 85 के अन्तर्गत प्राप्त निम्नलिखित 05 संकल्प मा. अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य किये गये तथा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को उपलब्ध हुए असरकारी दिवसों में सदन में सम्बन्धित माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा चर्चा हेतु सूचीबद्ध किये गये :–

Øe- la-	lnL; dk uke	ldYi	çLrqfrdj.k dk fnukad	ppkZ@ vU; fooj.k
1	2	3	4	5
1.	डा. अरुण कुमार	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना की जाए।''	15 दिसम्बर, 2017	आगे के लिए स्थगित।
2.	श्री मनीष असीजा	'' इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाये।''	15 दिसम्बर, 2017	आगे के लिए स्थगित।
3.	श्री वीर विक्रम सिंह	''इस सदन का सुनिश्चिम मत है कि जनपद–शाहजहांपुर विकास खण्ड–खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैंटून पुल का निर्माण कराया जाये।''	15 दिसम्बर, 2017	आगे के लिए स्थगित।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	संकल्प	प्रस्तुतिकरण का दिनांक	चर्चा/अन्य विवरण
1	2	3	4	5
4.	श्री अजय कुमार ''लल्लू''	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करायी जायें।''	15 दिसम्बर, 2017	आगे के लिए स्थगित।
5.	मा. श्री नितिन अग्रवाल	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–हरदोई में लखनऊ–दिल्ली चार लेन मार्ग पर भारी वाहनों से हरदोई शहर में लगने वाले जाम के निराकरण के लिए हरदोई–लखनऊ, हरदोई–पिहानी, हरदोई–फरूखाबाद मार्गों को जोड़ने वाले हरदोई बाईपास का निर्माण कराया जाय।''	15 दिसम्बर, 2017	आगे के लिए स्थगित।

vljdkjh çLrko

वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 103 के अन्तर्गत असरकारी सदस्यों से 05 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से निम्नलिखित 04 प्रस्ताव मा. अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य किये गये :–

Ø- l-	lnL; dk uke	fo"k;	xkg;@ vxkg; lnu e çLr|r@ppk dh fnukd
1.	श्री नितिन अग्रवाल	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करायी जाय।''	ग्राह्य 22 दिसम्बर, 2017
2.	श्री विनय शंकर तिवारी	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाए।''	ग्राह्य 22 दिसम्बर, 2017
3.	श्री सुखदेव राजभर	''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ.प्र. के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''	ग्राह्य 22 दिसम्बर, 2017

Ø- l-	lnL; dk uke	fo"k;	xkg;@ vxkg; lnu e çLrkr@ ppk
4.	श्री अजय कुमार ''लल्लू''	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद–कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''	ग्राह्य 22 दिसम्बर, 2017

ç'u

fo/kku lHkk ds f}rh; l=] ekg vDVwcj&fnlEcj 2017 esa çkIr ç'uksa dk fooj.k

vYilwfpr rkjkafdr ç'u

1-	**dqy çkIr vYilwfpr rkjkafdr ç'u**	**39**
	अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत	05
	तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत	07
	अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत	14
	अस्वीकृत प्रश्न	12
	विचाराधीन	01

rkjkafdr ç'u

2-	**dqy ikIr rkjkafdr ç'u**	**671**
	तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत	114
	अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत	397
	अस्वीकृत प्रश्न	153
	विचाराधीन	07

vrkjkafdr ç'u

3-	**dqy çkIr vrkjkafdr ç'u**	**489**
	स्वीकृत अतारांकित प्रश्न	407
	अस्वीकृत प्रश्न	73
	विचाराधीन	09

'kksdksn~xkj

fo/kku lHkk ds o"kZ 2017 ds f}rh; l= esa fuEufyf[kr HkwriwoZ lnL;ksa ds çfr 'kksd&laosnuk çdV dh xbZ %&

HkwriwoZ lnL;
14 fnlEcj] 2017

Ø0 l0	HkwriwoZ lnL;	ftyk	fu/ku dh frfFk
1.	शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी	फिरोजाबाद	19.04.2017
2.	श्री राम देव	इलाहाबाद	22.07.2017
3.	श्री राम सिंह	सुल्तानपुर	10.08.2017
4.	श्री अशोक पाण्डेय	सुल्तानपुर	20.08.2017
5.	श्री भीखाराम	आजमगढ़	20.08.2017
6.	श्री दीपनारायन	गोण्डा	20.08.2017
7.	श्री बाबू सिंह	मुजफ्फरनगर	01.09.2017
8.	श्री सच्चिदानंद	लखनऊ	03.09.2017
9.	श्री देवेन्द्र पाण्डेय	सुल्तानपुर	23.09.2017
10.	श्री जयराम	गाजीपुर	24.09.2017
11.	श्री दीप नारायण	आजमगढ़	21.10.2017
12.	श्री शिव मंगल सिंह	मैनपुरी	22.11.2017
13.	श्री राजबली यादव	आजमगढ़	25.11.2017
14.	श्री श्याम दत्त पालीवाल	आगरा	06.12.2017
15.	श्री सीताराम निषाद	फैजाबाद	13.12.2017

lekukUrj lnu pyk;s tkus ds lc/k esa ek- v/;{k foèkkulHkk Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk fu.kZ;

माननीय असीजा जी ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कहा था कि दिनांक 24—07—2017 को इस आदरणीय सदन के सदस्य स्वर्गीय श्री मथुरा प्रसाद पाल के निधन के निदेश के समय विपक्षी दलों ने सदन के सभा मण्डप के बाहर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में समानान्तर सदन चलाया। माननीय सदस्य के मतानुसार यह कृत्य सदन का उपहास था माननीय श्री असीजा के अनुसार विपक्ष के इस कृत्य से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची, समानान्तर सदन में असंवैधानिक रूप से एक माननीय सदस्य को अध्यक्ष भी बनाया गया, यह सर्वथा असंवैधानिक था, सदन का उपहास हुआ। उन्होंने इस प्रकरण में इस मामले को यही उठाते हुए व्यवस्था की मांग की थी और मांग की थी कि भविश्य में ऐसे गरिमाहीन कृत्य की पुनरावृत्ति व सदन की अवमानना रोकने के लिए जरूरी व्यवस्थ की जाय। श्री असीजा ने अनुरोध किया था कि सदन की पीठ को अवमाननन से आमजनों में गलत संदेश गया है, इसलिए समुचित व्यवस्था आवश्यक है। कतिपय अन्य मा. सदस्यों ने भी इस अवसर पर तत्समय अपने विचार व्यक्त किये थे और प्रश्नगत कृत्य की निन्दा करते हुए समानान्तर सदन को संचालित करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गयी थी।

मुझे निवेदन करना है कि इस व्यवस्था मांगे जाने वाले प्रश्न पर मैंने सांगोपांग विचार किया है। उस अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा था कि वह माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हैं लेकिन समानान्तर सदन चलाये जाने का कार्य सदन की अवमानना है। इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मत था कि प्रकरण में सदन की अवमानना का प्रश्न प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है। मैंने उसे समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप विपक्ष के सभी माननीय नेताओं से प्रश्नगत प्रकरण में उनका भी पक्ष प्राप्त करने के निर्देश दिये थें माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री लालजी वर्मा, नेता बहुजन समाज पार्टी, विधानमण्डल दल एवं माननीय

श्री अजय कुमार जी, नेता कांग्रेस, विधानमण्डल दल ने अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किये हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि माननीय श्री असीजा द्वारा उठाये गये प्रश्न को व्यवस्था का प्रश्न नहीं माना जा सकता। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के आधार पर संज्ञान लिया जाना उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस समबन्ध में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत कृत्य सभा के सम्मुख नहीं हुआ अतः प्रक्रिया नियमावली के नियम–63 के परन्तुक से इसे आच्छादित नहीं माना जा सकता। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अवमानना का प्रश्न उठाये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा है कि चूंकि दिनांक 24.7.2017 को विपक्ष ने सदन के बाहर रहने का निर्णय लिया था। अतः श्री मथुरा प्रसाद पाल को बाहर से शोक संवेदनायें व्यक्त करने का कार्य किया गया था इसको समानान्तर सदन नहीं कहा जा सकता। माननीय श्री चौधरी द्वारा इस पर भी बल दिया गया कि जब–जब विपक्ष की आवाज को सदन में दबाने का प्रयास किया जाता है तो सदन का प्रतिरूप बनाकर भी विरोध प्रकट किया गया है। इसको समानान्तर सदन नहीं कहा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय चौधरी ने दिनांक 18.08.2015 को तत्समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा 'शैडो' विधानसभा चलाये जाने का उदाहरण भी दिया है। माननीय चौधरी ने तमिलनाडु विधानसभा में अगस्त 2016 को सदन का प्रतिरूप बनाकर विरोध प्रकट करने तथा मार्च 2013 में पंजाब विधानसभा में भी समानान्तर सदन चलाकर विरोध प्रकट करने का उदाहरण दिया है। अन्त में माननीय चौधरी द्वारा यह कहा गया है कि शोक सम्वेदना व्यक्त करने जैसे मामले को सदन की अवमानना नहीं माना जा सकता। बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल के नेता माननीय श्री लालजी वर्मा द्वारा अपने अभिकथन में कहा गया है कि दिनांक 24.07.2017 को विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री मथुरा प्रसाद पाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया गया था, इसे समानान्तर सदन की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्रीमान अजय कुमार 'लल्लू' ने कहा था कि प्रश्नगत प्रकरण में अवमानना का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने कहा है कि प्रश्न प्रकरण में अवमानना एवं विशेषाधिकार का नोटिस देने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, उन्होंने भी पंजाब और तमिलनाडु में विरोध स्वरूप सदन की कार्यवाही संचालित किये जाने का उदाहरण दिया है। श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस हेतु भिन्न–भिन्न तरीके अपनाये जा सकते हैं। श्री लल्लू के अनुसार

प्रस्तुत प्रकरण में अवमानना का प्रश्न पैदा नहीं होता, मैंने दिनांक 24.07.2017 को सम्पन्न हुई इस आदरणीय सदन की कार्यवाही का परिशीलन किया और प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण भी किया है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्य के विधान मण्डल के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 174(1) पठनीय है– **jkT; d fo/kku.My d l=] l=kolku vkj fo?kVu**–राज्यपाल, समय–समय पर राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय, और स्थान पर हमारा जोर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा। संविधान के उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सदन के अधिवेशन का स्थान संवैधानिक रूप से नियत है और उसमें कोई परिवर्तन किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। अनुच्छेद–174 के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली के नियम–3 का अवलोकन किया जाना जरूरी है जिसमें सदन की परिभाषा। उपरोक्त नियमावली के नियम–3(म) के अन्तर्गत सदन का तात्पर्य विधान सभा से माना गया है। वर्णित स्थिति में सदन का अधिवेशन अथवा उपवेशन विधान सभा के मण्डप के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर किया जाना असंवैधानिक और अनियमित होगा। मा. नेता विरोधी दल ने कतिपय पूर्व दृष्टान्तों का उल्लेख किया है। कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने का यह तरीका भी प्रचलित रहा है। मा. नेता विरोधी दल ने तमिलनाडु एवं पंजाब के उदाहरण भी दिये हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में वर्ष 2011, गुजरात में वर्ष 2012 में, उत्तराखण्ड में वर्ष 2009 में इस प्रकार की घटनाएं हुई थीं। जहां पर समानान्तर सदन संचालित किए गए। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में 4 सदस्यों को इस हेतु सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था और गुजरात में प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किया गया था। सम्बन्धित मा. सदस्यों द्वारा इस कृत्य हेतु अपना खेद भी प्रकट किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में भी 2014 में नाइजीरिया के इंडो राज्य की विधानसभा में समानान्तर सदन चलाने हेतु सभी सदस्यों को निलंबित किया गया था। अतः समानान्तर सदन चलाये जाने के कृत्य हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में दण्ड निर्धारित किए जा चुके हैं। अतः मात्र कुछ पूर्व दृष्टान्तों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि समानान्तर सदन चलाया जाना उपयुक्त एवं संवैधानिक है। जहां तक मा. नेता प्रतिपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिनांक 18.08.2015 को शैडो विधान सभा चलाए जाने

का प्रश्न है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह कार्य सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुआ था। अतः इसको समानान्तर सदन की वैसी संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्ष के मा. सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही चलते समय ही समानान्तर रूप से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में सदन की कार्यवाही को संचालित किया गया जो कि सर्वथा अनुपयुक्त, असंवैधानिक एवं अनियमित था। वर्णित स्थिति में दिनांक 18.08.2015 के दृष्टान्त से प्रस्तुत प्रकरण की तुलना किया जाना उचित नहीं है। इस सदन पर 22 करोड़ जनगणमन को भाग्य बनाने का दायित्व है। संसदीय लोकतंत्र के परिवेश में हम सबका दायित्व है कि हम लोग स्वस्थ परम्पराएं स्थगित करें। आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करें। हम सब यहां इसी व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं। यह व्यवस्था सुदृढ़ और सुन्दर न होती तो कदाचित हम लोग भी यहां तक न आ पाते। अतः इस सबका दायित्व है कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। स्वस्थ परम्पराएं स्थगित करें, विकासशील लोकतंत्र में यदि ऐसा न हुआ तो कदाचित संसदीय लोकतंत्र पर और हम विधायकों पर आम जनता का विश्वास नहीं रह जाएगा। ऐसे मामलों में आत्मावलोकन जरूरी है। हम मात्र दण्ड की दृष्टि से प्रकरण का परीक्षण किया जाना उपयुक्त नहीं मानते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में समानान्तर सदन चलाए जाने से सदन की अवमानना का प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा नहीं, यह एक तकनीकी विषय है। इस सम्बन्ध में वाद–विवाद की काफी गुंजाइश है। मेरा यह सुनिश्चित समाधान है कि संवैधानिक रूप से गठित विधान सभा के उपवेशन इसी सभा मण्डप में होने चाहिए। इसमें कोई संशय अथवा विधिक आपत्ति भी नहीं है। पवित्र सदन को प्रहसन जैसा बनाने का कृत्य उचित नहीं है। विरोध के लिए भी ऐसे तरीके नहीं अपनाए जाने चाहिए जो लोकतंत्र की व्यवस्था में आस्था को कमजोर करते हों। यदि निर्वाचित एवं संवैधानिक रूप से गठित विधान सभा की कार्यवाही सदन के बाहर किसी भी रूप में संचालित की जाती है तो अवमानना के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं परंतु इस प्रकरण में अवमानना के प्रश्न पर कोई समाधान अथवा निर्णय दिए जाने की दृष्टि से इस मामले का परीक्षण किए जाने के पक्ष में नहीं हूं। इस सदन में अत्यन्त वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य हैं जो स्वयं इस विषय पर अपना समाधान कर सकते हैं। परन्तु सदन में पिछले कुछ समय से जिस तरह की बातें चल रही हैं। वह कदाचित लोकतंत्र की प्रगति में बाधक बन सकती है। यह हम सबके लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष के रूप में मेरा यह संवैधानिक दायित्व है कि मैं इन विषयों पर अपना मत प्रदर्शित करूं। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि सदन के अन्दर

बैनर आदि लेकर आने की एक प्रथा बन गई है। इससे यह प्रकट होता हे कि सदन के अन्दर इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की सुनियोजित तैयारी की जाती है। कभी–कभी ऐसा होता है कि आपस में नोक–झोंक के दौरान कोई ऐसी बात निकल निकल गई है जो प्रीतिकर नहीं हुई अप्रिय लगी हम सदस्यगण जोर से बोलने लगते हैं ऐसा स्वाभाविक भी हो सकता है कभी गर्मी, कभी नर्मी, कभी उमस, कभी ताप, कभी शीत ऐसा कभी–कभी होता है लेकिन जब हम अपने घर से कुर्ते या सदरी में बैनर लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से यह तात्कालिक रोष नहीं है। यह सदन की गरिमा और महिमा के खिलाफ पूरी सोच, तैयारी, विचार, बहस और बैठक के बाद का परिणाम हो सकता है इसलिए मैं यह सुनिश्चित रूप में तैयारी करके यहाँ आना, मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष के रूप में, सभी आदरणीय इस सदन के सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि तैयारी करके आना और कभी सीटी लेकर आना और कभी तमाम तरह की भाव–भंगिमा और अदाओं को प्रदर्शित करना और तैयारी करके आना सडन प्रोवेकेशन हो सकता है उसकी बात अलग है यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से न चले सदन के अंदर अनर्गल आचरण भी हुए हैं इन्हें संसदीय नहीं कहा जा सकता हम सबको सोचना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना कहाँ तक उपयुक्त है आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस प्रकार के दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं इस पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे पास एक विपक्ष के मा. सदस्य दो दिन पहले आए थे उनका बहुत सुन्दर स्कूल चलता है और वह चाहते थें कि विधान सभा की कार्यवाही को बच्चों को दिखाने के लिए हम अनुमति दें तो मैंने उनको बहुत देर तक मैंने उनको बहुत देर तक समझाया कि बच्चे दुधमुँहें हैं कहीं कोई ऐसी बात हो जाए कि उनको 10–12 दिन तक सपने आते रहें यहाँ तो लोग बाहें चढ़ाते हैं। बच्चे डर जाए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा उनका बहुत अच्छा विद्यालय है फिर उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया। हमने उनको बहुत समझाया। हमने कहा बच्चों को क्यों इसमें फँसा रहे हो बहरहाल जब वह नहीं मानें तो मैंने अपने प्रमुख सचिव को कहा कि आप व्यवस्था कर दीजिए लेकिन जिस दिन बच्चे ऊपर होते हैं तो मेरा ध्यान होना चाहिए आपकी तरफ और आपकी तरफ रहता है लेकिन जैसे ही आप लोग जोर से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे डर गए होंगे कि क्या हो रहा है। मैं पक्ष या विपक्ष के बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ मैं समवेत् इस आदरणीय सदन की कार्यवाही के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा दृष्टिकोण भिन्न भी हो सकता है। आपसे असहमति भी हो सकती है लेकिन इस आदरणीय सदन को स्वस्थ, सुन्दर और सार्थक गुणवान बहसों के लिए प्रयोग किया जाए इसमें

आप भी सहमत होंगे। मेरा यह मत हैं कि अत्यंत विषम परिस्थितियों को छोड़कर जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए इसका तात्पर्य यह भी नहीं की हम किसी भी सीमा तक जाकर सदन की गरिमा को तार–तार कर दें। मेरा सादर विनम्र अनुरोध है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस विषय में सोचें और अपने विवेक से यह निर्णय भी लें कि उनका आचरण उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आदरणीय और श्रद्धेय जनता को रूचिकर लगने वाला होना चाहिए। विरोध प्रकट करने के अनेक तरीके हैं। दुनिया की विभिन्न संसदों में उत्कृष्टश्रेणी के संसदों और माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बात को इतनी मजबूती और प्रभावशाली तरीके से सदन में रखा गया है जिससे शासन के निर्णय प्रभावित भी हुए हैं। प्रभावी ढंग से विधान सभा अथवा संसद में अपनी बात को रखने से गंभीर–से–गंभीर मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। यदि सरकार का कोई कदम अच्छा नहीं लगता हैं तो उसको भी सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह नहीं माना जाता है कि सदन के अंदर व्यवधान उत्पन्न करने अथवा सदन में असंसदीय भाषा अथवा असंसदीय आचरण करने अथा समानान्तर सदन संचालित करना ही विरोध का एकमात्र तरीका नहीं है। हम इस व्यवस्था को तहस–नहस नहीं कर सकते। यह व्यवस्था हमको हमारे पूर्वजों द्वारा परम्परा में मिली है यदि हम इसको और सुदृढ़ नहीं बना पा रहे हैं अपनी कमजोरियों के कारण तो कम से कम जैसी सुन्दर व्यवस्था मिली है उसका ही संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा मत है कि सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन संसदीय लोकतंत्र का सदन के अंदर भी विरोध प्रदर्शन संसदीय लोकतंत्र का आधार है परन्तु विरोध के तौर–तरीके नहीं बल्कि शब्द की क्षमता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। शब्द में बहुत क्षमता होती है और भारतीय चिन्तन और दर्शन में शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है और हम देखते हैं कई बार माननीय नेता प्रतिपक्ष को और अपने कई वरिष्ठ सदस्यों को कि वह अपने शब्दों के माध्यम से ही कई बार बहुत सुन्दर, और बहुत गुदगुदाने वाला वातावरण भी पैदा करते हैं और अनेक बार ऐसा भी देखते हैं कि कोई वरिष्ठ सदस्य बोल रहा है तो हम लोग आपस में बात करने लगते हैं। यदि इस पक्ष का कोई बोल रहा है तो उधर वाले और उधर वाला कोई बोल रहा है तो इधर वाले। अब कोई कह सकता है कि हम बिल्कुल नाप–तौल कर नहीं बोल रहे हैं, हम भी शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शब्द का प्रयोग यही भारतीय जनतंत्र का, भारतीय ज्ञान का, भारतीय प्रज्ञान का, अनुभूति का मुख्य आधार रहे हैं। इसमें जो विधिक आदेश हैं वह तो उचित है और हमारा निर्णय भी है लेकिन मैं दो–एक बातें और कहना चाहता हूँ।

शब्द प्रयोग पर हम अपनी बात कह चुके हैं, यह तो पुराना प्रसंग है, अभी एक दिन सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को लेकर भी कुछ चर्चा शब्दों पर हुई थी। उसमें हँसी–मजाक में ही कहा गया था कि आप जो अंग्रेजों की बनायी रेलगाड़ी है वह उलट दीजिए। यह सब प्रेमपूर्ण बातें यहाँ हुई थीं। जो अपनी लोकसभा के उदाहरण दिए गए थे, 1937 में अंग्रेजी राज में गर्वनर जनरल के कार्यालय से अधिसूचना जारी हुई कि अध्यक्ष और सभापति एक सुनिश्चित पोशाक पहनेंगे। 1921 से 1946 तक यह व्यवस्था रही कि अध्यक्ष महोदय एक लम्बा चोगा पहनेंगे और अपने सिर पर विग रखेंगे लेकिन जब 1946 में श्रद्धेय जी.वी. मावलयंकर अध्यक्ष हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो चोगा नहीं पहनेंगे। तो कोई कह सकता है कि यह क्या तरीका है अंग्रेज बड़े महान थे और चोगा दे गए, आप क्यों नहीं पहनेंगे। कई बार ऐसी बातें आपके भी मन में आ सकती हैं कि कहीं पर सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से कोई वैचारिक संदेश देने की दृष्टि से आपको कोई नयी बात करें वह नयी बात हो सकती है कि कम ठीक हो और कोई भी नयी बात अथवा पुरानी बात हमेशा डिबेटेड ही होती है, उस पर बहस की गुंजाइश बनी रहती है। हम भारत के लोग ऐसे नहीं हैं कि कोई बात आकाश से कह दी गयी है तो वह बिल्कुल सही ही है, पुनर्विचार, विचार, शास्त्रार्थ, अर्थ, भावार्थ, बहस, तर्क, प्रतितर्क, वाद–विवाद, संवाद सब चलते रहना चाहिए। हम समझते हैं कि इसी में हम लोगों का भविष्य और उत्तर प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए हम यहां आएं हैं। हम सभी माननीय सदस्य बहुधा किसी अधिकारी के व्यवहार से पीड़ित होकर अथवा किसी अन्य बात से पीड़ित होकर बार–बार अपने विशेषाधिकार की चर्चा करते है जैसे कि मेरे पस बहुत चिट्ठियां आई हैं, साहब विशेषाधिकार का हनन हो गया। हमारे विशेषाधिकार इस आदरणीय सदनके विशेषाधिकार के अनुसंगीय हैं, उसी में अन्तर्निहित हैं। जो भी हैं स्वतंत्र नहीं हैं सदन के विशेषाधिकारों के भाग हैं, एकात्मक है, इन्टीगरल पार्ट हैं हम लोगों के विशेषाधिकार। हम उनको लेकर बहुत चिन्तित रहते हें लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि बहुत पढ़े–लिखे सुयोग्य सदस्य भी कोई बगल में बोल रहा है तो बगल में बैठे बात कर रहे हैं, यह तो सदन की गरिमा का, सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हम लोग यहां करें तो ठीक है और अगर बाहर हमसे कोई जोर से बोले तो हम विशषाधिकार की तलवार लिए घूमा करते हैं। तो बाहर वाले में हमारी सहमति है लेकिन यहां वाले में मैं चाहता हूँ कि सब लोग सहमत हो जाएं। कोई वरिष्ठ बोल रहा हो तो, कोई कनिष्ठ बोल रहा हो तो उसके वार्ता करते समय यहां कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए न तो टोकने वाली, न रोकने वाली, न निजी बातचीत आप करें कि हम

उनको टोक तो नहीं रहे हैं लेकिन हम अपने घर का किस्सा आपस में बैठे बात कर रहे हैं तो सुविधा तो यहां है, शीत ताप भी यहां ठीक रहता है लेकिन इस आदरणीय सदन में ऐसा न हो तो ठीक रहेगा। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी है और हिन्दी में बड़े–बड़े शब्द हैं, बहुत सुन्दर–सुन्दर शब्द हैं। हिन्दी की डिक्शनरी इतनी प्यारी है चूंकि संस्कृत का प्रवाह है, उर्दू का साझा है इसलिए हिन्दी का शब्दकोष बहुत सुन्दर है। तब भी हम लोग खींस निपोरना जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यह उचित होंगे। आप लोग कदाचित मेरा समय ज्यादा लेने से उब गए होंगे और स्पीकर को कम बोलना चाहिए। यह परिपाटी है। मैं निर्णय सुनाता हूँ।

तमाम वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुसंगत प्रावधानों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समानान्तर सदन संचालित किया जाना किसी भी प्रकार से संवैधानिक अथवा नियम के अनुसार नहीं माना जा सकता है। हम सब और पूरा राज्य समानान्तर सदन जैसे कृत्य से आहत है। इस कृत्य को संसदीय लोकतंत्र की स्वतंत्र एवं शालीन विरोध की परम्परा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः मैं प्रस्तुत प्रकरण को इस अवधारणा के साथ निस्तारित करता हूँ कि सभी माननीय सदस्यो को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे कृत्यों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो तथा हमारे आचरण से उत्तर प्रदेश के बाहर राजनीतिक, सामाजिक, कार्यकर्ता सीखें हमारा प्रभाव उन पर हो और जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो। जन प्रतिनिधि के रूप में हम अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करें। सदन में विरोध का विकल्प भी सदन के अन्दर ही है। ऐसा होता भी है कि कई बार गुस्सा हो गये, सदन स्थगित हो गया और फिर बैठे तो जब बैठना ही विकल्प है तो काहे गुस्सा हो गये। गये बाहर, फिर बैठे तो बाहर जाना भी ठीक है लेकिन यह ध्यान में रहें कि बाहर जाने की भी एक अदा हो, चाल ठीकठाक हो। जब आप बाहर निकलें, हम भी बाहर निकलें और इधर के माननीय सदस्य भी निकले तो सब ठीक रहे। सदन में विरोध का विकल्प भी सदन ही है। हम सभी को मिलकर वाद–विवाद के माध्यम से इस प्रदेश की आदरणीय जनता के लोक कल्याण के लिये नीति निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये सदन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परिपाटी का सृजन करेंगें, इस वाक्य के साथ मैं पिछले सत्र में जो व्यवस्था मांगी गयी थी, उस व्यवस्था को देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

❑❑

mÙkj çn'k fo/kku ifj"kn dk
o"kZ 2017 dk
f}rh; l= esa Ñr dk;Z

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष 2017 का द्वितीय सत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को प्रारम्भ हुआ तथा उसकी बैठकें दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 तक चलीं एवं 22 दिसम्बर 2017 की बैठक की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गयी, तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को जारी की गयी।

उक्त अवधि में परिषद् की कुल 07 बैठकें हुईं, जिनका विवरण इस प्रकार है:—

fnlEcj] 2017

14, 15, 18, 19, 20, व 22 दिसम्बर = 07 दिन

कुल = 07 दिन

mÙkj çn'k fo/kku ifj"kn d 2017 d f}rh; l= dh cBdk dh le;kof/k

1–	कुल बैठकों की संख्या	:	07 दिन
2–	निर्बाध चलने की समयावधि	:	29 घण्टा 35 मिनट
3–	व्यवधान की कुल समयावधि	:	01 घण्टा 17 मिनट
4–	कुल समयावधि	:	30 घण्टा 52 मिनट

'kksdksnxkj

उक्त अवधि में निम्नलिखित व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किया गया :–

1. श्री सच्चिदानन्द गुप्ता, पूर्व सदस्य, विधान परिषद्,
2. श्री रवि गौतम, पूर्व सदस्य, विधान परिषद्,
3. श्री जय सिंह यादव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद्,

.....

fo/kk;h dk;Z

¼d½ vf/kfu;e lEcU/kh ?kks"k.kk;sa

उक्त अवधि में प्रमुख सचिव, विधान परिषद् द्वारा निम्नलिखित घोषणायें की गईं :—

क्र. सं.	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
1.	उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 2017 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2017 ई. का दूसरा अधिनियम बना।	14.12.2017
2.	उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड(संशोधन) विधेयक, 2017 पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 2017 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2017 ई. का तीसरा अधिनियम बना।	14.12.2017
3.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 2017 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2017 ई. का चौथा अधिनियम बना।	14.12.2017

¼[k½ lnu dhest ij j[ks x;s v/;kns'k

क्र. सं.	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
1.	उत्तर प्रदेश आबकारी(संशोधन) अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2017)	14.12.2017
2.	उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल(अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2017)	14.12.2017

क्र. सं.	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
3.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2017)	14.12.2017
4.	उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अध्यादेश, 2017(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन्, 2017)	14.12.2017
5.	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन) अध्यादेश, 2017(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन्, 2017)	14.12.2017

¼x½ fo/k;d

उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक पारित किए गये–

Ø- l-	fo/k;d dk uke	lnu dh eat ij j[kus dh frfFk	ikfjr fd;s tkus dh frfFk
1	उत्तर प्रदेश पंचायत राज(संशोधन) विधेयक, 2017	20.7.2017 प्रवर समिति के सुपुर्द– 21.7.2017 प्रतिवेदन प्रस्तुत– 15.12.2017	20.12.2017
2.	कर्मचारी प्रतिकर(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	20.12.2017	20.12.2017
3.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	20.12.2017	20.12.2017
4.	उत्तर प्रदेश विनियोग(2017–2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017	20.12.2017	20.12.2017
5.	उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2017	21.12.2017	21.12.2017

Ø- l-	fo/k;d dk uke	lnu dh est ij j[kus dh frfFk	ikfjr fd;s tkus dh frfFk
6.	व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	21.12.2017	21.12.2017
7.	उत्तर प्रदेश चलचित्र(विनियमन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
8.	उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
9.	उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
10.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
11.	उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
12.	उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
13.	उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
14.	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2017	22.12.2017	22.12.2017
15.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017
16.	उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017 प्रवर समिति को सुपुर्द
17.	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	22.12.2017 प्रवर समिति को सुपुर्द

foÙkh; dk;Z

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के अनुपूरक अनुदानों को दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को सदन में प्रस्तुत किया गया तथा उस पर दिनांक 19 व 20 दिसम्बर, 2017 (कुल 02 दिन) चर्चा हुई। दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश विनियोग(2017–2018 को अनुपूरक) विधेयक, 2017 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखा गया तथा उसी दिन, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की बैठक में विचारोपरान्त पारित किया गया।

lpuk,

विभिन्न नियमों में प्राप्त सूचनाओं का विवरण

¼/;kukd"k.k çLrko½ fu;e&115

dy çkIr&145

शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित–100 व्यपगत–40

अन्य सूचनाओं के साथ सम्बद्ध–05

¼dk;&LFkxu çLrko½ fu;e & 105

dy çkIr & 38

शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित–32 व्यपगत–04

सम्बद्ध–02 अस्वीकार–00 चर्चा हेतु–00

¼vfoyEcuh; yksd egRo d fo"k; ij FkkM le; d fy; ppk½ fu;e & 110

dy çkIr&88

वक्तव्य हेतु –08 आवश्यक कार्यवाही हेतु–75

सम्बद्ध–00 अस्वीकार–05

¼yksd egRo d fo"k; ij oDr0;½ fu;e & 111

dy çkIr & 75

वक्तव्य हेतु–14 आवश्यक कार्यवाही हेतु–37 व्यपगत–20

अन्य सूचनाओं से सम्बद्ध–02 वापस ली गई सूचना–00

अग्राह्य–02

¼fo'k"kkf/kdkj½ fu;e & 223

dy çkIr & 04

शासन से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश–00 अस्वीकार–02

दलीय नेताओं की बैठक हेतु संदर्भित–00 समिति को संदर्भित–02

¼vkfpR; dk ç'u½ fu;e & 39@39 ^d*

dy çkIr & 07

समितियों को संदर्भित–00 आवश्यक कार्यवाही–04

स्वीकार–01 सम्बद्ध–01

व्यपगत–00 निर्णय सुरक्षित–00 वक्तव्य–01

¼fcuk lpuk d çLrko½ fu;e & 56

dy çkIr & 00

अस्वीकार–00

¼fcuk lpuk d çLrko½ fu;e & 59

dy çkIr & 01

स्वीकार–00 अस्वीकार–00

ef=;k }kjk fn;s x;s oDr0;

mDr vof/k e lEcfU/kr ef=;k }kjk fuEufyf[kr fo"k;k ij oDr0; fn;s x;s %&

Ø-l-	fo"k;	oDr0; fn;s tkus dh frfFk
1.	प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के अनुरूप व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुण्डीर, ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2017 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य।	15.12.2017
2.	जनपद–सहारनपुर के मुख्यालय पर शासकीय उद्यान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थित कम्पनी बाग के उद्यान में प्रातः भ्रमण हेतु नागरिकों से शुल्क लिये जाने के उपरान्त भी उद्यान में समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में श्री हेम सिंह पुण्डीर व श्री जगवीर किशोर जैन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2017 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य।	18.12.2017
3.	जनपद–रायबरेली के वि.ख.–शिवगढ़ के अन्तर्गत बैंती–सूरजपुर सम्पर्क मार्ग से बलभद्र खेड़ा मजरे देहली जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश प्रतापसिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2017 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	18.12.2017
4.	सेवाकाल में दिवंगत श्री राजीव अवस्थी, कर्मचारी, वर्ग–2 जिला सहकारी बैंक, लाटूश रोड लखनऊ के देयकों का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती ऋचा अवस्थी को तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री राज बहादुर सिंह चन्देल, चेत नारायण सिंह व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2017 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	18.12.2017

5.	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रख्यापन तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन) विधेयक, 2017 के पुरःस्थापन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को नियम–39(क) के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	21.12.2017
6.	जनपद–गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के विद्युत वितरण खण्डों पर 8 से 15 वर्षों से जमे टी.जी.–2 कार्मिकों को अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2017 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	21.12.2017
7.	जनपद–उन्नाव के औरास फीडर पर तैनात जूनियर इंजीनियर एवं लाइन मैनों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी मुश्ताक, सदस्य विधान परिषद्, द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2017 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	21.12.2017
8.	जनपद–बलरामपुर में उप कृषि निदेशक द्वारा भ्रष्टाचार एवं व्यापारियों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री नसीब पठान खां, पूर्व सदस्य विधान परिषद् एवं श्री चौधरी मुश्ताक, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2015 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	22.12.2017
9.	जनपद–गोण्डा के अंतर्गत नवाबगंज से रघुराज नगर टिकरी, मनकापुर रेहरा बाजार उतरौला तक के मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रणविजय सिंह व श्री महफूजुर्रहमान खां उर्फ महफूज खां, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2017 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	22.12.2017

lfefr dk çfronu

उक्त अवधि में निम्नलिखित समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया—

क्र. सं.	प्रतिवेदन	सदन में प्रस्तुत किये जाने की तिथि
1.	डा.(श्रीमती) मधु गुप्ता सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2016–2017), उक्त समिति का 14वां प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं तथा गृह विभाग के साथ कारागारों के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत किया।	19.12.2017

ç'u

fo/kku ifj"kn d f}rh; l=] 2017 d çkIr ç'uk dk fooj.k

1.	कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या–	751
2.	स्वीकार प्रश्नों की संख्या–	707
3.	अस्वीकार प्रश्नों की संख्या	44

vYi lfpr i'u

1.	प्राप्त प्रश्नों की संख्या–	72
2.	स्वीकार प्रश्नों की संख्या–	66
3.	अल्पसूचित से तारांकित प्रश्नों की स्वीकृत संख्या	01
4.	अस्वीकार प्रश्नों की संख्या–	05

rkjkfdr i'u

1.	प्राप्त प्रश्नों की संख्या–	606
2.	स्वीकार प्रश्नों की संख्या–	542
3.	तारांकित से अतारांकित प्रश्नों की संख्या	28
4.	अस्वीकार प्रश्नों की संख्या–	36

vrkjkfdr ç'u

1.	प्राप्त प्रश्नों की संख्या–	73
2.	स्वीकार प्रश्नों की संख्या–	70
3.	अस्वीकार प्रश्नों की संख्या–	03

lnu dh estj ij j[ks x;s i=kfn

Ø- l-	fo"k;	lnu dh estj ij j[ks tkus dh frfFk
1.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं नियन्त्रण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–753 / ग्यारह–9(15)–17उ.प्र.अधि–1–2017–आदेश(03)–2017, दिनांक 21 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017)की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
2.	उप मुख्य मंत्री(नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–819 / ग्यारह–9(42)–17–उ.प्र.जी.एस.टी. नियम–2017–आदेश–(04)–2017, दिनांक 28 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017 की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
3.	उप मुख्यमंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन –अनुभाग 2 के अधिसूचना संख्या क.नि–2–836 / ग्यारह–9 (47) –17–उ.प्र. अधि –1–2017–आदेश–(06)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
4.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–847 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश– (14)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017

5.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–850 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017, आदेश (17)–2017 दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
6.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–852 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि–1–2017 आदेश–(19) –2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
7.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–853 / ग्यारह–9(47) –17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश–(20–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
8.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–855 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश–(22)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
9.	उप मुख्य मंत्री(नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–941 / ग्यारह–9 (42)–17–उ.प्र.जी.एस.टी. नियम–2017–आदेश–(30)–2017, दिनांक 14 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017

10.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1426/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017 –आदेश–(54)–2017, दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधि ानियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
11.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2010(उप.लो.आ.) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा(7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
12.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–12–2016(उप.लो.आ.) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा(7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
13.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा(7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017
14.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–07–2013 (उप लो.आ.) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा(7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	14.12.2017
15.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2003–2004 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017

16.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2004–2005 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017
17.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2005–2006 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017
18.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2006–2007 के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017
19.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2007–2008 के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017
20.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की छठी वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2008–2009 के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	18.12.2017
21.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–752/ग्यारह–9(15)–17–उ.प्र. अधिनियम–1–2017–आदेश(02)–2017, दिनांक 21 जून, 2017 की उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या सन्–2017, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017

22.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–837/ग्यारह–947–47–17–उ.प्र. अधिनियम–1–2017–आदेश(07)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
23.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–842/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(09)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
24.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या– क.नि.–2–844/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र. अधिनियम–1–2017–आदेश(11)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
25.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–844/ग्यारह–9(53)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(32)–2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
26.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1112/ग्यारह–9(57)–17–उ.प्र. अधि.–5–2008–आदेश(34)–2017, दिनांक 10 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017

27.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1111/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.2017–आदेश (35)–2017, दिनांक 11 अगस्त, 2017 की उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
28.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1141/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(37)–2017, दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
29.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1278/ग्यारह–9 (42)–17–उ.प्र. जी.एस.टी. नियम–.2017–आदेश(44)–2017, दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
30.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1460/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(58)–2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
31.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1528/ग्यारह–9 (15)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(59)–2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017

32.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1529/ग्यारह–9 (15)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(60)–2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
33.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1530/ग्यारह–9 (15)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(61)–2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
34.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1551/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(63)–2017, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
35.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1552/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि–1 – 2017 – आदेश(64)–2017, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
36.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क.नि.–2–1553/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र. अधि.–1–2017–आदेश(65)–2017, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017

37.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या–626 / 86–2017–57(सामान्य)–2017, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार)(इकतालीसवां संशोधन) नियमावली, 2017 को खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
38.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या–997 / 86–2017–57(सामान्य)–2017, दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार)(बयालीसवां संशोधन) नियमावली, 2017 को खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
39.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या–1956 / 86–2017–57(सामान्य)–2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार)(तेंतालीसवां संशोधन) नियमावली, 2017 को खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
40.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या–3207 / 86–2017–151(सा.)–2017, दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार)(चौवालीसवां संशोधन) नियमावली, 2017 को खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
41.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या–866 / 86–2017–132–2016 दिनांक 15 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन	19.12.2017

	न्यास नियमावली, 2017 की खान और खनिज(विकास और विनियम)अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	
42.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने राज्य वित्त पोषित व स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण दीक्षित, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–10 के दिये गये उत्तर के क्रम में आश्वासित सूचना को सदन की मेज पर रखा।	19.12.2017
43.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	20.12.2017
44.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम–186 में ग्राम पंचायत तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम–176 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	20.12.2017
45.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2017(दिनांक 15.5.2017 से 28–07–2017 तक) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमवाली, 1956 के नियम–115 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण नियमावली के नियम–115(4) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	20.12.2017
46.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.– 2–751/ग्यारह –9 (15)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(01)–2017, दिनांक	21.12.2017

	21 जून, 2017 की उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	
47.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि– 2 – 834 / ग्यारह –9(15)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(05)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
48.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.– 2 – 838/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(08)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
49.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.– 2 – 845/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(12)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
50.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.– 2 – 846/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(13)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017

51.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–848/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(15)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
52.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–849/ग्यारह–9(15)–17–उ.प्र.अधिनियम–1–2017– आदेश(16)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
53.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–851/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र.अधिनियम–1–2017–आदेश(18)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
54.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–854/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017– आदेश(21)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
55.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–856/ग्यारह–9(47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(23)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017

56.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–857 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(24)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
57.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–865 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश (26)–2017, दिनांक 02 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
58.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–927 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(27)–2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
59.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–928 / ग्यारह –9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–2017–आदेश(28)–2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
60.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–929 / ग्यारह –9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–2017–आदेश(29)–2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017

61.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1014 /ग्यारह–9 (52)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(31)–2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
62.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1016/ ग्यारह–9 (53)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश (33)–2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
63.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2– 110/ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–2017–आदेश(36)–2017, दिनांक 11 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
64.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1158/ ग्यारह–9(52)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(38)–2017, दिनांक 18 अगस्त, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
65.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1404/ग्यारह–9 (109)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(46)–2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017

66.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1413 / ग्यारह–9 (114)–12–उ.प्र.अधि.–5–2008–आदेश(47)–2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
67.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1415 / ग्यारह–9 (15)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(49)–2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
68.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि –2 – 1424 / ग्यारह–9 (47)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश (52)–2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
69.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1439 / ग्यारह–9 (15)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश (55)–2017, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
70.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1531 / ग्यारह–9 (42)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश (62)–2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,	21.12.2017

	2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	
71.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–2–1679 / ग्यारह–9 (42)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(77)–2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1–सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
72.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012–2013 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
73.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2013–2014 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
74.	मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री ने जनपद–इटावा के वित्तीय वर्ष 1997–98 एवं 98–99 में शिक्षण संस्थाओं की छात्रवृत्ति हेतु आवंटित की गई धनराशि के सम्बन्ध में श्री दयाराम प्रजापति, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–16 के दिये गये उत्तर के क्रम में आश्वासित सूचना को सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017
75.	उप मुख्य मंत्री (नेता सदन) ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क.नि.– 2858 / ग्यारह – 9(42)–17–उ.प्र.अधि.–1–2017–आदेश(25)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर	21.12.2017

	(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा–166 की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	
76.	दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य मंत्री ने लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–12–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा(7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा।	21.12.2017

vljdkjh ldYi

श्री मधुकर जेटली, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया गया :–

''इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के किसी भी निजी व सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराने हेतु, सरकारी अन्य प्रदेशों की भांति अविलम्ब आवश्यक नियम बनायें, जिससे घायल व्यक्तियों का समय पर निःशुल्क उपचार करके उसके अमूल्य जीवन की रक्षा की जा सके।''

;kfpdk;s

mDr vof/k esa fu;e&215 ds vUrxZr fuEufyf[kr ;kfpdk;sa lnu esa çLrqr dh xbZ] tks lnu dh vuqefr ls ifj"kn dh ;kfpdk lfefr dks funsZf'kr gqbZ%&

Ø- l-	;kfpdk ,oa çLrqr okys lnL; dk uke	lnu esa çLrqr djus dh frfFk
1.	श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम पंचायत–साल्हेपुर, खलीलनगर, विकास खण्ड–सफीपुर, जनपद–उन्नाव के निवासियों की ओर से सरकारी नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	15.12.2017
2.	श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम व पोस्ट–मगरवारा, तहसील व जनपद–उन्नाव के निवासियों की ओर से पुलिस चौकी–मगरवारा की बस्ती में बह रहे सरकारी नाले को चौड़ीकरण कर ढकवाने तथा इन्टरलाकिंग करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
3.	श्री दीपक सिंह, सदस्य, विधान परिषद द्वारा विकास खण्ड–शाहगढ़, जनपद–अमेठी के निवासियों की ओर से मार्ग निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	18.12.2017
4.	डा. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम–पोखरा हरिया, ब्लॉक–फिरोजाबाद, जनपद–फिरोजाबाद के निवासियों द्वारा मार्ग डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
5.	डा. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम–डेग, ब्लॉक व जनपद फिरोजाबाद के निवासियों द्वारा मार्ग डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
6.	श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम–छिटाई खेड़ा, विकास खण्ड–बिछिया, जिला–उन्नाव के निवासियों द्वारा विद्युत पोल तथा तार लगाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

7.	श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद द्वारा विकास खण्ड–लालगंज, जनपद–प्रतापगढ़ के निवासियों द्वारा इण्टरलाकिंग एवं नाली के निर्माण के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
8.	श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम–दरहा, विकास खण्ड–नेवादा, जनपद–कौशाम्बी के निवासियों की ओर से जल निकासी एवं सीवर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
9.	डा. विजय प्रताप, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्राम–सआदतपुर, तहसील– जखनिया, ब्लाक–मनिहारी, जनपद–गाजीपुर के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
10.	डा. विजय प्रताप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–सआदतपुर, तहसील–जखनिया, ब्लाक–मनिहारी, जनपद–गाजीपुर के निवासियों की ओर अतिक्रमण हटाते हुये सी.सी.रोड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
11.	श्री दीपक सिंह, सदस्य, विधान परिषद द्वारा ग्रामसभा–लालपुर, विकास खण्ड–जामों, जनपद–अमेठी के निवासियों द्वारा लिंक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
12.	श्री दीपक सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, द्वारा ग्राम–रवीन्द्र नगर, तेलीबाग, जनपद–लखनऊ के निवासियों द्वारा जल भराव की समस्या एवं मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	19.12.2017
13.	श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा जरौली फेस–2 (नियर जटाशंकर गेस्ट हाउस), जनपद–कानपुर नगर के निवासियों की ओर से अवैध रूप से निर्मित पुल को हटवाये जाने एवं पानी निकासी हेतु रास्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

14.	श्री संतोष यादव 'सनी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम व पोस्ट–चौरी मौहुलानी, ब्लाक–उस्का बाजार, तहसील–नौगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर के निवासियों की ओर से पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
15.	श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–रऊ करना, विकास खण्ड–सिकन्दरपुर सरोसी, जनपद–उन्नाव के निवासियों की ओर से इण्टरलाकिंग लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत	
16.	श्रीमती कान्ति सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–खेवासीपुर, तहसील व ब्लाक–मेंहनगर, जनपद–आजमगढ़ के निवासियों की ओर से नाली व पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
17.	श्रीमती कान्ति सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अन्तर्गत ग्राम–गोसवा, ब्लाक–मल्लावां, तहसील–बिलग्राम, जनपद–हरदोई के निवासियों की ओर से आर.सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
18.	श्री सुरेश कुमार कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा संगम विहार, बलराम नगर विस्तार, लोनी, जनपद–गाजियाबाद के निवासियों की ओर से इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
19.	श्री सुरेश कुमार कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा डूण्डाहेडा वार्ड–23, तहसील व जनपद–गाजियाबाद के निवासियों की ओर से अम्बेडकर भवन में दो बड़े हाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
20.	डा. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद्, द्वारा ग्राम–नगला, हरिशचन्द्र, ब्लाक व जनपद–फिरोजाबाद के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	20.12.2017

21.	डा. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा मोहल्ला–उर्दू नगर दीदामई, जनपद–फिरोजाबाद, के निवासियों की ओर से नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
22.	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा चौराहा लालपुर, ग्राम–पातेपुर, तहसील–अकबरपुर, जनपद–कानपुर देहात के निवासियों की ओर से नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
23.	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा चौराहा लालपुर, ग्राम–पातेपुर, तहसील–अकबरपुर, जनपद–कानपुर देहात के निवासियों की ओर से विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
24.	श्री जितेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–अल्लीपुर आलमपुर, विकास खण्ड–माछरा, तहसील– मवाना, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
25.	श्री जितेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–अल्लीपुर आलमपुर, विकास खण्ड–माछरा, तहसील–मवाना, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से इण्टरलाकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
26.	डा. विजय यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम व पोस्टा–अटवा अली मर्दनपुर, ब्लॉक–माधौगंज, जनपद–हरदोई के निवासियों की ओर से सरकारी नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
27.	डा. विजय यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्रामसभा–मौधा, विकास खण्ड –सैदपुर, जनपद–गाजीपुर के निवासियों की ओर से विद्युत सब स्टेशन कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

28.	श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा लालगंज टाउन एरिया दूरभाष केन्द्र मोहल्ला दीवानी बोर्ड जनपद–प्रतापगढ़ के निवासियों की ओर से विद्युत के खम्भे व तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
29.	श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा लालगंज अझारा, एस.डी.एम.आवास के पीछे, टाउन एरिया पूरे बसावन, जनपद–प्रतापगढ़ के निवासियों की ओर से विद्युत के खम्भे व तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
30.	श्री परवेज अली, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा कांकरसरायॅ अड्डा अमरोहा शहर, जनपद–अमरोहा के निवासियों की ओर से सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
31.	श्री परवेज अली, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–शकरपुर समसपुर, ब्लाक–जोया, जनपद–अमरोहा के निवासियों की ओर से सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
32.	श्री रणविजय सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्रामसभा–बढ़या फरीद खॉ (दमनपुरवा), रेहरा बाजार, तहसील–उतरौला, जनपद–बलरामपुर के निवासियों की ओर से विद्युत के सिंगल पोल को डबल पोल में परिवर्तित कराये जाने सम्बन्ध में दी गई याचिका	
33.	श्री रवि शंकर सिंह 'पप्पू भैया', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम व पोस्ट–इब्राहिम पट्टी, तहसील व ब्लाक–सियर, जनपद –बलिया के निवासियों की ओर से लाइब्रेरी, अतिथि गृह एवं सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
34.	श्री रमेश मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम व पोस्ट–चौरी महुलानी, ब्लाक–उस्का बाजार, तहसील–नौगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

35.	श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–बघैरा, विकास खण्ड–गुरसरांय, जनपद–झांसी के निवासियों की ओर से सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	21.12.2017
36.	श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–भड़ोखर, विकास खण्ड–गुरसरांय, जनपद–झांसी के निवासियों की ओर से सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
37.	डा. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–पचवान, ब्लाक– नारखी, जनपद–फिरोजाबाद के निवासियों की ओर से पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
38.	डा. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–सेंदलपुर, ब्लाक– मदनपुर, जनपद–फिरोजाबाद के निवासियों की ओर से मार्ग डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
39.	श्री प्रदीप कुमार जाटव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–पटिया, तहसील व पोस्ट–मिलक, जनपद–रामपुर के निवासियों की ओर से सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
40.	श्री प्रदीप कुमार जाटव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–नौराहा, तहसील –मिलक, जनपद–रामपुर के निवासियों की ओर से सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
41.	श्री जितेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–अल्लीपुर आलमपुर, विकास खण्ड–माछरा, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
42.	श्री जितेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–अल्लीपुर आलमपुर, विकास खण्ड–माछरा, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से पंचायत भवन/मिनी सचिवालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

43.	श्री अतर सिंह राव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–सनौता, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से राजवाहा पर दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
44.	श्री अतर सिंह राव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अम्बेडकरनगर कालोनी, विजय नगर, जनपद–गाजियाबाद के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
45.	श्री सुरेश कुमार कश्यप, सदस्य, विधान परिषद्, द्वारा कृष्णा विहार, गाँधी आश्रम, मेरठ रोड, जनपद– हापुड़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
46.	श्री सुरेश कुमार कश्यप, सदस्य, विधान परिषद्, द्वारा रामलीला मैदान, जनपद– हापुड़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
47.	श्री सुनील कुमार चित्तौड़, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा नैनाना जाट, जनपद–आगरा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
48.	श्री सुनील कुमार चित्तौड़, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अम्बेडकरनगर (नई आबादी) नैनाना जाट, जनपद–आगरा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
49.	डा. विजय यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्रामसभा – हथौड़ा, विकास खण्ड– सैदपुर जनपद – गाजीपुर के निवासियों की ओर से नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
50.	डा. विजय यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्रामसभा – खरौना, विकास खण्ड– सैदपुर जनपद – गाजीपुर के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

51.	श्री महफूजुर्रहमान उर्फ महफूज खाँ, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–बढ़या फरीद खाँ, विकास खण्ड–रेहरा बाजार, जनपद–गोण्डा के निवासियों की ओर से जल सम्मरण हेतु बढ़या झील से कैनाल तक कुलाबा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
52.	श्री महफूजुर्रहमान उर्फ महफूज खाँ, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–बढ़या फरीद खाँ, विकास खण्ड–रेहरा बाजार, जनपद–बलरामपुर के निवासियों की ओर से बढ़या झील की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
53.	श्री महमूद अली, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–काबड़ौत, ब्लाक व जनपद–शामली के निवासियों की ओर से पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
54.	श्रीमती कान्ति सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा शंकरपुर कालोनी (नई कालोनी), मड़ियांव, जनपद–लखनऊ के निवासियों की ओर से नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
55.	श्री सन्तोष यादव 'सनी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम– महदेवा खुर्द एवं सियरापार, विकासखण्ड– उस्का गजार, जनपद– सिद्धार्थनगर के निवासियों की ओर से मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
56.	श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम– ठाकुर खेड़ा, ग्राम पंचायत–अरड़गांव पास खेड़ा, विकास खण्ड– पुरवा, जनपद–उन्नाव के निवासियों की ओर से राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
57.	डॉ. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा गांव जलालपुर फरोल नगरिया, ब्लाक व जनपद फिरोजाबाद के निवासियों की ओर से मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	22.12.2017

58.	डॉ. दिलीप यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–नगला खार, ब्लाक व जनपद–फिरोजाबाद के निवासियों की ओर से नाली व सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
59.	श्री जितेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–अल्लीपुर आलमपुर, विकास खण्ड–माछरा, तहसील–मवाना, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से दूसरा गन्ना क्रय केन्द्र, मवाना शुगर वर्क्स से दिलाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
60.	श्री जितेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–अल्लीपुर आलमपुर, विकास खण्ड–माछरा, तहसील–मवाना, जनपद–मेरठ के निवासियों की ओर से गन्ना क्रय केन्द्र, से मेरठ–आसिफाबाद मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
61.	श्री शशांक यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–नन्दवन, पोस्ट–गढ़ी खेरवा ब्लाक–गोंदलामऊ, तहसील–सिधौली, जनपद–सीतापुर के निवासियों की ओर से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
62.	श्री शशांक यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–नन्दवन, पोस्ट–गढ़ी खेरवा ब्लाक–गोंदलामऊ, तहसील–सिधौली, जनपद–सीतापुर के निवासियों की ओर से आर.सी.सी. मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
63.	श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–लौड़ी, विकास खण्ड–गुरसरांय, जनपद–झांसी के निवासियों की ओर से शमशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
64.	श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत–पुछी, विकास खण्ड–गुरसरांय, जनपद–झांसी के निवासियों की ओर से शमशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	

65.	श्री सुनील कुमार चित्तौड़, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अम्बेडकर नगर, नैनाना, जाट, जनपद–आगरा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
66.	श्री सुनील कुमार चित्तौड़, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अम्बेडकर नगर,(नई आबादी), नैनाना जाट, जनपद–आगरा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
67.	डॉ. विजय यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम सभा–खरौना, विकास खण्ड–सैदपुर जनपद–गाजीपुर के निवासियों की ओर से जल निकासी की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
68.	श्रीमती कान्ति सिंह, सदस्य विधान परिषद् द्वारा नवीन चौक चौराहा, जनपद–सीतापुर के निवासियों की ओर से सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
69.	श्री श्रीराम सिंह यादव, सदस्य विधान परिषद द्वारा ग्राम–डहकवाड़ा, विकास खण्ड व जनपद–अमरोहा के निवासियों की ओर से पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
70.	श्री संजय कुमार मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–बड़ा गांव अर्जुनपुर, जनपद–हरदोई के निवासियों की ओर से पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
71.	डा0 विजय प्रताप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा ग्राम–गोमतीपुर, विकास खण्ड व तहसील–शामली, जनपद–शामली के निवासियों की ओर से नाले का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	
72.	श्री रमेश मिश्र, सदस्य विधान परिषद् द्वारा नगर पालिका–मौदहा, जनपद–हमीरपुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका	❑❑

mÙkj çn'k fo/kku ifj"kn e nyh; urkvk d uke ,o mudh nyh; fLFkfr

(दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार)

Ø- l-	ny dk uke	ny d urk@ miurk dk uke	nyh; fLFkfr
1–	समाजवादी पार्टी	श्री अहमद हसन	61
2–	भारतीय जनता पार्टी	डा. यज्ञदत्त शर्मा (उपनेता)	13
3–	बहुजन समाज पार्टी	श्री सुनील कुमार चित्तौड़	09
4–	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	श्री दिनेश प्रताप सिंह	02
5–	राष्ट्रीय लोकदल	श्री चौधरी मुश्ताक	01
6–	* शिक्षक दल (गैर राजनैतिक)	श्री ओम प्रकाश शर्मा	05
7–	* निर्दलीय समूह	श्री राजबहादुर सिंह चंदेल	05
8–	निर्दलीय		01
9–	असम्बद्ध	.....	01
10–	रिक्त	.....	02
		कुल योग–	100

* सदन में कार्य करने हेतु मान्यता प्राप्त।

mÙkj çns'k fo/kkulHkk dh lfefr;ksa }kjk ekg vDVwcj&fnlEcj 2017 dh vof/k esa fu"ikfnr dk;Z dk lf{kIr fooj.k

1-ykd y[kk lfefr

¼d½ ykd y[kk lfefr ¼tujy ,oa lks'ky lsDVj½

(क) बैठकों की संख्या– शून्य

(ख) निष्पादित कार्य– शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

¼[k½- ykd y[kk lfefr ¼ vkfFkd ,oa jktLo {ks=½

(क) बैठकों की संख्या– शून्य

(ख) निष्पादित कार्य– शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरणः–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

2- mÙkj çns'k fo/kku e.My dh lkoZtfud miØe ,oa fuxe lg;qDr lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 11

(ख) निष्पादित कार्य– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि., मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. ,उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, उ.प्र.राज्य चीनी निगम लि., उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., उ.प्र.

औद्योगिक विकास लि., उ.प्र. जल निगम, उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि., उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लि.,उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि., उ.प्र. लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. से सम्बन्धित प्रस्तरों पर विचार–विमर्श किया गया।

(ग) अध्ययन भ्रमण सम्बंधी विवरणः–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

3- çkDdyu lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 6

(ख) निष्पादित कार्य– समिति (2017–2018) द्वारा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, वन विभाग तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्राक्कलनों का परीक्षण किया गया।

(ग) अध्ययन भ्रमण सम्बंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

4- çn'k d LFkkuh; fudk;k d y[kk&ijh{kk çfrosnuk dh tkp lEcUèkh lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 5

(ख) निष्पादित कार्य– समिति से सम्बन्धित कार्य **,d çfrosnu lnu d iVy ij j[kk x;kA** स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग,उ.प्र., इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा विभाग,उ.प्र. इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 2003–2004, 2004–2005 तथा 2007–2008 में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन क्रमशः जिला शिक्षा समिति महाराजगंज, बेसिक शिक्षा समिति इलाहाबाद, उ.प्र. राज्य बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद एवं बेसिक शिक्षा समिति कानपुर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित प्रतिवेदन।

(ग) अध्ययन–भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल – शून्य

5- mÙkj çn'k fo/kku lHkk dh ipk;rhjkt lfefr ¼2017&18½

(क) बैठकों की संख्या– 7

(ख) निष्पादित कार्य– पंचायतीराज समिति (2017–2018) के षष्ठम्, सप्तम्, अष्टम्, एवं नवम् प्रतिवेदन दिनांक–19/12/2017 को सदन में प्रस्तुत किये गये।

(ग) अध्ययन–भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का बाहर अध्ययन भ्रमण दल–शून्य

6- ;kfpdk lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 8

(ख) निष्पादित कार्य– समिति से सम्बन्धित कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

7- fo'k"kkf/kdkj lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 1

(ख) निष्पादित कार्य– समिति सम्बन्धी कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

8. आचार समिति

(क) बैठकों की संख्या– शून्य

(ख) निष्पादित कार्य– समिति सम्बन्धी कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

9. प्रतिनिहित विधायन समिति

(क) बैठकों की संख्या– 1

(ख) निष्पादित कार्य– समिति सम्बन्धी कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

10. नियम समिति

(क) बैठकों की संख्या– शून्य

(ख) निष्पादित कार्य– समिति सम्बन्धी कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

11. महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति

(क) बैठकों की संख्या– 6

(ख) निष्पादित कार्य– समिति से संबंधित कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

12- vu|lfpr tkfr] vu|lfpr tutkfr;k rFkk foeDr tkfr;k lEcUèkh lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 4

(ख) निष्पादित कार्य– समिति सम्बन्धी कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

13- ljdkjh vk'oklu lc/kh lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 13

(ख) निष्पादित कार्य– समिति से सम्बन्धित कार्य प्रतिवेदन संख्या –138 एवं 139 दिनांक 21–12–2017 को सदन में प्रस्तुत

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

14- llnh; 'kk/k lnHk ,o v/;;u lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 1

(ख) निष्पादित कार्य– समिति से सम्बन्धित कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

15- ç'u ,o lnHk lfefr

(क) बैठकों की संख्या– शून्य

(ख) निष्पादित कार्य– समिति से सम्बन्धित कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :—

(क) प्रदेश के अन्दर / बाहर अध्ययन भ्रमण— शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल— शून्य

16- vkokl lc/kh l;Dr lfefr

(क) बैठकों की संख्या— शून्य

(ख) निष्पादित कार्य— समिति से सम्बन्धित कार्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :—

(क) प्रदेश के अन्दर / बाहर अध्ययन भ्रमण— शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल— शून्य

17- fo/kku iLrdky; lfefr

(क) बैठकों की संख्या— शून्य

(ख) निष्पादित कार्य— शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :—

(क) प्रदेश के अन्दर / बाहर अध्ययन भ्रमण— शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल— शून्य

18- dk;l e=.kk lfefr

(क) बैठकों की संख्या— 4

(ख) कृत कार्यों का विवरण— समिति की सम्पन्न बैठकों की कार्यवाही के अनुसार समिति की सिफारिशें सदन में प्रतिवेदित की गयीं

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :—

(क) प्रदेश के अन्दर / बाहर अध्ययन भ्रमण— शून्य

(ख) अन्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण दल— शून्य

❑❑

mÙkj çn'k fo/kku ifj"kn dh lfefr;k }kjk ekg vDVcj&fnlEcj 2017 dh vof/k e fu"ikfnr dk;k dk lf{kIr fooj.k

1- noh; vkinK çcU/ku tkp lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 1

(ख) निष्पादित कार्य– प्रकरणों पर विचार विमर्श

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

2- f'k{kk dk 0;olk;hdj.k lc/kh tkp lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 1

(ख) निष्पादित कार्य– प्रकरणों पर विचार विमश

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

3- ç'u ,o lnHk lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 12

(ख) निष्पादित कार्य– लम्बित प्रकरणों पर विचार

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– 1

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

4- fo/kk;h lekf/kdkj lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 2

(ख) निष्पादित कार्य– लम्बित प्रकरणों पर विचार

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

5- fofu;eu leh{kk lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 1

(ख) निष्पादित कार्य– लम्बित प्रकरणों पर विचार

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

6- ;kfpdk lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 6

(ख) निष्पादित कार्य– लम्बित प्रकरणों पर विचार

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

7- foÙkh; ,oa ç'kkldh; foyEc lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 4

(ख) निष्पादित कार्य– प्रकरणों पर विचार विमर्श

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

8- fo'k"kkf/kdkj lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 13

(ख) निष्पादित कार्य– लम्बित प्रकरणों पर विचार एवं निस्तारण

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– पोर्ट ब्लेयर, तमिलनाडु प्रदेशों का भ्रमण कार्यक्रम।

9- çn'kh; Åtk 0;oLFkk lac/kh tkp lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 17

(ख) निष्पादित कार्य– लम्बित प्रकरणों पर विचार

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– 1

10- vk'okluu lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 8

(ख) निष्पादित कार्य– लंबित प्रकरणों पर विचार विमर्श

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण–1 13.10.2017 से 16.10.2017 तक वाराणसी, विन्ध्यांचल, इलाहाबाद का दौरा

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

11- [kkn; inkFkk e feykoV ,o udyh nokvk d jkdFkke lEcUèkh tkp lfefr

(क) बैठकों की संख्या— 5

(ख) निष्पादित कार्य— लम्बित प्रकरणों पर विचार विमर्श

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :—

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण— शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल— शून्य

12- mÙkj çns'k fo/kku ifj"kn dh l:lnh; ,o lkekftd lnHkko lfefr

(क) बैठकों की संख्या— 14

(ख) निष्पादित कार्य— समिति में लम्बित प्रकरणों पर विचार एवं चर्चा।

प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या :— शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :—

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण— प्रदेश के अन्दर आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मण्डलों (नई दिल्ली सहित) का अध्ययन भ्रमण।

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल— शून्य

13- mÙkj çns'k fo/kku ifj"kn dh fodkl çkf/kdj.kk] vkokl fodkl ifj"kn] ftyk ipk;rk ,o uxj fuxek e 0;klr vfu;ferrkvk ij vdq'k yxku@tkp fd; tku d lEcUèk e lfefrA

(क) बैठकों की संख्या— 2

(ख) निष्पादित कार्य— समिति में लम्बित प्रकरणों पर विचार एवं चर्चा

प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या :— शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्यन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

14- mÙkj çns'k fo/kku ifj"kn dh fo/kku e.My lnL;k dk vkoklh; ifjokn lEcU/kh tkp lefr

(क) बैठकों की संख्या– 2

(ख) निष्पादित कार्य– समिति में लम्बित प्रकरणों पर विचार एवं चर्चा

प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या :– शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

15- mÙkj çns'k fo/kku ifj"kn dh fu;e iqujh{k.k lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 3

(ख) निष्पादित कार्य– नियमों पर विचार एवं चर्चा।

प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या– शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

16- mÙkj çns'k fo/kku ifj"kn dh lalnh; v/;;u lfefr

(क) बैठकों की संख्या– 3

(ख) निष्पादित कार्य– चयनित विषय पर चर्चा एवं विचार।

प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या :– शून्य

(ग) अध्ययन भ्रमण संबंधी विवरण :–

(क) प्रदेश के अन्दर/बाहर अध्ययन भ्रमण– शून्य

(ख) अन्य प्रदेशों का अध्ययन भ्रमण दल– शून्य

❑❑

mRrj in'k fo/kku lHkk dh dk;Z ç.kkyh
mRrj çns'k esa lalnh; dk;Zç.kkyh esa
ç'u] ç'u çgj] ç'uksRrj dk egRo ,oa vkWu ykbu çfØ;k

& Jh v'kksd dqekj
mi lfpo] fo/kku lHkk

भारतीय संविधान के चार स्तम्भों (1) न्याय पालिका, (2) कार्यपालिका, (3) विधायिका एवं (4) पत्रकारिता में विधायिका का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है एवं इसी के अन्तर्गत समाहित है प्रश्न। प्रश्न प्रहर एवं प्रश्नोत्तर का मूल उद्देश्य का मूल्यांकन करें तो यह परिलक्षित होता है कि प्रदेश में निवसित अवाम के सर्वांगीण उत्थान, समय–समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों का निदान आदि के सम्बन्ध में विधायिका के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा समस्या के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सुझाव देना मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्नों को पूछने के सुव्यवस्थित तरीके, लोक महत्व के प्रश्नों का वर्गीकरण, प्रश्नों के विषय का स्वरूप, सूचना देने का समय, निस्तारण एवं प्रश्न पूछने की रीति आदि के सुचारू रूप से प्रस्तुत करने एवं उसे निस्तारित करने सम्बन्धी व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित ढंग से उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय–7 में उल्लिखित नियम–26 से 50 तक में एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के अध्याय–6 में उल्लिखित नियम–22 से 49 तक में विस्तृत रूप से समावेशित है।

ç'u

परम्परागत तथा नियमानुसार प्रत्येक सदन का पहला घण्टा प्रश्नों के लिये निर्धारित होता है। प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रश्नों द्वारा सभी सदस्य चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के, सरकार के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के बारे में अधिकृत जानकारी सरकार से प्राप्त करना चाहते हैं। नियमानुसार प्रश्नों को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। (1) अल्प सूचित तारांकित प्रश्न, (2) तारांकित प्रश्न एवं (3) अतारांकित प्रश्न। इस विभाजन का आशय केवल यह है कि ऐसी सूचना जो तुरन्त आवश्यक हो वह अल्प सूचना पर शासन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तारांकित प्रश्नों के द्वारा सदस्य सरकार का उत्तर पाने के बाद पूरक प्रश्नों के माध्यम से अन्य सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं एवं अतारांकित प्रश्नों द्वारा सांख्यिकीय सूचना तथा ऐसी सूचना

जिसके द्वारा सदस्य सरकार के नीतियों की आलोचना करते हैं, सदस्य प्राप्त कर सकते हैं।

कालान्तर में प्रश्नों के पूछने की प्रक्रिया में इतना अधिक अन्तर आया है कि लोगों को उसका आभास भी आज नहीं हो सकता। पूर्व में न तो प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध था, न किसी मन्त्री के लिये कोई दिन ही निर्धारित था और न ही यह व्यवस्था थी कि एक दिन के लिये निर्धारित प्रश्न उसी दिन उत्तरित मान लिये जायें। इन सबका नतीजा यह होता था कि जितने भी प्रश्न मा0 सदस्यों द्वारा दिये जाते थे वे क्रमानुसार सूचीबद्ध करके शासन को भेज दिये जाते थे और एक दिन में सभी मन्त्रियों के प्रश्न सूचीबद्ध हो जाते थे एवं उनमें से जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाते थे उन्हें अगले दिन के लिये कार्यसूची में सूचीबद्ध कर लिया जाता था। इस प्रकार प्रश्नों की सूचियाँ दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थीं और एक दिन में पॉच–पॉच, छः–छः संलग्नक कार्यसूची में बढ़ते जाते थे। इन सबसे पैसा, समय, कागज तो व्यय होता ही था साथ ही सबको श्रम साध्य के साथ–साथ भारी असुविधायें भी होती थीं। यही नहीं एक बार प्रश्न स्थगित हो जाता था और सरकार की ओर से यह उत्तर दे दिया जाता था कि ''सूचना एकत्र की जा रही है।'' जब तक पुनः शासन से सूचना नहीं प्राप्त हो जाती थी कि सूचना एकत्र की जा चुकी है, प्रश्न कार्यसूची में पुनः नहीं रखा जाता था और इस कारण प्रश्नों का उत्तर देने में काफी विलम्ब हो जाता था। इस व्यवस्था में मा0 अध्यक्ष के निर्देशों द्वारा तथा नियमों में धीरे–धीरे परिवर्तन करके सुधार किया गया। सबसे पहले उत्तर देने हेतु मन्त्रियों के दिन निध ार्ारित किये गये जिससे प्रश्नकाल में केवल वे ही मन्त्री आते थे जिनका विभाग उस दिन नियत हो साथ ही प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गयी और यह निर्णय लिया गया कि जितने प्रश्न कार्यसूची में सूचीबद्ध किन्तु अनुत्तरित रह गये हों ऐसे प्रश्नों को यह मान लिया जाये कि वे सब भी उत्तरित हो गये हैं और वे कार्यवाही में छाप दिये जाये। बाद में यह प्राविधान किया गया कि जो प्रश्न शासन द्वारा स्थगित कराये जायें उनको 15 दिन बाद पुनः कार्य–सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाये और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ''सूचना एकत्र की जा रही है।'' करके अन्तरिम उत्तर दिया जाये उन्हें भी 15 दिनों बाद पुनः सूचीबद्ध करके कार्य–सूची में रख दिये जायं। इस प्रकार प्रश्नों की महत्ता बढ़ी और उत्तर देने में जो विलम्ब होता था उसमें भी कमी आयी जिसके कारण यह व्यवस्था सबके लिये सुविधाजनक सिद्ध हुई। यह भी महसूस किया गया कि यद्यपि जिन प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय के अन्दर देना अनिवार्य था फिर भी उनके उत्तर समय से नहीं मिल पा रहे थे, इसलिये यह व्यवस्था की

गयी कि कार्य–सूची में यह भी दर्शाया जाये कि प्रश्न किस तिथि को शासन को भेजा गया था इसकी स्थिति की जानकारी मा0 सदस्यों को हो सके। स्थगित किये प्रश्नों को पहले कार्य–सूची में नहीं छापा जाता था लेकिन यह समझा गया कि सदस्यों को भी यह पता रहे कि उनका कौन सा प्रश्न स्थगित हुआ है इसलिये स्थगित प्रश्नों को भी कार्य–सूची में छापने की व्यवस्था की गयी और उनके सामने यह दर्शाया गया कि कौन–कौन से प्रश्न स्थगित किये गये हैं।

यह व्यवस्था कुछ ही दिन चली थी कि यह महसूस किया जाने लगा कि प्रश्नों को भेजने में हमारे सचिवालय में बहुत ज्यादा विलम्ब हो जाता है इसलिये यह व्यवस्था की गयी कि कार्य–सूची में यह भी उल्लेख किया जाये कि सम्बन्धित प्रश्न मा0 सदस्य से कब प्राप्त हुए एवं वे शासन को किस दिनांक को भेजे गये जिससे इस सचिवालय द्वारा जो विलम्ब होता था उसका भी समय–समय पर पता चलता रहे। जहाँ तक सम्भव हो ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि प्रश्नों के प्रेषण के सम्बन्ध में किसी भी तरह का कोई भी विलम्ब न हो सके।

ç'udky

प्रश्नकाल किसी दिवस के सदन के उपवेशन का प्रारम्भिक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का अत्यधिक सजीव, रोचक, ज्ञान वर्धक एवं महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें लोकतंत्र की सक्रियता का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिये प्रश्न को सर्वाधिक प्रभावी उपाय भी माना गया है क्योंकि प्रश्नकाल में मा0 सदस्यों की ओर से पूछे गये प्रश्नों के समुचित एवं पूर्ण उत्तर तो सरकार को देने ही होते हैं इसके अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा प्रश्नों से सम्बन्धित जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, के लिये मा0 मंत्रियों को पहले से ही पूर्ण रूप से तैयारी करनी पड़ती है। प्रश्नों के उत्तर के आलेखन की कला अपने आप में अनूठी है जिसका मूल उद्देश्य होता है कि सदन में दिये जाने हेतु प्रारूपित उत्तर पूर्ण एवं सारगर्भित हो ताकि जहॉ तक संभव हो सके अनुपूरक प्रश्न न किये जा सकें या यदि पूछे भी जायें तो कम से कम हों। उत्तर अपूर्ण, अशुद्ध एवं असंतोषजनक होने की स्थिति में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य तो आपत्ति करते ही हैं सम्बन्धित मा0 मन्त्री को भी सदन में अप्रत्याशित एवं विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एवं यदि प्रश्न को स्थगित करना पड़े तो उसे सदन की कार्य–सूची में पुनः सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें सदन का अनमोल समय अनावश्यक रूप से व्यय हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के गौरवमयी इतिहास का यदि हम अवलोकन करें तो यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा कि इण्डियन कांउसिल ऐक्ट, 1892 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कांउसिल की प्रथम बैठक दिनांक – 06 दिसम्बर,1893 को हुई थी। बैठक में लेफिटनेन्ट गवर्नर के सम्बोधन भाषण के उपरान्त मा0 राजाराम पाल द्वारा प्रदेश के संसदीय इतिहास में सरकार से प्रथम बार प्रश्न पूछा गया था जिसके उपरान्त से विधायिका के क्षेत्र में प्रश्न पूछने एवं उनका उत्तर देने के प्रक्रिया की नींव की स्थापना हो गयी। प्रश्न पूछने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्तर पर हुई किसी भूल अथवा उपेक्षा को उजागर किया जाता है या जनता में व्याप्त रोष या असंतोष की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि प्रश्नों के माध्यम से ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आयें और जनता को राहत मिल सके।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रश्नकाल से प्रारम्भ होती है। प्रश्नकाल की अवधि एक घण्टे बीस मिनट होती है जिसमें पूर्वान्ह 11:00 बजे से 11:20 बजे तक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लिये जाते हैं और 11:20 बजे से 12:20 बजे तक तारांकित प्रश्न लिये जाते हैं। एक दिन की कार्य–सूची में 02 अल्पसूचित तारांकित प्रश्न एवं 20 तारांकित प्रश्न रखे जाते हें। प्रयास यह किया जाता है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये निर्धारित समय में केवल अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को ही सदन में लिया जाय किन्तु कभी–कभी प्रश्न के विषय की महत्त और मा0 सदस्यों द्वारा प्रदर्शित रूचि के कारण उससे सम्बन्धित अनेक अनेक अनुपूरक प्रश्न किये जाते हैं जिनके कारण बीस मिनट से अधिक समय तक अल्पसूचित प्रश्नों पर ही चर्चा हो जाती है। अतारांकित प्रश्नों को सदन में मौखिक रूप से नहीं लिया जाता है, उन्हें केवल सदन के पटल पर रखा जाता है किन्तु जहॉ तक अतारांकित प्रश्नों के महत्ता का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान सभा में कई बार अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों से असंतुष्ट मा0 सदस्यों द्वारा उक्त प्रक्रिया नियमावली के नियम–49, जिसके अन्तर्गत प्रश्नों के विषय पर आधे घण्टे की चर्चा कराये जाने का प्राविधान है, में मा0 अध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है और स्वीकृति की दशा में प्रश्नों के विषयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण चर्चायें सदन में हुईं हैं।

कभी–कभी ऐसा भी क्षण आता है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर शासन से समय से प्राप्त न हो अथवा सदस्यगण यदि संतुष्ट न हों एवं सम्बन्धित मा0 मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर में स्पष्ट की गयी स्थिति पर बल दिया गया होता है, की स्थिति में मा0 सदस्यों के अनुरोध पर या स्वविवेक से भी मा0 अध्यक्ष द्वारा ऐसा करना यदि

समीचीन समझा जाय तो सम्बन्धित प्रश्न को सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया जाता है जो उस प्रश्न में निहित विषय के सम्बन्ध में समुचित जॉचोपरान्त उक्त समिति अपनी संस्तुति प्रतिवेदन के माध्यम से सदन में यथा समय प्रस्तुत करती है।

ç'ukRrj dh xkg;rk ,o egRo

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–28 में यह प्राविधान है कि ऐसा प्रश्न ग्राह्य नहीं किया जायेगा जिसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक या आक्षेपात्मक पद अथवा मानहानिकारक कथन हों या प्रश्न में कोई काल्पनिक प्रस्थापना कह गयी हो अथवा जिसका विषय भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के समक्ष विचारधीन हो या उसमें किसी न्यायाधीश या न्यायालय के, जिसका भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का निदेश हो जो उसके न्यायिक कृत्यों से सम्बद्ध हो अथवा जिसमें व्यक्तिगत रूप का दोषारोपण किया गया हो अथवा उसमें किसी सदन के विनिश्चयों की आलोचना की गयी हो या जिसमें सदन के किसी समिति के समक्ष विषयों या समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषयों का संदर्भ हो अथवा उसमें किसी असरकारी व्यक्ति अथवा असरकारी निकाय द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य का निदेश हो। ऐसे प्रश्न भी ग्राह्य नहीं किये जाते हैं जिनमें उन व्यक्तियों के चरित्र अथवा आचरण पर आक्षेप किया गया हो जिनके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा आपत्ति की जा सकती हो। ऐसे विषयों पर भी प्रश्न ग्राह्य नहीं किये जाते हैं जिसमें सन्निहित विषय न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जॉच य अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जॉच न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, किन्तु यदि ऐसे प्रश्न से न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जॉच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो तो उसमें जॉच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से सम्बन्धित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में यद्यपि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये सम्बन्धित मा0 मंत्री से अल्प सूचना पर उत्तर भेजने का अनुरोध किया जाता है तथापि यदि सम्बन्धित मा0 मंत्री अल्पसूचना पर उत्तर देने की स्थिति में नहीं हों और मा0 अध्यक्ष की यह राय हो कि वह प्रश्न लोक महत्व का है तो मा0 अध्यक्ष यह

निदेश दे सकते हैं कि ऐसे प्रश्न को उस दिन जिस दिन सम्बन्धित विभाग की बारी होती हो, की प्रश्न सूची में नियमावली के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्रदान करते हुए तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये रखा जाय किन्तु किसी दिन की कार्य–सूची में ऐसे प्राथमिकता प्राप्त प्रश्नों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी और एक सदस्य का एक से अधिक प्रश्न नहीं रखा जाता है।

असत्रकाल एवं सत्रकाल में मात्र सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले प्रश्नों की सूचनाओं के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि एक सदस्य एक दिन में केवल पॉच प्रश्नों की ही सूचनाएं दे सकता है जिनमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। उपर्युक्त नियमों में यह भी प्राविधानित है कि यदि कोई मा0 सदस्य एक दिन में पॉच से अधिक प्रश्नों की सूचनायें देते हैं तो उसमे से केवल प्रथम पॉच प्रश्नों की सूचनायें ही ली जायेंगी शेष अस्वीकृत समझी जायेंगी।

नियमावली में यह भी प्राविधान है कि किसी विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण यदि सम्बद्ध मा0 मंत्री सदन में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा उनके द्वारा की गयी तद्विषयक प्रार्थना मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उनके प्रश्न किसी आगामी दिन के लिये स्थगित किये जा सकते हैं। यदि एक दिन की कार्यसूची के प्रश्नरों के मौखिक उत्तर के लिये अभिप्रेत सभी प्रश्न पुकारे जा चुके हों तब मा0 अध्यक्ष यदि समय हो, किसी ऐसे प्रश्न को पुनः पुकार सकते हैं जिसे प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न लिया गया हो। यदि किसी मा0 सदस्य द्वारा अपनी अनुपस्थिति के कारण किसी अन्य मा0 सदस्य को अपना प्रश्न पूछने के लिये प्राधिकृत किया गया हो या अन्य कोई मा0 सदस्य उस प्रश्न में अभिरूचि रखते हों तो इस हेतु मा0 अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रचलित प्रक्रियानुसार यदि किसी मूल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न या तारांकित प्रश्न के उत्तर में संशोधन करना प्रस्तावित हो तो सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से मूल प्रश्न, मूल उत्तर तथा संशोधित उत्तर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जाता है और उन्हें कार्य–सूची में तारांकित प्रश्नों के पूर्व पृथक रूप से रखा जाता है। संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ सम्बन्धित मंत्री संशोधित उत्तर सदन में पढ़ते हैं और प्रश्नकर्ता सदस्य को अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार होता है। यदि किसी मूल प्रश्न के उत्तर में संशोधन करना प्रस्तावित हो किन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य विधान सभा के सदस्य न रह गये हों, तो ऐसे उत्तर का संशोधन सम्बन्धित मंत्री सदन में एक शोधन वक्तव्य देकर करते हैं और उसे

कार्य–सूची में प्रश्नों के बाद एक पृथक नत्थी के रूप में सम्मिलित किया जाता है किन्तु ऐसे शोधन वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है। यदि किसी मूल अतारांकित प्रश्न के उत्तर में संशोधन करना प्रस्तावित हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित मंत्री द्वारा दिये जाने पर उसे अतारांकित प्रश्नों के बाद एक अलग नत्थी के रूप में कार्य–सूची में सम्मिलित किया जाता है और तदुपरान्त मूल उत्तर संशोधित समझा जाता है। अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को संशोधित करने हेतु सदन में मंत्रियों द्वारा सदन में दिये जाने वाले वक्तव्य के साथ मूल प्रश्नोत्तर का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। ऐसे वक्तव्य पर अनुपूरक नहीं पूछे जा सकते हैं।

जहॉ तक प्रश्नों के वापसी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि यदि कोई मा0 सदस्य अपना प्रश्न वापस लेना चाहें तो वे तद्विषयक लिखित सूचना विधान सभा सचिवालय के प्रश्नों के कार्य से सम्बद्ध किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दे सकते हैं और उक्त अधिकारी द्वारा इस तथ्य को सत्यापित करते हुए ऐसे प्रश्न की वापसी के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यवाही की जाती है। यह भी प्राविधान है कि यदि कोई मा0 सदस्य किसी दिन के लिये सूचीबद्ध अपना प्रश्न स्थगित कराकर किसी आगामी तिथि के लिये सूचीबद्ध कराना चाहें तो इसके लिये वह मा0 अध्यक्ष से लिखित अनुरोध कर सकते हैं और मा0 अध्यक्ष द्वारा उक्त अनुरोध स्वीकार कर लिये जाने पर वह प्रश्न ऐसे आगामी दिन के लिये पूर्व निर्धारित प्रश्नों के बाद में रख दिये जायेंगे जिस दिन उक्त प्रश्नों से सम्बन्धित वार निर्धारित हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवॉ संस्करण) के निदेश संख्या–28 में यह प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गये हों उन सबके लिखित उत्तर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के भीतर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेषित किये जा सकते हैं और ऐसी दशा में उनकी एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जाती है। इस प्रकार जिन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजे जाने की सूचना उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाती हैं उन्हें आगामी सत्र की कार्य–सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है किन्तु ऐसे किसी लिखित उत्तर से सम्बन्धित सदस्य यदि संतुष्ट न हों तो वह

उस उत्तर के संदर्भ में उसकी विषय पर प्रश्न की सूचना पुनः दे सकते हैं और ऐसी सूचना नियमानुसार प्राप्त किये जाने की दशा में वह प्रश्न आगामी सत्र की कार्य–सूची में सम्मिलित किया जाता है। यदि ऐसे प्रश्नों के उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक माह के भीतर प्रश्नकर्ता सदस्य को न मिलें और वह उन प्रश्नों को पुनः पूछना आवश्यक समझें तो वह नये सिरे से उन प्रश्नों की सूचना पुनः विधान सभा सचिवालय को भेज सकते हैं।

पूर्व में उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रायः ऐसा देखने में आता था कि सदन की बैठक के प्रारम्भ होते ही किसी दल के मा0 सदस्यों द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का प्रयास करने के दौरान सदन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता था और प्रश्नकाल बीच–बीच में अथवा पूरी अवधि के लिये स्थगित करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उस दिन के लिये निर्धारित प्रश्नों के सम्बन्ध में शासन की ओर से उत्तर तैयार किये जाने में जो समय, श्रम और धन व्यय हो चुका होता था वह व्यर्थ चला जाता था और उस दिन के लिये स्थगित प्रश्नों के लिये अलग से किसी दिन का आवंटन न होने के कारण या तो वे प्रश्न व्यपगत हो जाते थे अथवा किसी शनिवार को जबकि सामान्यतया सदन की बैठक नहीं होती है, सदन की बैठक बुलाकर उक्त प्रश्नों को लिया जाता था। इस विषय को उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया और नियम समिति की संस्तुति पर सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम–41 में यह संशोधन किया गया कि ''यदि उत्तर के लिये किसी तिथि का निर्धारित कोई अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अथवा तारांकित प्रश्न किसी कारण से उक्त तिथि को सदन में नहीं लिये जा सके तो उनका उत्तर दिया हुआ मान लिया जायेगा और समस्त प्रश्नों के लिखित उत्तर उत्तरित माने जायेंगे एवं उस दिन की कार्यवाही के अंग के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।

प्रश्नकाल की अवधि में व्यवधान उत्पन्न करने की बढ़ती प्रवृत्ति के विषय पर भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन, 2010 (श्रीनगर) में गम्भीर चर्चा हुई थी और उसके उपरान्त मा0 अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक– 21 जून, 2010 को मा0 श्री के0 रहमान खान, उपसभापति, राज्य सभा की अध्यक्षता में विधान मण्डलों के सात अन्य पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया जिसकी प्रथम बैठक दि0– 20 अगस्त, 2010 को लोक सभा सचिवालय द्वारा नयी दिल्ली में सम्पन्न करायी गयी। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा उक्त समस्या

के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श किया गया जिसमें प्रश्नकाल की अवधि में व्यवधान उत्पन्न करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में उठाये गये कदम मा0 सदस्यों के प्रश्न पूछने के संसदीय अधिकारों के संरक्षण और सदन के बहुमूल्य समय के सदुपयोग में सहायक सिद्ध होंगे।

प्रश्नोत्तर के महत्व को इस बात से आंकलित किया जा सकता है कि लोक सभा में वर्ष 1957 में मूँदड़ा काण्ड के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के परिणाम स्वरूप ही छागला जॉच आयोग का गठन किया गया था। तत्समय रेलवे सेवा आयोग में भर्ती के सम्बन्ध में की गयी अनियमितताओं के विषय को भी प्रश्नों के माध्यम से उजागर किया गया था। एक अन्य उदाहरण कि बहुचर्चित वनस्पति काण्ड को भी लोक सभा में प्रश्नों के रूप में उठाकर उछाला गया था जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को बाध्य होकर सम्बन्धित उद्योग के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी। प्रश्नोत्तर काल की सफलता वास्तव में सदन में दिये गये उत्तरों और उससे सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों के दिये जाने वाले सारगर्भित उत्तरों पर निर्भर करती है।

यहॉ उल्लेख करना अपेक्षित है कि मा0 सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये मा0 मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता। उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–28(15) में यह निहित है कि गोपनीय प्रकृति के विषय जैसे–मन्त्रिपरिषद के विनिश्चय या कार्यवाहियॉ, विधि अधिकारियों द्वारा श्री राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा आदि के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं।

इसी नियमावली के नियम–38(3) में यह प्राविधानित है कि यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोक–हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे। इस आधार पर मन्त्री द्वारा सूचना देने से इन्कार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न ही इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है।

गोपनीय प्रकृति से प्रश्नों के विषय में प्रसिद्ध संसदीय ग्रन्थ ''संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया'' के पृष्ठ–462 पर यह उल्लिखित है कि किसी गोपनीय पत्र या समाचार पत्र के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता किन्तु यदि वह पत्र अथवा समाचार सार्वजनिक हो जाता है एवं उससे सम्बन्धित प्रश्न की सूचना नियमानुकूल होती है तो मा0 अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रश्नों को गुणावगुण के आधार पर गृहीत किये जा सकता है।

vku ykbu izfØ;k

आधुनिकता के युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के दृष्टिगत विधान सभा और राज्य सरकार के मध्य त्वरित कार्य निष्पादन के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (NIC) की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के तकनीकी सहयोग से इन्टरनेट आधारित विधान सभा ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली परियोजना विकसित की गयी है जिसमें क्यू0एम0एस0, ओएसिस, एम0एल0ए0 ऑनलाइन व ऑनलाइन वेब नाम से चार सॉफ्टवेयर विकसित किये गये हैं। इस नवीन तकनीकी का लाभ विधान सभा के मा0 सदस्यों को भी दिलाने के उद्देश्य के दृष्टिगत "Mlaonline" नाम से एक साफ्टवेयर इस परियोजना के माध्यम से विकसित किया गया है। इस प्रणाली ऑनलाइन सिस्टम का भी क्रियान्वयन सोलहवीं विधान सभा के कार्यकाल में वर्ष 2014 से किया जा रहा है। यह प्रणाली संसदीय प्रक्रियाओं में ऐसी नवीनता है जो न केवल धन व मानव श्रम को बचाती है, वरन् समपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस बनाकर पर्यावरण को भी संरक्षित करने में सहायक है। "Mlaonline" में लॉगिन की सुविधा ओ0टी0पी0 के द्वारा प्रदान की गयी है और यह देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है जिसका अनुकरण देश की अन्य विधान सभाओं में भी किया जा रहा है।

इस प्रणाली का उद्देश्य विधान सभा प्रश्न और उसके उत्तर विधायी प्रक्रिया के लिये विधान सभा के माननीय सदस्यों को एक पूर्णतया ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ना है। इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि मा0 सदस्यों द्वारा जनसमस्याओं से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न, अपने–अपने क्षेत्रों में रहते हुए भी सूचना इस तकनीकी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा प्रश्नों से सम्बन्धित सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान करने में मा0 सदस्यों, विधान सभा सचिवालय एवं राज्य सरकार के विभागों का भी पेपर, समय एवं श्रम की भरपूर बचत होगीं

❑❑

lnu e gkL; foukn

tthj [khpuk vkj tthj mrkjuk

e[; e=h ¼Jh cukjlhnkl½ & (27 मार्च, 1979 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए) ...... पिछले एक हफ्ते में कई हजार व्यक्ति टिकटलेस गिरफ्तार किये गये और जंजीर खींचने की घटनाएं कम हो गयीं।

Jh no cgknj flg & जंजीर खींचने की घटनाएं तो कम हुईं लेकिन उतारने की घटनाएं शुरू हो गई हैं।

(खण्ड 337, पृ 1069)

ikorh th dk ek;dk

e[;e=h ¼Jh eyk;e flg ;kno½ & (दिनांक 23 अगस्त, 1994 को नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का उत्तर देते हुए)– जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है, हमने कहा है कि उत्तराखण्ड तो पार्वती जी का मायका है। पार्वती जी के मायके के साथ–साथ महाभारत के जो हमारे नायक थे, अन्तिम समय में वे वहीं जाकर विलुप्त हुए थे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी वहीं से चुनकर आये, हिन्दुस्तान में अपने विचारों से और राजनैतिक प्रचार–प्रसार द्वारा गरीबों के हितों के लिए अगर कोई लड़े और समाजवादी आन्दोलन में हिस्सा लिया है तो वहीं से ही दोनों मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी और श्री नारायण दत्त तिवारी जी रहे हैं। उत्तराखंड के महत्व को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। हमने तो केवल इतना ही नहीं कहा है बल्कि यहां तक कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र पार्वती जी का मायका ही नहीं अपितु हमारी भारत माता का मुकुट है।

(खण्ड–413 अंक–3 पृ. 1267)

efgykvk dk vknj djuk pkfg,

Jh jke 'kj.k nkl & (दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को सदन के संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए) .....अन्त में मैं सभी महिला सदस्यों के प्रति ......

Jh 'kkjnk irki------ जब राम शरण दास जी बोल रहे थे, कमला साहनी कह रही थीं कि बैठ जाइये माफ कर दिया।

Jh jke 'kj.k nkl & मैं उनकों भी बधाई देता हूं। यह भी अपने किस्म की एक ही हैं। हमने चाहे जितना मजाक किया है, किसी महिला ने हमारा बुरा नहीं माना है। गुस्सा करती हैं, लेकिन कुछ भी कह दिया हमारी बात का बुरा नहीं माना है, हंसती रहीं। पता नहीं हमारे ही अन्दर क्या कोई बात है? लेकिन सही में हम महिलाओं का बहुत आदर करते हैं? क्योंकि मैं डाक्टर लोहिया के साथ रहा हूँ। डाक्टर साहब किसी महिला का अपमान देख लेते थे, तो बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार उन्होंने स्व0 राज नारायण जी को एक महिला के मामले में इतना डांटा, कि वह फिर कभी वैसी बात नहीं कर सकें। तो संसार में महिलाओं का जितना भी आदर कर सकें, हमें करना चाहिए।

(खण्ड–392, अंक–5, पृ.–190)

ikfy;ke.Vh fdVfiV

llnh; dk;l ,o ith;u rFkk eukjtu dj LVkEi vkj U;k;ky; 'kYd e=h ¼Jh gdle flg½& (दिनांक, 26 मार्च, 1998 को विधान सभा में कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होने के बाद श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल द्वारा पुनः शपथ ग्रहण न किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न का विरोध करते हुए) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अम्मार रिजवी जी अभी अपने विद्वतापूर्ण भाषण में बोल रहे थे कि सब कुछ हो गया, वे भूल गये कि 21 सितम्बर को स्टेडियम में विधिवत फेरे हुए हैं।

Jh iekn dekj & अगर कल्याण जी दूल्हा हैं तो क्या यह दुल्हन हैं ?

Jh gdle flg & मैं बता दूंगा।

Jh v/;{k & श्री प्रमोद कुमार जी आप फेरे कहा दिलवा पाये?

Jh gdle flg & मान्यवर, यह पार्लियामेण्ट्री किटपिट, कुछ है। दुल्हनों का एक्सपीरियेन्स प्रमोद जी आप को है, मैं क्या बताऊँ ?

(खण्ड–426, अंक–3,पृ.–70)

uke gh g gdeflg

Jh jktukjk;.k& (उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, 1954 पर विवाद के समय बोलते हुए) श्रीमान, इस संशोधन का विरोध करते हुए माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था .....

Jh gdeflg & उपाध्यक्ष महोदय .....

Jh jktukjk;.k & श्रीमान, दो आदमी खड़े हैं।

Jh gdeflg & माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ लिहाजा (You will have to sit)

Jh jktukjk;.k & (You are not to order)

Jh gdeflg& मेरा नाम ही है हुकुम सिंह, मैं आर्डर कभी देता नहीं

(क्र 154, पृ. 431, 23 अगस्त, 1955)

ekekvk dk bfrgkl

Jh jke vkrkj 'kkD;&(दिनांक 21 जुलाई, 1998 को गरीबी की रेखा से नीचे के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नोत्तर के मध्य) मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले जो बुक एड की व्यवस्था थी, क्या वह भी खत्म कर दी है ?

cfld f'k{kk jkT; e=h ¼Lor= iHkkj½ ¼Jh joUn 'kDy½& मान्यवर, माननीय सदस्य से मेरे विशेष संबंध हैं। यह मेरे मामा लगते हैं।

Jh vf/k"Bkrk & कौन से मामा हैं, कृष्ण मामा, कंस मामा या शकुनि मामा ?

Jh joUn 'kDy& मान्यवर, मामाओं का इतिहास बड़ा खराब रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मामा तो मामा होता है।

Jh jke vkrkj 'kkD;& मान्यवर, एक रिश्ता खोल दिया है लेकिन इस रिश्ते को उल्टा समझ लीजिए।

/kkch ekjk x;k] x/kk cp x;k

Jh 'kdj flg & (14 अक्टूबर, 1977 को कृषि संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलते हुए) श्रीमान, किसान के साथ पिछले सालों में जो सलूक होता आया है वह तो सभी जानते हैं कि किसान को ''धोबी के गधे'' की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है। उस पर जितना चाहा बोझा डाल दिया गया और जब चाहा बिना चारा पानी के, बिना मरजी के उसको मार–पीट कर चलाया। खुशी की बात है कि इतने दिनों के बाद धोबी मारा गया और गधा बच गया है। मैं आशा करता हूँ कि अब किसान के साथ न्याय होगा।

(खण्ड– 328, पृ. 1138)

rkykcn glh

Jh lhrkjke 'kDy& (राज्य में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार के समय) अध्यक्ष महोदय, बड़े ध्यान से मैंने माननीय मंत्री जी के व्याख्यान को सुना और जिस सहानुभूति के साथ, जिस हमदर्दी के साथ, जिस खूबी के साथ आपने व्याख्यान दिया उसको सुनकर बड़ी खुशी हुई लेकिन ....

Jh pj.k flg & लेकिन क्या ?

Jh lhrkjke 'kDy & अध्यक्ष महोदय, आप जरा रक्षा कीजिए क्योंकि यह पार्टी मीटिंग नहीं, एसेम्बली है। ''यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी'' किन्तु ताला लगाया जा रहा है। मैं जरा कुछ अर्ज करना चाहता हूँ किन्तु माननीय मंत्री जी के लेकिन पर अभी हंसी हो रही है।

Jh v/;{k& हंसी में तो मुंह बन्द नहीं होता, खुलता है।

(क. 142, पृ. 273 6 अगस्त, 1953)

vkidh eLdku ij ,rjkt g

Jh ckc jke ;kno& (दिनांक 18 जुलाई, 1998 को प्रश्नों एवं सदन की वेशभूषा के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के दौरान) .... मान्यवर, मेरा कहना तो यह है कि सत्ता पक्ष के लोग निरुत्तर होते हैं तो आप हम लोग की तरफ देखकर मुस्कराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनकी बात रह जाती है। हमें संरक्षण नहीं मिल पाता है।

Jh v/;{k& मैं आपके सुझाव पर पूरा ध्यान दूंगा।

Jh ckc| jke ;kno& अगर सही उत्तर मंत्रीगण नहीं देते हैं तो आप हमारा संरक्षण करें और उधर देखकर मुस्करा दें।

i|th;u euk|j|tudj LVkEi ,o| U;k;ky; 'k|Yd rFkk l|lnh; dk;| e=h ¼Jh g|de fl|g½& मान्यवर, बाबूराम जी को आपकी मुस्कान पर एतराज है। तो आप इधर देखकर ही मुस्करा लें। हम उसका स्वागत करेंगे।

(खण्ड–425, अंक–9, पृ. 84–85)

❑❑

vrhr ls --------

fnukd 30 vxLr] 1961 dks çns'kh; ljdkj }kjk fgUnh dk mfpr LFkku nus ds lEcU/k es fu;e 53 ds vUrxr ekuuh; e[;e=h Jh pUnzHkkuq xIr dk Hkk"k.kA

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो सूचना सदस्यों की मेजों पर और घर तक पहुंचा दी गयी, उसके बाद इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि सरकार के द्वारा कुछ स्पष्टीकरण किया जाय, ताह्म मुझे इन बातों का उत्तर देना है, जो गोविन्द सिंह जी विष्ट ने सदन के समक्ष रखी है।

उनका कथन है कि हिन्दी की प्रगति उस तेज़ी से नही हुई जितनी कि होनी चाहिये थी और उनकी आलोचना, मैं स्वीकार करता हूँ, कि किसी माने तक सही है लेकिन मैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी कमियां और कमजोरियां हमारी हिन्दी की प्रगति के सिलसिले में अब तक रही है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि गोविन्दसिंह जी स्वतः जो हिन्दी के बड़े पक्षपाती हैं, जब कभी उन्हें अधिकारियों के पास पत्र भेजना पड़ता है, कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजना पड़ता है तो अंग्रेजी में भेजते हैं (कुछ सदस्य–शेम–शेम) और यहां आकर हम लोगों की आलोचना करते हैं ? आलोचना करने का उन्हें अधिकार है। जिन कमजोरियों के वे शिकार हैं उन्हीं के उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले हम सभी शिकार हैं। यह सही है कि हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा को गौरव प्रदान किया है, परन्तु अभी इस देश में ऐसी परिस्थितियां रहीं हैं जिनके कारण तेजी से हिन्दी की प्रगति नही हो सकी है और हम सब अंग्रेजी संस्थाओं में पढ़े–लिखें व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, वे सब उसके दोषी हैं। इसलिए उस विषय में यदि कोई आलोचना करनी है तो उन्हें अधिकार है, लेकिन परिस्थितियों के रहते हुये जो कुछ कार्य इस प्रदेश में हिन्दी के सम्बन्ध में हुआ है वह अवश्य ऐसा नहीं है जिसके विषय में ऐसा कहा जाय कि हमने कोई कदम आगे बढ़ाया ही नहीं और हम वही हैं। हमने उत्तरोत्तर उस दिशा में जाने की चेष्टा की है जहां हम सब जाना चाहते हैं और जहां अब पूरा राष्ट्र भी जाना चाहता है, क्योंकि जहां सब से ज्यादा विरोध हिन्दी का था, आज तो उधर से भी यह आवाज उठ रही है कि अगर कोई देश की राष्ट्र भाषा वास्तविक रूप में हो सकती है और किसी भी भाषा की लिपि यदि सारे देश में बनायी जा सकती है तो वह हिन्दी और देवनागरी

है। आज हम इस बात को सुनते हैं, भले ही हम बहुत तेजी से कदम न उठा पाते हों, परन्तु हमने जिस दिशा में कदम उठाया उसमें चल कर सारे भारतवर्ष में और उसके प्रदेशों में अब यह परिस्थिति अवश्य पैदा हो गयी है कि वहां के वे लोग भी जो अब तक हिन्दी को अपनाने में गुरेज़ करते थे, वे भी स्वीकार करने लगे हैं कि यदि देश की कोई भी भाषा ऐसी मानी जा सकती है जिसके द्वारा देश के प्रत्येक क्षेत्र के रहने वाले अपने विचारों को प्रकट करें तो वह हिन्दी है। इसलिए आज उस विषय में किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।

एक बात मैं गोविन्दसिंह विष्ट जी की समझ नहीं पाया। वे संविधान में श्रद्धा रखते है। उसमें विश्वास रखने के कारण ही आज वे इस सदन के सदस्य हैं। वे संविधान के उन डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को आज क्यों भूल जाते हैं? मैं उनका ध्यान संविधान की धारा 29 और 30 की तरफ आकृष्ट करूंगा–

29–(1) भारत के राज्य–क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा–संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायगा।

30–(1) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा–संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

आठवें शेड्यूल में भी हमने कुछ भाषाओं को मान्यता प्रदान की है जिनमें उर्दू का भी स्थान हैं। यदि उर्दू का स्थान उन भाषाओं में है और यदि हम देश के सब नागरिकों को अधिकार देना चाहते हैं तो जो ऐसा मानते है कि वे उर्दू का अध्ययन करना चाहते हैं, जो उर्दू को अपनी मातृभाषा मानते हैं, तो यदि हम उनके पढ़ने की व्यवस्था करने की चेष्टा करें और चेष्टा उस आज्ञा की बुनियाद पर करें, उस कमीशन की सिफारिशों की बुनियाद पर करें तो हम कौन सी आपत्ति की बात करते हैं ? क्या हम उस भाषा को जिसे लोग बोलना चाहते हैं ? जिसे लोग लिखना चाहते है और जिसको लोग अध्ययन करना चाहते है, यदि संविधान के अन्तर्गत उसका संरक्षण हम करें तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भाषा को जिसे लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसे वे अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिये प्राइमरी कक्षाओं में

व्यवस्था करें तो उसमें लोगों को क्यों आपत्ति होती है और उस संरक्षण दिये जाने के विषय को क्यों उस बात से जोड़ देते हैं जो हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा और अपने प्रदेश की राज्य भाषा बनाती है और कहा जाता है कि हम उसके विरूद्ध कार्य कर रहे है।

हमने संविधान की धारा 345 के अन्तर्गत हिन्दी को अपने राज्य की भाषा के रूप में अपनाया है और सारे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है, उस पर तो हम कोई कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, उसके विकसित होने में तो कोई अड़चन हम डाल नहीं रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हिन्दी के अतिरिक्त जो 14 और दूसरी भाषायें हैं उनको भी हम संरक्षण देना चाहते हैं और यह संरक्षण का विषय केवल उर्दू के लिये ही नहीं है। जब केन्द्र में हम देश के मुख्य मंत्रियों के रूप में बैठते है तो केवल उर्दू के विषय को ही लेकर नहीं बैठते। हमारे देश में ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं, जिनका हमारे यहां प्रचार व प्रसार है और जिनको हमारे यहां की लिंग्विस्टिक माइनारिटी माना गया है। सभी भाषाओं को संरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्टेट रिआगनाइजेशन कमीशन की नियुक्ति की और लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये उनको मानते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1958 में कुछ आदेश प्रदेशीय सरकार को दिये। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन आदेशों को स्वीकार किया और स्वीकार करके कुछ आदेश अपने सारे प्रदेश में जारी किये। जिन आदेशों के तहत में यह भी हुआ कि प्राइमरी स्टेज पर यदि कोई व्यक्ति या विद्यार्थी जिनकी तादाद 10 हो या सारे स्कूल में 40 विद्यार्थी उर्दू का अध्ययन करना चाहतें हों तो शिक्षा संस्थाओं में इस बात का प्रबन्ध किया जायेगा और उर्दू में प्राइमरी शिक्षा उनको प्रदान की जायेगी। क्या माननीय गोविन्दसिंह जी को वे आदेश जो कि इस श्वेतपत्र में दिये हुए हैं, उनका पता नहीं है? जो आदेश प्रदेशीय सरकार की तरफ से निकाले गये वे इस प्रकार हैं ––

"1 Facilities should be provided for instruction and examination in the Urdu language at the primary stage to all children whose mother tongue is declared by the parent or guardian to be Urdu.

2. Arrangements should be made for the training of teachers and for providing suitable text books in Urdu.

3. Facilities for instruction in Urdu should also by provided in the secondry stage of education.

4. Documents in Urdu should be accepted by all courts and offices the necessity of translation or transliteration in any other language or script, and petitions and representation in Urdu should also be accepted.

5. Importants laws, rules and regulations and notifications should be issued in the Urdu language also in areas where this language is prevalent and which may be specified for this purpose."

ये आदेश 20 जुलाई, 1958 को केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदेशीय सरकार द्वारा जारी किये गये थे। मार्च के महीने में इस आदेश की तरफ से विधान परिषद में जब बजट पर बहस हो रही थी, मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया और इस बात की उलाहना दी गयी विरोधी पार्टीज की तरफ से और उन आलोचकों की तरफ से, जो बजट की आलोचना कर रहे थे कि सरकार ने आदेश तो दे दिया है, परन्तु इस आदेश के आधार पर पीछे कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। एक व्यक्ति बोला, दो व्यक्ति बोले, तीन व्यक्ति बोले जब सारे व्यक्ति आलोचना करने लगे तो मैंने अपने अधिकारियों से आकर पूछा कि सही परिस्थिति क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि यह सही है कि हमने आदेश दिया है, परन्तु हमारे आदेश का पालन नीचे के लेविल पर नहीं हो रहा हैं। मैंने अनुभव किया किया कि यदि नीचे के लेविल पर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं गलती है, कहीं न कहीं खामी है, कहीं न कहीं कमजोरी है, चाहे वह सरकार से सम्बन्ध रखने वाले अन्तरिम जिला परिषदों के इस विधान सभा के सदस्यगण हों, चाहे उधर बैठने वाले विरोधी दल के अन्तरिम जिला परिषदों के सदस्यगण हों, चाहें जनसंघ की तरफ बैठने वाले सदस्यगण अन्तरिम जिला परिषदों में हो, उनकी ही यह गलती है। यदि यह भूल है, गलती है और जानबूझ कर सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो अवश्य इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और जांच करनी चाहिये कि गलती किस की है। गलती इधर बैठने वाले सदस्यों की है या उधर बैठने वाले सदस्यों की है जो अन्तरिम जिला परिषद के सदस्य हैं, यदि इस कमेटी के द्वारा हम इस बात की जानकारी कर लें और जानकारी प्राप्त करने के लिये उन सुझावों को प्राप्त कर लें जिनके द्वारा अभी तक जो हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा है और उन पर अमल नहीं हो रहा है, उन पर अमल कराने के लिये अपनी जानकारी बढ़ा लें तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या आपत्ति है ? आज हमने एक लैंग्वेज कमेटी बना दी तो इसके ऊपर बढ़ा शोर है कि हमने हिन्दी के खिलाफ एक कार्यवाही कर दी। मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार इस मनोवृत्ति को मानने वाली

नहीं है। जैसा कि मैं बराबर कह चुका हूँ, आज भी इस सदन में दोहराता हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ और कोई भी वह व्यक्ति नही मान सकता जो कि भाषा की प्रगति चाहता है, किसी भी भाषा की प्रगति चाहता है और जो भाषा से प्रेम रखता है। जिनको भाषा से प्रेम नहीं होता, जो उसे विकसित ही नहीं होने देना चाहते, वे केवल संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय देते हैं, जिससे किसी भाषा को बढने व उभरने का अवसर न मिले। मैं बराबर इस सदन में और बाहर भी कहता हूं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। उर्दू यहां के हिन्दू भी बोलते थे और उर्दू यहां के मुसलमान भी बोलते हैं। इसके अलावा जो पर्शियन के पंडित है या संस्कृत के पंडित हैं उनको भी मैंने उर्दू बोलते हुए देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हिन्दी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं के पंडित है। यदि हमें हिन्दी भाषा से प्रेम है तो हम उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू आदि भाषाओं की तरक्की की बात क्यों न करें? हमने 14 भाषाओं को अपने राष्ट्र के अन्दर अपनाया है जो विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है, तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम उन भाषाओं की प्रगति व विकास की ओर भी ध्यान दें।

यह बात सही है और मैं बराबर कहता हूँ कि जब हमने हिन्दी को सारे राष्ट्र की भाषा व उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा मान ली है तो उत्तर प्रदेश में उर्दू या और भाषायें हिन्दी की बराबरी नहीं कर सकतीं, लेकिन जो उर्दू लिखना, पढ़ना या बोलना चाहता है तो उससे उसे वंचित करना हमारा ध्येय नहीं है।

अभी दिल्ली में चीफ मिनिस्टरों का अधिवेशन हुआ था तो विभिन्न लैंग्विस्टिक माइनारिटीज के बारे में बहुत चर्चा हुई, बहुत विवाद व विचार–विमर्श हुआ। वहां हमने यह निर्णय लिया कि अगर किसी जिले में उसकी 60 फीसदी आबादी में एक जबान बोली जाती हो वहां अवश्य इस बात पर हम विचार कर सकते हैं कि वहां के लिये उस जिले की एक एडीशनल स्टेट लैंगुएज मानी जाय। हमारे प्रदेश के तो किसी भी जिले में कोई अन्य भाषा 60 प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली नहीं जाती है, इसलिये यहां तो एडीशनल स्टेट लैंगुएज का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यह जरूर है कि सरकार उर्दू के विकास के बीच में खड़ा होना नहीं चाहती, हम चाहते हैं कि साथ–साथ उसका भी विकास हो और जो भी हो सके हम उसकी भी सहायता करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय देंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्य अपने संविधान में श्रद्धा रखते हैं तो उसकी धारा 29 के अन्तर्गत हमें उन तमाम भाषाओं को संरक्षण देना है जिनका

अध्ययन कोई व्यक्ति यहां करना चाहता है, हमें उनकी सहायता करना है और उनको वह तमाम सुभीते देना है जो सुभीते उसको विकसित करने में हम सक्रिय बल देकर दे सकते है। मुझे बार–बार लाल बत्ती दिखाई जा रही है, मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर वाद–विवाद किसी संकीर्ण वातावरण में न किया जाय। जहां तक हिन्दी के विकास का सम्बन्ध है उसमें जो कमजोरियां रही हैं वे सब श्वेतपत्र में छाप दी गई हैं और जो हमारी नीति है, हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, वह सब श्वेतपत्र में दे दिया गया है। जो माननीय सदस्य उसके उपसंहार को पढ़ेगे वह हमारी नीति और कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझ सकेंगे।

❑❑

çeq[k lalnh; lekpkj
çknf'kd

Jh ,y oadV'oj y çn'k d e[; fuokpu vf/kdkjh cu

भारत निर्वाचन आयोग ने मुरादाबाद के मण्डलायुक्त श्री एल.वेंकटेश्वर लू को उत्तर प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।

रा.स.4.10.2017

fo/kku lHkk v/;{k Jh ân; ukjk;.k nhf{kr u ;kfpdk lfefr dk mn?kkVu fd;kA

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को विधान भवन में याचिका समिति का उद्घाटन किया। श्री दीक्षित ने इस अवसर पर संसदीय प्रणाली में याचिका समिति की महत्तपूर्ण भूमिका का वर्णन किया।

रा.स.24.10.2017

jkT;iky u f'k{kk d nk v/;kn'kk dk eatjh çnku dh

राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश–2017' तथा उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश–2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

रा. स. 26.10.2017

fo/kku lHkk v/;{k Jh ân; ukjk;.k nhf{kr u fo/kku Hkou e lkoatfud miØe lfefr ,o fo'k"kkf/kdkj lfefr dk mn?kkVu fd;k

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने दिनांक 26 अक्टूबर 2017 को विधान भवन में सार्वजनिक उपक्रम समिति एवं विशेषाधिकार समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मा. अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम समिति की विशेषता सार्वजनिक उपक्रमों में हो रहे निरन्तर घाटे को रोकने और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण एवं निगरानी रखने का होता है।

रा.स. 27.10.2017

e[;e=h Jh ;kxh vkfnR;ukFk u b&vkfQl ç.kkyh dk 'kHkkjEHk fd;k

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के तिलक हाल में ई–आफिस प्रणाली का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री के अनुसार इस प्रणाली से निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ ही कर्मियों की जवाबदेही बढ़ेगी तथा संचालित विकास कार्यो एवं कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय से पूरा करने में मदद मिलेगी।

रा.स.28.10.2017

uxjh; fudk; pquko d fy; pquko dk;Øe dh ?kk"k.kk

चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषण कर दी। आयोग ने चुनाव 22 नवम्बर 2017 से 29 नवम्बर 2017 के बीच तीन चरणों में कराने का निर्णय लिया है। चुनाव तिथि की घोषणां होते ही राज्य में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गयी । राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सतीश कुमार अग्रवाल के अनुसार सभी तीन चरणों की अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी होगी

रा.स.28.10.2017

fo/kku lHkk v/;{k Jh ân; ukjk;.k nhf{kr u fo/kku Hkou e çkDdyu lfefr] vuqlfpr tkfr;k vkj vuqlfpr tutkfr;k rFkk foe[k tkfr;k lca/kh l;Dr lfefr ,o efgyk ,o cky fodkl lca/kh l;Dr lfefr dk mn?kkVu fd;k

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को विधान भवन में प्राक्कलन समिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा विमुख जातियों संबंधी संयुक्त समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कमेटियों की महत्ता के बारे में जानकारी दी।

रा.स. 01.11.2017

fo'o d U;k;k/kh'kk dk vUrjk"Vh; lEeyu 11 uoEcj l çkjEHk

सिटी माण्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 18वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 नवम्बर से प्रारम्भ होगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 60 देशों के 270 न्यायाधीश, कानूनविद व विश्व शांति संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यह सम्मेलन विश्व एकता, विश्व

शांति व बच्चों के सुन्दर व सुरक्षित भविष्य को समर्पित है।

रा.स.0 2.11.2017

fo/kku lHkk v/;{k Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dh iqLrd dk <kdk esa Ykksdkiz.k

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अंग्रेजी रूपांतर पुस्तक ''गीता रिविजेटेड'' का लोकार्पण भारत की लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बंगलादेश की राजधानी ढाका में किया। श्री हृदय नारायण दीक्षित ढाका में आयोजित कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भाग हेतु गए हुए हैं।

हि. 9.11.2017

fp=dwV fo/kku lHkk lhV ds mipqukko esa dkaxzsl dh thr

मध्यप्रदेश के सतना जिले की चित्रकूट विधान सभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के श्री नीलांशु चतुर्वेदी ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के श्री शंकर दयाल त्रिपाठी को पराजित किया

रा.स. 13.11.2017

mÙkj çns'k ç;kxjkt esyk çkf/kdj.k bykgkckn v/;kns'k dks jkT;iky us eatwjh çnku dh

राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद अध्यादेश 2017 को अनुमति प्रदान कर दी है। वर्तमान समय में राज्य विधान मण्डल सत्र न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्री परिषद् के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी है।

jk-l-14-11-2017

fo/kku lHkk dh fldUnjk lhV ij mipqukko 21 fnlEcj dks

भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री मथुरा प्रसाद पाल के निधन से रिक्त हुई कानपुर देहात की सिकन्दरा विधान सभा सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री वेंकटेश्वर लू ने निम्नवत् घोषित कर दिया हैः–

उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि	27.11.2017
नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	4.12.2017
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	5.12.2017
नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि	7.12.2017
मतदान की तिथि	21.12.2017
मतगणना की तिथि	24.12.2017

रा.स.25.11.2017

fo/kkueMy dk 'khrdkyhu l= 14 fnlcj l çkjHk

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2017 से प्रारंभ होगा। इस सत्र में अनुपूरक बजट के अतिरिक्त कई महत्त्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी जायेगी।

रा.स.29.11.2017

Jherh l;Drk HkkfV;k] y[kuÅ uxj fuxe puko e igyh efgyk egkikj fuokfpr

भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती संयुक्ता भाटिया लखनऊ नगर निगम की पहली महिला महापौर निर्वाचित हो गयी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की श्रीमती मीरा वर्धन को पराजित किया।

रा.स.2.12.2017

fo/kku lHkk e mÙkj çn'k lgdkjh lfefr ¼l'kk/ku½ vè;kn'k] 2017 i'k

राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा 7 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या पांच 2017) को प्राख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश 14 दिसंबर 2017 को विधान सभा के पटल पर रखा गया।

हि.15.12.2017

fo/kku lHkk esa ugha gks ldk ç'udky

विधान सभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों द्वारा बढ़ी बिजली दरें वापस लेने के मुद्दे पर हंगामा किये जानें के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका।

हि.16.12.2017

fo/kku Hkou dh QksVks xSyjh esa eq[;ea=h Jh ;ksxh vkfnR;ukFk dk ,oa jktf"kZ iq#"kksÙke nkl VaMu gky esa fo/kku lHkk v/;{k Jh ân; ukjk;.k nhf{kr dk rSy fp= yxsxkA

विधान भवन की फोटो गैलरी में अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का तैल चित्र लगेगा। जिसके लिए बजट में लगभग 39.48 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही साथ विधान भवन के राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन हाल में पूर्व विधान सभा अध्यक्षों के साथ ही वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित का भी तैल चित्र लगाया जायेगा। जिसके लिए बजट में लगभग 7.30 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

हि.19.12.2017

fo/kku lHkk esa vuqiwjd ctV is'k

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 18 दिसंबर,2017 को 11,38817.28 लाख रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया।

हि.19.12.2017

fo/kku lHkk esa vuqiwjd ctV ikfjr

विधान सभा में सरकार ने 1138817.28 लाख रूपये का अनुपूरक बजट पास करा लिया। इसके साथ ही साथ श्रम सुधारों से संबंधित व्यवसाय संघ (यू.पी. संशोधन) विधेयक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकार (यू. पी. संशोधन विधेयक और कर्मचारी प्रतिकर) विधेयक विधान सभा में पारित कर दिए गए।

हि.20.12.2017

fo/kku lHkk esa vk/kkj fo/ks;d ikfjr

विधान सभा में उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओं,प्रसुविधाओं

और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक व्यवसाय संघ उत्तर प्रदेश संशोधित विधेयक व उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पारित हो गए।

हि.21.12.2017

;ihdkdk fo/k;d fo/kku lHkk esa is'k

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संगठित अपराध रोकने और ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान वाला यू.पी. कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज़्ड कंट्रोल एक्ट (यूपीकोका) विधेयक विधान सभा में पेश किया। इस विधेयक के तहत पंजीकृत होने वाले मुक़दमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का प्रावधान है।

हि.21.12.2017

fo/kku lHkk esa ;ihdkdk fo/k;d ikfjr

विधानसभा में सम्पूर्ण विपक्ष के वाकआउट के बीच संगठित अपराध के खिलाफ़ यूपीकोका विधेयक पारित हो गया।

रा.स.22.12.2017

fo/kku lHkk esa ikp fo/k;d ikfjr

विधान सभा में उत्तर प्रदेश दण्ड विधि(अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति(संशोधन) विधेयक 2017, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(संशोधन) विधेयक 2017, उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) (संशोधन) विधेयक , औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित हो गए।

हि.23.12.2017

iwoZ jkT;iky Jh ch-,y-tks'kh dk fu/ku

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी.एल.जोशी का दिनांक 22.12.2017 को निधन हो गया। वह लगभग 81 वर्ष के थे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2009–2014 तक वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे।

हि. 23.12.2017

;ihdkdk fo/k;d fo/kku ifj"kn e çoj lfefr dk Hkstk x;k

विधान सभा से पारित होकर यूपीकोका विधेयक विधान परिषद् में पास नहीं हो सका। विधान परिषद् ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करेगी।

हि.23.12.2017

vkcdkjh vf/kfu;e e la'kk/ku fo/k;d fo/kku lHkk o fo/kku ifj"kn e ikfjr

उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम में संशोधन के लिये लाया गया विधेयक विधान सभा व विधान परिषद से पारित हो गया। इस विधेयक से अवैध शराब के कारोबारियों को मृत्युदंड की सजा मिल सकेगी।

हि.23.12.2017

fo/kku lHkk e mÙkj çns'k ç;kxjkt esyk çkf/kdj.k] bykgkckn fo/k;d 2017 ikfjr

विधान सभा में विपक्षी सदस्यों के सदन से वाकआउट के बावजूद प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक 2017 विधान सभा में पारित हो गया।

हि.23.12.2017

fo/kku ifj"kn e uk fo/k;d ikfjr

विधान परिषद् में उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2017 , औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 2017, जूनियर हाईस्कूल और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2017, निरसन विधेयक 2017, दण्ड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन (संशोधन) विधेयक 2017, प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक 2017, आबकारी (संशोधन) विधेयक 2017, राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 ध्वनिमत से पारित हो गए।

हि.23.12.2017

fo/kku lHkk ,o fo/kku ifj"kn vfuf'prdky ds fy, LFkfxr

माननीय अध्यक्ष विधान सभा श्री हृदय नारायण दीक्षित ने 22 दिसंबर 2017 को विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही साथ विधान परिषद् की कार्यवाही भी 22 दिसंबर 2017 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

रा.स.23.12.2017

iwo ç/kkuea=h Jh vVy fcgkjh cktis;h dk tUefnu lq'kklu fnol ds :i esa euxk

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पांडेय के अनुसार भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्मदिन 'सुशासन दिवस' के रूप में भारतीय जनता पार्टी सभी जनपदों में बूथ स्तर पर मनायेगी।

रा.स.25.12.2017

fldUnjk fo/kku lHkk lhV ls Hkktik ds Jh vthr iky thrs

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की सिकन्दरा विधान सभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के श्री अजीत सिंह पाल ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सीमा सचान को पराजित किया।

रा.स.25.12.2017

fo/kku lHkk v/;{k Jh ân; ukjk;.k nhf{kr us fo/kku Hkou esa lalnh; 'kks/k lanHkZ ,oa v/;;u lfefr dk mn?kkVu fd;k

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने दिनांक 27 दिसंबर 2017 को विधान भवन में संसदीय शोध, संदर्भ एवं अध्ययन समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मा. अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य संसदीय विषयों पर अध्ययन एवं शोध में अभिरुचि पैदा करना व संसदीय प्रणाली के सफल क्रियान्वन में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

रा.स. 28.12.2017

fldUnjk fo/kku lhV d mipuko e uofuokfpr fo/kk;d Jh vthr flg iky u 'kiFk xg.k dh

कानपुर देहात के सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव में नवनिर्वाचित विधायक श्री अजीत सिंह पाल ने विधान सभा सदस्यता की शपथ ग्रहण की। विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने श्री अजीत सिंह पाल को विधान सभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण करायी।

रा.स.30.12.2017

jkT;iky Jh jke ukbd u nk fo/k;dk dk etjh çnku dh ,o nk foèk;dk dk jk"Vifr dk lnfHkr fd;k

राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों से पारित दो विधेयक उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2017 एवं उत्तर प्रदेश विनियोग (2017–18 का अनुपूरक) विधेयक 2017 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है तथा कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2017 एवं भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2017 को राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया है।

रा.स.31.12.2017

❑❑

dUnh;@vU; çn'kh;

fgekpy çn'k fo/kku lHkk dk puko dk;Øe ?kks"kr

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अचल कुमार ज्योति के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 16 अक्टूबर 2017 को जारी होगी मतदान 09 नवम्बर 2017 को होगा तथा मतों की गणना 18 दिसंबर 2017 को सम्पन्न होगी ।

दै.ज. 13.10.2017

xqtjkr fo/kku lHkk dk puko dk;Øe ?kks"kr

चुनाव आयोग ने गुजरात विधान सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव तिथि की घोषणा होते ही राज्य में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गयी है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अचल कुमार ज्योति के अनुसार प्रथम चरण के चुनाव की अधिसूचना 14 नवम्बर 2017 को जारी होगी, मतदान 09 दिसंबर 2017 को होगा। प्रथम चरण में कुल 19 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 20 नवम्बर 2017 को जारी होगी मतदान 14 दिसंबर 2017 को होगा। दूसरे चरण में कुल 14 जिलों में मतदान होगा। दोनो चरणों के मतो की गणना 18 दिसंबर 2017 को सम्पन्न होगी ।

रा.स.26.10.2017

dsjy ds ifjogu e=h dk bLrhQk

केरल के परिवहन मंत्री श्री थॉमस चांडी ने अतिक्रमण के आरोपों के चलते पिलराई विजयन के नेतृत्व वाली माकपा नीत एलडीएफ सरकार से इस्तीफा दे दिया है।

रा.स.16.11.2017

laln dk 'khrdkyhu l= 15 fnlEcj ls

संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसम्बर 2017 से प्रारम्भ होगा। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।

रा.स.23.11.2017

lkaln Jh 'kjn ;kno o Jh vyh vuoj dh jkT;lHkk ls lnL;rk lekIr

जेडी (यू) सांसद श्री शरद यादव व श्री अली अनवर की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण राज्यसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दोनों सांसदो की सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया।

रा.स. 5.12.2017

lkaln Jh ukukHkkÅ QkYxqujko ikVksys dk yksdlHkk ls bLrhQk

भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से सांसद श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पाटोले ने पार्टी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

रा.स.9.12.2017

Jh jkgqy xka/kh dkaxzsl ds jk"Vªh; v/;{k fufoZjks/k fuokZfpr

कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। श्री राहुल गांधी पार्टी के 62वें अध्यक्ष हैं।

रा.स.12.12.2017

xqtjkr ,oa fgekpy çns'k fo/kku lHkk ds pquko ifj.kke ?kksf"kr

18 दिसंबर 2017 को गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनाव परिणाम घोषित हो गये जो कि निम्नवत् हैः–

xqtjkr fo/kku lHkk	**dqy lhV 182**
ikVhZ	**thr**
भाजपा	99
कांग्रेस +	77
अन्य	06

fgekpy çns'k fo/kku lHkk	**dqy lhV 68**
ikVh	**thr**
भाजपा	44
कांग्रेस +	21
अन्य	3

रा.स.19.12.2017

diuh l'kk/ku fcy lln e ikfjr

अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से देश में कंपनियों के वास्ते कारोबारी प्रक्रिया और नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के प्रावधान वाले कंपनी(संशोधन) बिल को संसद ने पारित कर दिया।

हि.20.12.2017

fgekpy çns'k d e[;eU=h Jh ohjHkn flg dk bLrhQk

विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत को सौंप दिया। राज्यपाल ने उन्हें नयी सरकार के गठित होने तक पद पर बने रहने का आदेश दिया।

हि.20.12.2017

Jh ,e-ih-ohjUn dekj u jkT; lHkk dh lnL;rk l bLrhQk fn;k

जनता दल (यू) के सांसद श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

रा.स.21.12.2017

jkT;lHkk dh ikp lhVk ij pquko 16 tuojh dk

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की पांच सीटों पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में 3 सीटों पर, सिक्किम में 1 सीट पर

और उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव 16 जनवरी को सम्पन्न होंगे। ज्ञातव्य हो कि दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस के श्री जनार्दन द्विवेदी, डॉ. कर्ण सिंह और श्री परवेज़ हाशमी का कार्यकाल 27 जनवरी 2017 को समाप्त हो रहा है जबकि सिक्किम में डेमोक्रिटक फ्रंट के श्री हिशे लाचुंगपा का कार्यकाल 23 फरवरी 2017 को समाप्त हो रहा है एवं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री मनोहर पर्रिकर द्वारा गत् 2 दिसंबर 2017 को इसतीफा देने के कारण रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होना है।

हि.23.12.2017

x|t jkr e Jh fot; :ik.kh u e|[;e=h ,o Jh fufru iVy u mie|[;e=h in dh 'kiFk yh

गुजरात में श्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री एवं श्री नितिन पटेल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल श्री ओ.पी.कोहली ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।

हि.23.12.2017

रा.स.27.12.2017

rfeyukM] v:.kkpy çn'k rFkk if'pe cxky d puko ifj.kke ?kkf"kr

तमिलनाडु में श्री टीटीवी दिनाकरन ने आर.के. नगर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। अरूणाचल प्रदेश में विधान सभा की 2 सीटों क्रमशः पक्के कसांग एवं लिकाबली सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के श्री बी.आर. वाघे ने व लिकाबली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के श्री कार्दो नेचिगयोर ने पीपीए के प्रत्याशी श्री गुमके रिबा को पराजित किया।

पश्चिम बंगाल में विधान सभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की श्रीमती गीता रानी भूइयां ने माकपा की प्रत्याशी श्रीमती रीता मंडल को पराजित किया।

रा.स.25.12.2017

fgekpy çn'k e Hkkjrh; turk ikVh d Jh t;jke Bkdj u e[;e=h in dh 'kiFk yh

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के श्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री जयराम ठाकुर के साथ उनके मंत्रीमंडल के 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद एवं गोपनीता की शपथ दिलायी।

रा.स.28.12.2017

e?kky; e ikp dkx l o rhu vU; fo/kk;dk dk bLrhQk

मेघालय में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पाचं विधाकों ने विधान सभा से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक और दो निर्दलीय विधायकों ने भी सदन से इस्तीफा दे दिया है।

रा.स.30.12.2017

❑❑

fo/kku lHkk lfpoky;

mÙkj çn'k

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1163 / वि0स0 / संसदीय / 09(सं) / 2017

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 2017

vf/klpuk

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

''भारत का संविधान, के अनुच्छेद–174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नाईक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा को गुरूवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से सभा मण्डप, विधान भवन, लखनऊ में उसके वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र के लिए आहूत करता हूँ।

jke ukbd]
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।''

आज्ञा से,
çnhi dekj nc]
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

fo/kku lHkk lfpoky;

mÙkj çn'k

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1357 / वि0स0 / संसदीय / 09(सं) / 2017

लखनऊ, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

vf/klpuk

çdh.k

सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा का वर्ष 2017 का द्वितीय सत्र, जो उसके दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन से प्रारम्भ हुआ था, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

आज्ञा से

çnhi dekj nc]

प्रमुख सचिव।

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

fo/kku lHkk lfpoky;

mÙkj çns'k

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 66/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017

लखनऊ, 12 जनवरी, 2018

vf/klpuk

---

idh.k

श्री राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 11 जनवरी, 2018 सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद—174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नाईक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूँ।

jke ukbd]
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
çnhi dekj nc]
प्रमुख सचिव।
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

fo/kku lHkk lfpoky;

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यलय)

संख्या : 1492 / वि0स0 / प.का. / 24(पं) / 2017

लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2017

vf/klpuk

प्रकीर्ण

चूँकि, इस सचिवालय की अधिसूचना संख्याः 1391 / वि.स. / प.का. / 24(प) / 2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिये ''विधान पुस्तकालय समिति'' में सदस्य के रूप में नामित किये गये थे;

और, चूँकि, श्री संजय प्रताप जायसवाल ने उक्त समिति से त्याग–पत्र दे दिया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को स्वीकार कर लिया गया है;

अतः सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री संजय प्रताप जायसवाल का उक्त स्थान ''विधान पुस्तकालय समिति'' में दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

çnhi dekj nc]

प्रमुख सचिव।